लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित सस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र
Tenth Session]

[खंड 36 में अंक 21 से 29 तक हैं
Vol. XXXVI contains Nos. 21—29]

Gazettes & Debates U
Parliament Library Buil
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची

अंक 28, बुधवार, 23 दिसम्बर, 1964/2 पौष, 1889 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
634	भ्रष्टाचार विरोधी कार्यवाही .	2491–74
635	दिल्ली में विदेशियों की मूर्तियां .	2474–79
636	उर्वरक कारखाने	2480–82
637	बरौनी तेल शोधक कारखाने से नेपथा (फिनायल) ले जाने के लिए पाईप लाईन	2482–84
638	प्रव्रजकों को बसाना	2484–87
640	संविधान के कुछ अनुच्छेदों को जम्मू और काश्मीर में लागू करना .	2487–89
641	कोयला ब्रिकेट . .	2489
643	बौद्ध सम्मेलन	2490
644	उड़ीसा के मुख्य मंत्री के विरुद्ध लगाये आरोपों की जांच .	2490–92

अल्प सूचना प्रश्न—

संख्या		
12	अखबारी कागज़ की कमी . .	2493–96
13	एयर इंडिया की उड़ानों में कमी	2496–99

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या		
639	शरणार्थियों से ऋणों की वसूली	2499–2500
642	आदर्श विश्वविद्यालय	2500
645	भारतीय तेल निगम	2500–01
646	पूर्वी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में शरणार्थियों का आना	2501
647	हिन्दुस्तान एंटीबायटिक्स .	2501–02
648	प्राथमिक शिक्षा . .	2502
649	मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन	2502
650	मंत्रियों द्वारा आस्तियों तथा दायित्वों की घोषणा . .	2503

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

CONTENTS

No. 28, *Wednesday, December* 23, 1964/*Pausa* 2, 1886 (*Saka*)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS—

**Starred Question Nos.*	*Subject*	*Pages*
634	Anti-Corruption Measures .	2471–74
635	Statues of Foreigners in Delhi .	2474–79
636	Fertilizer Plants	2480–82
637	Pipe-Line to carry Naphtha from Barauni Refinery .	2482–84
638	Resettlement of Migrants	2484–87
640	Application of certain Articles of Constitution to J. K.	2487–89
641	Coal Briquettes . . .	2489
643	Buddhists' Conference	2490
644	Enquiry into Allegations against Orissa Chief Minister	2490–92

SHORT NOTICE QUESTIONS—

Nos.		
12	Shortage of Newsprint . .	2493–96
13	Curtailment of Air India Flights	2496–99

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—

Starred Question Nos.		
639	Recovery of Loans from Refugees	2499–2500
642	Model Universities . .	2500
645	I. O. C. . . .	2500–01
646	Exodus from East Pakistan	2501
647	Hindustan Antibiotics	2501–02
648	Primary Education . .	2502
649	Conference of Chief Ministers	2502
650	Declaration of Assets and Liabilities of Ministers . .	2503

---

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
651	प्राथमिक अध्यापकों का न्यूनतम वेतन	2503
652	त्रिभाषायी फार्मूले को कार्यान्वित न करना	2504
653	असम के कुछ क्षेत्र पर पाकिस्तान का कब्ज़ा	2504
654	विश्वविद्यालय शिक्षा में सैनिक विज्ञान .	2504–05
655	आल पार्टी हिल लीडर्स कांफ्रेंस का प्रतिनिधि मंडल	2505
656	सेकेंडरी स्कूलों के लिए त्रिभाषायी फार्मूला .	2505
657	राज्यों में शिक्षा सम्बन्धी पिछड़ेपन को दूर करना	2506
658	काशी विद्यापीठ की डिग्री	2506
659	पर्यटन के महानिदेशक	2506–07
अतारांकित प्रश्न संख्या		
1733	बस्तर ज़िला में व्यय . . .	2507
1734	आदिम जाति के व्यक्तियों के लिये रोज़गार	2507
1735	नेशनल बुक ट्रस्ट	2507–08
1736	यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग	2508
1737	नई दिल्ली में चोरी के मामले	2509
1738	बाल पुस्तकों की ग्रन्थसूची	2509
1739	मुगल काल के सिक्के	2509
1740	नेहरू भवन .	2510
1741	राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान .	2510
1742	मुख्य मंत्रियों को प्रधान मंत्री का पत्र	2510–11
1743	सहायकों की वरिष्ठता का पुनर्निस्थापन .	2511
1744	दिल्ली में खाली प्लाटों पर अधिग्रहण बोनस	2511
1745	दण्डकारण्य में कृषि योजनायें .	2512
1746	शिक्षा मनोविज्ञान .	2512–13
1747	राष्ट्रीय खेलकूद संस्था, पटियाला	2513
1748	शरणार्थियों का प्रशिक्षण .	2513–14
1749	प्लास्टिक के सामान पर उत्पादन शुल्क	2514
1750	पुनर्वास पर व्यय . .	2514–15
1751	पाकिस्तानियों का अनधिकृत प्रवेश	2515
1752	उरी कसबे में बम विस्फोट	2516
1753	पाक राष्ट्रजनों की गिरफ्तारी . .	2516
1754	भारतीय प्रशासन सेवा परीक्षा के लिये उम्मीदवार	2516–17
1755	प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालिज, श्रीनगर	2517
1756	कोयले से डीजल तेल का निकालना	2517–18
1757	विश्व शतरंज-ओलिम्पिक .	2518

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

Starred Question Nos.	*Subject*	*Pages*
651	Minimum Salary of Primary Teachers	2503
652	Non-implementation of the Three-Language Formula	2504
653	Pak-Occupation of some Area in Assam	2504
654	Military Science in University Education	2504–05
655	Deputation of All Party Hill Leaders' Conference	2505
656	Three-Language Formula for Secondary Schools	2505
657	Removal of Educational Backwardness in States	2506
658	Degrees of Kashi Vidyapeeth	2506
659	Director-General of Tourism	2506–07
Unstarred Question Nos.		
1733	Expenditure in Bastar District	2507
1734	Tribal Employment	2507
1735	National Book Trust	2507–08
1736	Indian National Commission for Co-operation with UNESCO	2508
1737	Theft Cases in New Delhi	2509
1738	Bibliography on Children's Books	2509
1739	Moghul Period Coins	2509
1740	Nehru Bhavans	2510
1741	Pardons Granted by President	2510
1742	P. M.'s Letters to Chief Ministers	2510–11
1743	Refixation of Seniority of Assistants	2511
1744	Acquisition Notices on Vacant Plots in Delhi	2511
1745	Agricultural Schemes for Dandakaranya	2512
1746	Educational Psychology	2512–13
1747	National Institute of Sports, Patiala	2513
1748	Training of Refugees	2513–14
1749	Excise Duty on Plastics	2514
1750	Expenditure on Rehabilitation	2514–15
1751	Pak. Infiltrations	2515
1752	Bomb Explosion in Uri Town	2516
1753	Arrest of Pak. Nationals	2516
1754	Conditions for I.A.S. Examination	2516–17
1755	Regional Engineering College, Shrinagar	2517
1756	Extraction of Diesel Oil from Coal	2517–18
1757	World Chess Olympiad	2518

प्रश्नों के लिखित उत्तर— क्रमशः

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1758	राष्ट्रीय पुस्तक प्रन्यास . . .	2518
1759	अखिल भारतीय माध्यमिक अध्यापकों की मांगें	1518–19
1760	दिल्ली में विदेशियों के साथ मारपीट	2519
1761	राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के सहायक निदेशक .	2519–20
1762	आई० जी० पुलिस, गुजरात . . .	2520
1763	हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष . . .	2520–21
1764	मैसूर में स्कूलों को आर्थिक सहायता . .	2521
1765	शिक्षा कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड . . .	2521
1766	शिक्षा कर . .	2521
1767	पेट्रोल शुल्क का न दिया जाना . .	2522
1768	केरल का भूतपूर्व मुख्य मंत्री	2522
1769	रांची में दंगे	2522
1770	आधुनिक संसार में स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू का कार्य .	2523
1771	बम्बई में भारत के साम्यवादी दल का सम्मेलन	2523
1772	नगर निगम के मेहत्तरों द्वारा हड़ताल .	2524
1773	दिल्ली शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों का प्रशिक्षण	2524
1774	केरल के आई०जी०, पुलिस के संबंध में गोपनीय पत्र	2524
1775	केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं के अधिकारी .	2525
1776	ईसाई पिछड़े वर्ग संघ .	2525–26
1777	मुसलमानों द्वारा संस्कृत का अध्ययन .	2526
1778	टोकयो आलिम्पिक्स .	2526–27
1779	केन्द्रीय सरकार की नौकरियां .	2527–28
1780	नई दिल्ली नगरपालिका .	2528
1781	फतेहपुर सीकरी के पास "राक शैल्टर"	2528
1782	राष्ट्रीय लोकतन्त्रात्मक सम्मेलन .	2529
1783	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूहों में भूमि सुधार . .	2529
1784	भोपाल के पास पुरातत्वीय खुदाई . . .	2529–30
1785	केरल में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये विदेशों में शिक्षा ग्रहण करने के लिये छात्रवृत्तियां .	2530
1786	केन्द्रीय सचिवालय का स्टाफ .	2530
1787	वेल्लोर में जलगंडेश्वर का मंदीर . . .	2531
1788	उड़ीसा के एक अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी के विरुद्ध जांच	2531
1789	बरौनी में कैलमिनेशन प्लांट . . .	2531–32
1790	गुजरात के तेल क्षेत्रों से तेल	2532
1791	राष्ट्रीय "फायर" सेवा विद्यालय	2532
1792	केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति . . .	2533

Unstarred Question Nos.	*Subject*	*Pages*
1758	National Book Trust	2518
1759	All India Secondary Teacher's Demand	2518–19
1760	Manhandling of Foreigners in Delhi	2519
1761	Assistant Directors of National Laboratories	2519–20
1762	I. G. of Police, Gujarat	2520
1763	Remnants of Harappan Civilisation	2520–21
1764	Financial Assistance to Schools in Mysore	2521
1765	Wage Board for Education	2521
1766	Education Tax	2521
1767	Non-Payment of Petrol Charges	2522
1768	Ex-Chief Minister of Kerala	2522
1769	Riots in Ranchi	2522
1770	Late Shri Jawaharlal Nehru's Role in the Modern World	2523
1771	Conference of C. P. I. at Bombay	2523
1772	Strike by Municipal Sweepers	2524
1773	Training of Officers of Delhi Education Directorate	2524
1774	Confidential Letter regarding I. G. P. of Kerala	2524
1775	Officers of C. S. S.	2525
1776	Backward Classes Christian Federation	2525–26
1777	Study of Sanskrit by Muslims	2526
1778	Tokyo Olympics	2526–27
1779	Employment in Central Government	2527–28
1780	N. D. M. C.	2528
1781	Rock Shelters near Fatehpur-Sikri	2528
1782	National Democratic Convention	2529
1783	Land Reforms in Andaman and Nicobar Islands	2529
1784	Archaeological Exploration near Bhopal	2529–30
1785	Overseas Scholarships for S. C. and S. T. in Kerala	2530
1786	Central Secretariat Staff	2530
1787	Jalagandeswarar Temple at Vellore	2531
1788	Investigations against an Orissa I. A. S. Officer	2531
1789	Calcination Plant at Barauni	2531–32
1790	Oil from Gujarat Oil Fields	2532
1791	National Fire Service College	2532
1792	Central Sanskrit Institute, Tirupati	2533

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1793	श्रीनगर में बम विस्फोट	2533
1794	"कोई बैठक नहीं" दिन	2533-34
1795	दिल्ली में पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी	2534
1796	वैज्ञानिक गवेषणा	2534
1797	संस्कृत का प्रचार	2535
1798	हिन्दी में पाठ्य पुस्तकें	2535
1800	पुस्तक प्रदर्शनी	2536
1801	देवली कैम्प	2536
1802	मंत्रियों की मूर्तियां	2537
1803	मंत्रियों को आतिथ्य भत्ता	2537
1805	अन्दमान की यात्रा के लिये बुकिंग	2537
1806	पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित छात्र	2538
1807	संस्कृत शिक्षा संस्थाओं को सहायता	2538
1808	केन्द्रीय संस्कृत शिक्षा बोर्ड	2539-40
1809	संस्कृत संगठनों को सहायता	2540
1810	गुरुकुलों को सहायता	2540
1811	रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में अजनबी	2541
1812	गुरुद्वारों के प्रबन्ध के लिये विधान	2541
1813	विदेशी भाषा संस्थान	2541
1815	शरणार्थी शिबिर	2542
1817	मेसर्स सिराजुद्दीन एंड कम्पनी का मामला	2542
1818	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की फाइलें	2542-43
1819	विमान चित्र-निर्वाचन संस्था	2543
1820	केरल में भूख हड़ताल	2543
1821	सदाचार समिति	2543-44
1821-क	तस्कर व्यापारियों का फरार हो जाना	2544
1821-ख	गैस तथा कारवाईड़ से-राजस्व	2545

ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में (प्रश्न) 2545—46

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

6 दिसम्बर, 1964 को रिपब्लिकन पार्टी द्वारा आरम्भ किया गया आन्दोलन और सारे देश में उसके स्वयंसेवकों की गिरफ्तारियां

श्री मौर्य 2546

श्री हाथी 2546-47

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--*Contd.*

Unstarred Question Nos.	*Subject*	*Pages*
1793	Bomb Explosion in Srinagar	2533
1794	"No Meeting" Day	2533–34
1795	Arrest of Pakistanis in Delhi	2534
1796	Scientific Research	2534
1797	Propagation of Sanskrit	2535
1798	Text Books in Hindi	2535
1800	Book Exhibition	2536
1801	Deoli Camp	2536
1802	Statues of Ministers	2537
1803	Sumptuary Allowance to Ministers	2537
1805	Booking of Passage to Andaman	2537
1806	Displaced Students from East Pakistan	2538
1807	Aid to Sanskrit Teaching Institutes	2538
1808	Central Board of Sanskrit Instruction	2539–40
1809	Aid to Sanskrit Organisations	2540
1810	Aid to Gurukulas	2540
1811	Mysterious Callers in R. K. Puram, New Delhi	2541
1812	Law on Management of Gurdwaras	2541
1813	Institutes of Foreign Languages	2541
1815	Refugee Camps	2542
1817	M/s. Serujuddin and Co. Affairs	2542
1818	O. N. G. C. Files	2542–43
1819	Aerial Photo-Interpretation Institute	2543
1820	Protest Hunger Strike in Kerala	2543
1821	Sadachar Samiti	2543–44
1821-A	Escape of Smugglers	2544
1821-B	Revenue on Gas and Carbide	2545

RE : CALLING ATTENTION NOTICE (Query) . . . 2545–46

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE—

Agitation launched by the Republican Party on 6-12-1964 and the countrywide arrests of its volunteers

Shri Maurya 2546

Shri Hathi 2546–47

विषय	पृष्ठ
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	2548
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पचासवीं से चौवनवीं बैठकों के कार्यवाही सारांश .	2549
याचिका समिति—	
चौदावीं और पन्द्रहवीं बैठकों के कार्यवाही सारांश .	2549
सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति—	
नवीं समिति का सारांश .	2549
राज्य सभा से सन्देश	2549
लोक-लेखा समिति— .	
तीसवां प्रतिवेदन	2549
दक्षिण मध्य रेलवे जोन बनाने के बारे में वक्तव्य—	
श्री स० का० पाटिल . .	2550–51
स्वर्ण (नियंत्रण) विधेयक—	
खण्ड 5 से 43 तथा 1 संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	
श्री ति० त० कृष्णमाचारी .	2572–73
श्री रंगा . .	2572–74
श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा . . .	2572
श्री ही० ना० मुकर्जी .	2572–73
कारों के निर्माण, खपत और मूल्य के बारे में चर्चा—	
श्री त्रि० ना० सिंह	2574-76
कर्नाटक में परियोजनाओं के लिये पानी के बारे में आधे घंटे की चर्चा—	
श्री शिवमूर्ति स्वामी .	2576
श्री मा० ल० जाधव . .	2577
श्री तुलशीदास जाधव .	2577
श्री सं० ब० पाटिल .	2577
श्री हे० बी० कौजलगी . .	2577
श्री बासप्पा	2577
डा० सरोजिनी महिषी	2577
डा० कु० ल० राव	2577–78

Subject	Pages
PAPERS LAID ON THE TABLE	2548
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS—	
Minutes of 50th to 54th sittings	2549
COMMITTEE ON PETITIONS—	
Minutes of Fourteenth and Fifteenth sittings	2549
COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES—	
Minutes of Ninth sittings	2549
MESSAGE FROM RAJYA SABHA	2549
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE—	
Thirtieth Report	2549
STATEMENT RE: FORMATION OF SOUTH-CENTRAL RAILWAY ZONE—	
Shri S. K. Patil	2550–51
GOLD (CONTROL) BILL—	
Clauses 5 to 43 and 1	
Motion to pass, as amended	
Shri T. T. Krishnamachari	2572-73
Shri Ranga	2572–74
Shrimati Lakshmikanthamma	2572
Shri H. N. Mukerjee	2572–73
DISCUSSION RE: MANUFACTURE, CONSUMPTION AND PRICE OF CARS—	
Shri T. N. Singh	2574–76
HALF-AN-HOUR DISCUSSION RE: WATER FOR PROJECTS IN KARNATAK—	
Shri Sivamurthi Swamy	2576
Shri M. L. Jadhav	2577
Shri Tulshidas Jadhav	2577
Shri S. B. Patil	2577
Shri Koujalgi	2577
Shri Basappa	2577
Dr. Sarojini Mahishi	2577
Dr. K. L. Rao	2577–78

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

लोक-सभा

LOK-SABHA

बुधवार, 23 दिसम्बर, 1964/2 पौष, 1886 (शक)

Wednesday, December 23, 1964/*Pausa* 2, 1886 (*Saka*)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[The Lok Sabha met at Eleven of the clock.]

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
Mr. Speaker in the Chair.]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Anti-Corruption Measures

*634. + **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the extent to which the Special Police Establishment of the Government of India has achieved success in checking corruption and reducing it ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) : The Special Police Establishment has done a great deal of work in uncovering cases of corruption and bringing the offenders to book. It is however difficult to make any exact assessment of the success achieved in checking corruption as a result of the measures adopted by the Special Police Establishment. A note on the activities of the S.P.E. during 1-11-1963 to 31-10-1964 which shows an all round intensification of the drive against the menace is however placed on the Table of the House. **[Placed in Dy. L. T. No. 3713/64.]**

Shri Bibhuti Mishra : From the statement it appears that the I. A. S. and I. C. S. officers of the C. P. W. D. and Police Department after retirement take employment in Private Companies which has a bad bearing on the subordinates of those officers while they were in Govt. service. What steps Government are taking to bar such officers from entering private service for some time ?

Mr. Speaker : The hon. Member's question is regarding the success achieved by Special Police Establishment in eradicating Corruption but now he is shifting the subject.

Shri Bibhuti Mishra : From the statement it appears.........

Mr. Speaker : You have enquired the extent to which the Establishment has achieved success in checking Corruption and bribing, but now you have shifted to their serving in Private Companies.........

Shri Bibhuti Mishra : Please listen to me. As the Establishment is not able to detect such cases, may I know the measures taken to help the Establishment in bringing the offenders to book in such cases ?

Shri Hathi : The Santhanam Committee have also suggested in their report that the retired Government officers should be forbidden from taking employment in Private Commercial enterprise for a period of two years immediately after the retirement. This suggestion has been given a recognition and so far we have not allowed any officer to take employment before the expiry of the said period.

Shri Bibhuti Mishra : May I know whether the special Police Establishment keeps an eye on the Central Government officers only or on the State Government officers also ?

Shri Hathi : The S. P. E. works only within its jurisdiction in the states and it does not do all the work.

Shri K. N. Tiwary : The statement says that many persons have been arrested. Has the attention of Government been drawn to the these lines published in "Hindi Times" dated 16-11-1963 :

> "The hotel owners are defrauding the public and the Government. The activities of the officers who are cheating the Public Sector",

and to the following lines published in the "Blitz" paper dated 14-11-1963 :

> "Private Hotel tycoons plot to scuttle the Ashoka",

if so, whether the S. P. E. have launched an enquiry, if so, the action so far taken by Government in this regard, if not, why not ?

Mr Speaker : What relation it has with the Special Police Establishment ?

Shri K. N. Tiwary : It comes under Corruption and therefore it related to that.

Mr. Speaker : That does not come under Corruption.

Shri K. N. Tiwary : Just now the Minister said in his statement that the Special Police Establishment has enquired into various cases of corruption and has detected various cases of corruption at different places. I want to know whether the attention of Government has been drawn to that news of the "Hindi Times" and "Blitz" and if so, whether Government have got those cases investigated by Special Police and if not, why not and what action has been taken ?

Mr. Speaker : You are asking whether enquiries have been got conducted by the Special Police and you have already asked the success achieved in eradicating Corruption at places where Special Police has conducted investigations.

Shri K. N. Tiwary : That is given in the statement. I want to know whether Special Police has taken any action regarding public undertaking.

. . . . . .

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : यह सुनिश्चित करने के लिये कि सेवाओं में और अधिकारियों में जो जिम्मेवारी नहीं लेना चाहते नैतिक गिरावट न हो, सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ? क्या यह बात सरकार की जानकारी में आ गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : जी, हां ; एक अवस्था पर कुछ इस तरह की बात थी कि चूंकि भ्रष्टाचार के मामलों में कड़ी कार्यवाही की जा रही थी, इसलिये नैतिक गिरावट थी और निर्णय करने में झिझक थी। यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी और मैंने समझा कि ऐसा नहीं होना चाहिये कि हम एक बुराई को तो दूर करें दूसरी को पैदा करें। मैंने इसकी जांच कराई और सारी नौकरियों के समस्त क्षेत्र के उचित सर्वेक्षण के बाद मुझे विश्वास हो गया है कि वह धारणा बेबुनियाद थी।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच नहीं है कि ऐसे बहुत से मामले हैं जिनमें हितबद्ध मंत्रियों और बड़े व्यक्तियों द्वारा हस्तक्षेप से जांच को रोका गया है और यदि हां, तो विशेष पुलिस द्वारा जांच में मंत्रियों के हस्तक्षेप को रोकने के लिये क्या सरकार ने मंत्रियों के लिये कोई आचार संहिता जारी की है ?

श्री नन्दा : मैं समझता था कि इस तरह सामान्य आक्षेप लगाने के लिये माननीय सदस्य के पास कोई तो आधार होगा। उस में कोई सचाई नहीं है। जहां तक मुझे पता है विशेष पुलिस के काम में किसी मंत्री का हस्तक्षेप नहीं होता, इसमें मैं भी शामिल हूं।

डा सरोजिनी महिषी : यह देखते हुए कि पर्यटन महानिदेशक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कुछ प्रत्यक्ष आरोपों के संबंध में जांच की गई थी और शायद उसी के परिणाम स्वरूप.....

अध्यक्ष महोदय : वह पहले से ऐसा क्यों सोचती हैं ? इस विषय पर आज की सूची में एक पृथक प्रश्न है।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार को विशेष पुलिस स्थापना के कर्मचारियों के विरुद्ध उनकी नैतिक गिरावट के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री हाथी : जी नहीं। विशेष पुलिस के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

श्री रामनाथन चेट्टियार : विशेष पुलिस के कृत्य क्या हैं और केन्द्रीय गुप्तचर विभाग के क्या कृत्य हैं ?

श्री हाथी : विशेष पुलिस स्थापना के संबंध में संसद का अधिनियम है। उसमें कृत्यों का उल्लेख किया गया। केन्द्रीय गुप्तचर विभाग जानकारी इकट्ठी करता है।

Shri Yashpal Singh : What help has been afforded by this S. P. E. in detecting Crimes and eradicating Corruption ? What help did it give in the Solicitor General's murder case when some rogues put him to death like a mosquito ?

Shri Hathi : Investigation had been launched in that case.

श्री नाथ पाई : क्या माननीय **गृह-कार्य** मंत्री श्री नन्दा ने मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिये विशेष पुलिस से काम लेने का पक्का इरादा कर लिया है यह देखते हुए कि मंत्रि-मण्डल के कुछ सदस्यों ने इसका विरोध किया है और इसमें उनके दाहिनी ओर बैठे हुए बहुत ही सुख्यात साथी भी शामिल हैं जिन्होंने यह राय प्रकट की है कि मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच विशेष पुलिस स्थापना द्वारा नहीं कराई जानी चाहिये।

श्री नन्दा : उड़ीसा के मामले में भी विशेष पुलिस स्थापना ने जांच नहीं की थी। उसने केवल इतना ही किया कि आरोपों के संबंध में वह वहां पर सरकार की अनुमति से वह रिकार्ड लेने के लिये गई थी जो उन आरोपों से संबंधित हैं।

श्री नाथ पाई : श्री नन्दा कठिन प्रश्न से बचने की कला में परिपूर्ण होते जा रहे हैं और उसके लिये एक संसद् विज्ञ के रूप में वह बड़ाई के पात्र हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे बांई ओर दूसरी कला का विकास हो रहा है जो कि कठिनाई पैदा करने की है।

श्री हरि विष्णु कामत : प्रतिपक्षियों को तो ऐसा करना ही चाहिये ।

श्री नाथ पाई : जानकारी प्राप्त कराने में आप हमारी अवश्य सहायता कीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं निश्चय ही करूंगा । अब अगला प्रश्न ।

Shri M. L. Dwivedi : On a point of order, Sir, I stood in the beginning to put a supplementary, but as Shri Malaviya being in front of me I could not catch your eye. We are not called despite our standing on such important questions while other are called who do not even stand.

श्री भागवत झा आजाद : हम भी खड़े हुए थे । इस में कोई औचित्य का प्रश्न नहीं है ।

Mr. Speaker : I am surprised how a point of order is involved in it. How can I allow all the Members to ask supplementaries on a particular question ? I have tried to call the hon. Members from both the sides.

श्री दी० चं० शर्मा : उनका औचित्य का प्रश्न नहीं था वह तो रहम के लिये अपील थी ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसी परिस्थितियों में मैं श्री डी० सी० शर्मा से अनुरोध करूंगा कि वह मुझ पर रहम करें ।

Statues of Foreigners in Delhi

\+

635. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Bagri :
Shri Vishram Prasad :
Shri Ram Sewak Yadav :
श्री हरि विष्णु कामत :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) The number of statues of foreigners that are yet to be removed from Delhi and New Delhi ;

(b) When they are likely to be removed ;

(c) whether statues of prominent Indian leaders are proposed to be installed in their places ; and

(d) if so, the locations and the names of the leaders whose statues are proposed to be installed there ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) Four.

(b) No date has been fixed, but much time will not be taken in removing them.

(c) and (d) No such proposals are under consideration. This matter can be considered only if private organisations approach with the above proposals and are prepared to donate large funds.

Shri Prakash Vir Shastri : In reply to parts (c) and (d) the Minister said that no such proposals are under consideration. So far as I know it has been discussed both inside and outside Parliament that there are some historic points

in Delhi, where statues of prominent Indian leaders should be installed, such as the ground in front of Red Fort where statue of Netaji Subhash Chandra Bose should be installed. Why Government have not so far considered this question?

Shri L. N. Mishra : Discussions have been held, but so far no such proposal has been received and nor has any organisation come forward who may be prepared to donate funds and install statue. If there is many such thing that will be considered and a decision taken at the Cabinet level.

Shri Prakash Vir Shastri : Only other day the birth anniversary of late Dr. Rajinder Prasad was celebrated in Sapru House in New Delhi. There Shri Nanda announced that in keeping with the dignity of Rajinder Babu a memorial will be erected in Delhi. The Prime Minister also gave his consent to this while proceeding to London. But in reply to a question in this very House only four days back Shri Hathi replied that no such question is under consideration of the Government. Why there is the difference between the ministers of the same department ?

Mr. Speaker : Shri Nanda said that he thinks that it should be like that. It may be in the mind of Shri Nanda and Government may not think like that.

Home Minister (Shri Nanda) : There is no difference. Both things are correct and nothing has been said separately. What I have said is correct. In the function regarding Dr. Rajinder Prasad I had said that the most appropriate site would be chosen for this purpose and arrangements would be made for that. But there was no such thing that Government should do that. I conferred with Shri Lal Bahadur Shastri and it was decided Government can give only place for erecting the statue and not the statue.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Have the Government received the information that the Delhi Municipal Corporation have decided to install the statue of Swami Shradhanandji Maharaj at the place of clock tower and whether this information has also been received that the some organisation has written to bear all the expenses ?

Shri L. N. Mishra : It is true that there was a proposal like that but it has been said that it will be better if the statue is erected at some other place and not in front of clock Tower.

Shri Ram Sewak Yadav : In the 2nd Lok Sabha the late Prime Minister Shri Nehru had said that the Statues of foreign rulers will be removed. Just now the Minister said that only 4 statues have been removed and for the rest there is no plan. This is raised here time and again. May I know whether a scheme to remove the statues of foreign rulers will be formulated soon and whether the statue of George V will be soon replaced by that Father of the Nation Mahatma Gandhi.

Shri L. N. Mishra : This is correct that Pandit Jawahar Lal Nehru said in May, 1957 that these statues will be removed, but he had also said that as the places to keep them safely are available they will be removed. This is not correct that only 4 statues have been removed. There were 12 statues in Delhi out of which 8 have already been removed and 4 remain to be removed. The question of removing them is also under consideration. So far as the policy is concerned it has already been decided that they will be removed as and when the places to keep them safely are available.

Shri Ram Sewak Yadav : Will the statue of Mahatma Gandhi be put in place of George V ?

Shri L. N. Mishra : This is suggestion.

श्री हरि विष्णु कामत : उपमंत्री द्वारा मेरे माननीय मित्र श्री प्रकाश वीर शास्त्री के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर से क्या सभा यह समझे कि सरकार नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की मूर्ति, जो कि भारत के सब से बड़े नेताओं में से एक हैं, राजधानी में लाल किले पर या संसद भवन के सामने संसद मार्ग की पटरी पर कहीं भी लगाने के लिये तैयार नहीं है, अथवा लगाना नहीं चाहती है ? क्या सरकार की यही स्थिति है कि ऐसी मूर्तियां केवल तब ही लगाई जायेंगी जब कोई संस्था देगी ?

श्री ल० ना० मिश्र : अब तक की नीति यही रही है कि संस्थाओं द्वारा दी गई मूर्तियों को स्वीकार किया जाये। मूर्तियां लगाने में हम उन संस्थाओं की सहायता करते हैं। सरकार अपनी ओर से राजधानी में कहीं भी कोई मूर्ति नहीं लगाती है। जहां तक नेताजी सुभाषचन्द्र बोस का संबंध है लाल किले के आगे की भूमि का नाम नेताजी मैदान रख दिया गया है और एल्गिन रोड का नाम बदल कर नेताजी सुभाषचन्द्र बोस रोड रख दिया गया है।

श्री रंगा : क्या राष्ट्रपिता के मामले में भी सरकार अपनी नीति को बदलने के लिये तैयार नहीं है ? क्या सरकार के लिये यह शर्म की बात नहीं है कि राजधानी में राष्ट्रपिता की एक भी प्रतिमा नहीं है ? भगवान ही जानता है कि ऐसी नीति कब बनाई गई थी। क्या सरकार का यह कर्तव्य नहीं है कि वह राष्ट्रपिता की प्रतिमा रखने की जिम्मेवारी अपने पर ले ? (हर्षध्वनि)

श्री नाथ पाई : केवल चुनाव के समय ही वे उनको याद करते हैं।

श्री नन्दा : मुझे खुशी है कि माननीय सदस्य को इस विषय के प्रति गहरी भावनाएं हैं। शायद वह समझते हैं कि इस ओर हम भावनाहीन हैं अथवा कम रुचि रखते हैं। इस ओर माननीय सदस्यों ने इस विषय पर जो भाव प्रकट किये हैं उनसे सारी गलतफहमियां दूर हो जानी चाहिये। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है यह एक सुझाव है। हम ने वर्तमान नीति बता दी है। यदि और कुछ करना पड़ा तो वह भी किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : क्या राजधानी में अब महात्मा गांधी की कोई भी मूर्ति नहीं है ?

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री रंगा : क्योंकि श्री स० का० पाटिल व्यक्तिगत रुचि रखते थे इसलिये कम से कम सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक प्रतिमा है ; अन्यथा एक भी न होती। हम इस अनुचित सरकार से कुछ भी आशा नहीं कर सकते।

श्री हरि विष्णु कामत : नेताजी अथवा महात्मा गांधी की कोई प्रतिमा नहीं।

श्री रंगा : अब वह प्रधान मंत्री के लिये काम कर रहे हैं और वह महात्मा गांधी के उतने प्यारे अनुगामी थे जितना कि मैं। क्या मेरे साथ सहमत होने में उन्हें केवल इसलिये शर्म आती है अब वह मंत्री की गद्दी पर हैं ? (**अन्तर्बाधाएं**)

अध्यक्ष महोदय : श्री रंगा कृपया बैठ जायें। प्रश्न काल में इस प्रकार की बात नहीं कही जानी चाहिए।

श्री ही० ना० मुकर्जी : श्रीमन्, आप ने मंत्री से कहा था परन्तु उन्होंने उत्तर नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय : वे इसका कोई उत्तर नहीं दे सकते थे।

श्री ही० ना० मुकर्जी : जब प्रश्न यह है "क्या कदम उठाये जा रहे हैं अथवा उठाने का विचार है", तो इसका उत्तर मिलना ही चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : वह उत्तर उप मंत्री ने दे दिया है; अब तक यह नीति रही है कि गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा दी गई मूर्तियां ही लगाई जाती हैं । यदि कोई नई नीति बनानी होगी तो वे उस पर विचार करेंगे ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : श्री रंगा ने एक प्रश्न पूछा था और पूरा उत्तर नहीं दिया गया ।

श्री नन्दा : मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य का क्या अर्थ है । कुछ सुझाव दिये गये हैं और उनके पीछे जो भावना है मैं उसकी सराहना करता हूं । मैं नहीं समझता कि सुझाव का उत्तर देने के लिये सरकार को यहां बाध्य किया जा सकता है ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या आपके विचार में यह है ?

श्री नन्दा : जी, नहीं ।

श्री मुकर्जी : आपका अपना कोई विचार है ही नहीं ।

श्री नन्दा : सरकार इस पर विचार करने जा रही है । इसकी कुछ अपनी पेचीदा बातें हैं ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : You can circulate Nehru Coin.....

Mr. Speaker : How can I carry on like this ? This should not be.

Shri Ram Sewak Yadav : My submission is.....

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि इतनी उत्तेजना क्यों है । यह एक ऐसा विषय है जिसे हम सब समझते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है । हमें प्रश्न पूछने चाहिये जिस से कि जानकारी प्राप्त की जा सके । लड़ने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री नाथ पाई : मेरा एक औचित्य प्रश्न है ।

Shri Hukum Chand Kachhavaiya : They can circulate Nehru Coin and cannot install Gandhiji's Statue.

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बोलने के लिए नहीं कहा । किसी भी माननीय सदस्य को जब तक मैं उनको बोलने की अनुमति न दूं, नहीं बोलना चाहिए ।

श्री श्याम लाल सर्राफ : श्रीमन्, आपने मुझे कहा था ।

अध्यक्ष महोदय : एक औचित्य प्रश्न है, मुझे उसको प्राथमिकता देनी है ।

श्री नाथ पाई : क्या मैं स्थिति स्पष्ट कर सकता हूं । वक्तव्य में परस्पर विरोधी बातें हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यदि केवल परस्पर विरोधी बातें हैं तो इसमें कोई औचित्य का प्रश्न नहीं है ।

श्री नाथ पाई : गांधी समाधि विधेयक पर चर्चा के दौरान गांधी जी और नेताजी की मूर्ति लगाने के प्रश्न पर भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने कहा था कि "हमें पूरा विश्वास नहीं है कि नेताजी अभी जीवित हैं या नहीं ; इसलिये सरकार की ओर से ढील है ।" इसका कारण यह नहीं था कि किसी संस्था ने मूर्ति देने की पेशकश नहीं की थी । क्या हम यह समझें कि देश के किसी भी भाग से यदि कोई व्यक्ति मूर्ति देगा तो सरकार उसको लगा देगी और राष्ट्रनिर्माताओं की मूर्तियां लगाने में वह पहल नहीं करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : श्री श्याम लाल सर्राफ ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : यह कहां तक ठीक है कि सरकार दिल्ली से विदेशियों की सभी मूर्तियां हटाने का विचार कर रही है और इन को किसी अजायबघर में रखना चाहती है ! यदि हां, तो ऐसा कितना जल्दी किया जायेगा ?

श्री ल० ना० मिश्र : उन में से आठ तो हटा दी गई हैं और चार अभी हटानी हैं ।

श्री रंगा : इस प्रश्न को कोई महत्व ही नहीं दिया गया है । इस का उत्तर केवल उप मंत्री दे रहे हैं ।

श्री ल० ना० मिश्र : इन को रखने के लिये अजायबघर में स्थान नहीं मिल रहा है अतः इन को 'एक्ज़ीबीशन ग्राउन्डस' में रखा जा रहा है ।

श्री श्याम लाल सर्राफ : कितनी जल्दी ?

श्री ल० ना० मिश्र : बहुत जल्दी ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि विदेशियों की इन मूर्तियों पर जो दिल्ली में हैं, खर्च किसने किया था और क्या उस समय सरकार की नीति यह थी कि मूर्तियों का निर्माण सरकारी खर्चे पर किया जाये ; यदि हां, तो सरकार को यह कहने की क्यों आवश्यकता पड़ी है कि अब जो मूर्तियां लगायी जायेंगी उन को जनता देगी ?

श्री नन्दा : बहरहाल मैं अतीत के इतिहास में खोज नहीं कर रहा हूं, परन्तु वर्तमान कार्य-प्रणाली यही है जिस का अभी वर्णन किया गया है ।

श्री नाथ पाई : हम पुरानेही-लोग तो हैं ।

श्री नन्दा : यह एक सुझाव है कि सम्भवतया यह बिल्कुल संतोषजनक नहीं है । ठीक है, इस पर विचार किया जायेगा । उत्तर यही था परन्तु मैं प्रत्यक्षतया ऐसा नहीं कह सका क्योंकि कुछ बातों पर विचार करना हैं.....

श्री हरि विष्णु कामत : मंत्रिमण्डल को इस पर विचार करना पड़ेगा ।

श्री नाथ पाई : 17 वर्ष ।

श्री दी० चं० शर्मा : श्रीमन् एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री नन्दा : अभी तक विचार यह था कि लोगों को अपने आप एक बड़े नेता की याद के लिये आदर दिखाना चाहिये ।

श्री हरि विष्णु कामत : सरकार उनका आदर नहीं करती ?

श्री नन्दा : सरकार आदर करती है परन्तु क्या लोगों को ऐसा करने के अवसर से वंचित कर दिया जाये ?

श्री हरि विष्णु कामत : आपका धन्यवाद । बहुत अच्छा ।

श्री दी० चं० शर्मा : श्रीमन्, मेरा व्यवस्था प्रश्न यह है कि हम यह कैसे भेद करें कि एक मंत्री द्वारा प्रकट किये गये विचार उसके व्यक्तिगत रुप में हैं अथवा उसके मंत्रिमण्डल का एक

सदस्य होने के रूप में है ? यदि इस को स्पष्ट नहीं किया जाता, हम यह कैसे समझे कि माननीय गृहमंत्री मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिये तैयार नहीं हैं ? यदि वह गृहकार्य मंत्री हैं, तब यह एक अनुक्रमिक चीज़ हैं और यह कहना उन के लिये कैसे सम्भव है कि वह अतीत पर दृष्टिपात नहीं करना चाहते और उन का केवल अब 11.25 म० पू० से ही सम्बन्ध है ? भारत सरकार ब्रिटिश सरकार की उत्तराधिकारी है और इसलिये भूत के बारे में जानना उतना ही आवश्यक है जितना कि अब 11.25 म० पू० के बारे में।

अध्यक्ष महोदय : जब मैं किसी माननीय सदस्य को अनुशासन बनाये रखने और अपने पर काबू रखने के लिये कहता हूं, तो मुझे खेद है, कि इस बात की बिलकुल उपेक्षा की जाती है। हमें अनुशासन में रहना चाहिये और नियमों के अनुसार चलना चाहिये।

श्री भागवत झा आजाद : कार्यप्रणाली के बारे में, जिस का माननीय मंत्री जी ने अभी उल्लेख किया है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सरकार की निश्चित नीति है कि राष्ट्रपिता अथवा भूत-पूर्व राष्ट्रपति जैसे व्यक्तियों की मूर्तियाँ तभी लगाई जा सकती हैं जब वे कुछ गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा दान में दी जायें अथवा क्या यह सरकार की नीति है कि ऐसी मूर्तियां सरकारी खर्च पर स्थापित की जा सकती हैं ?

श्री नन्दा : मैंने इन प्रश्नों का पहले ही उत्तर दे दिया है।

श्री भागवत झा आजाद : उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसका उत्तर दे दिया है।

श्री भागवत झा आजाद : जी, नहीं। उन्होंने केवल यह कहा है कि यह कार्यप्रणाली अब तक थी। मैं अब एक विशिष्ट प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या यह सरकार की निश्चित नीति है कि मूर्तियां तभी स्थापित की जायेंगी जब वे गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा दान में दी जायेंगी अथवा क्या वे सरकार के खर्चे पर भी लगाई जा सकती हैं ?

अध्यक्ष महोदय : अब तक यही नीति रही है और क्योंकि अब एक सुझाव दिया गया है, सरकार कहती है कि इस पर विचार किया जायेगा। यही उत्तर है जो दे दिया गया है।

Shri Madhu Limaye : The impression of the people is that efforts are being made so that people forget the names of Mahatmaji, Netaji, Shradhanandji and Rajendra Babu.....

Some hon. Members : No, No.

Shri Madhu Limaye : I therefore, want to know whether the Government will install the Statues of these leaders, just referred to by me at the places where the statues of foreigners were in Delhi and whether the Government is in a position to give any specific assurance in this regard ?

Mr. Speaker : It has already been answered. The hon. member has perhaps not heard.

Shri Madhu Limaye : It has not been answered.

उर्वरक कारखाने

+

*636. श्री हिम्मत सिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री हेम बरुआ :
श्री उमानाथ :
श्री नम्बियार :
श्री इम्बीचिबावा :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री गोकुलानन्द महन्ती :
श्री रामचन्द्र मलिक :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री कृ० चं० पन्त :
श्री मा० ल० जाधव :
श्री राम सेवक :
श्री फ० गो० सेन :
श्री टे० सुब्रह्मण्यम :
श्री रामपुरे :
श्री कोया :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक संयुक्त अमरिकी-भारत निगम भारत में 5 उर्वरक कारखाने स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है ;

(ख) इस संयुक्त उद्यम की शर्तें क्या हैं ; और

(ग) प्रस्तावित योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी नहीं। दस लाख मीटरीटन नाइट्रोजन की अतिरिक्त क्षमता की स्थापना के सम्भाव्य अध्ययन कार्य के लिए एक अमरीकी फर्म को कहा गया है।

(ख) और (ग) सम्भाव्य रिपोर्ट के प्राप्त होने के बाद ही स्कीम की शर्तें और मुख्य बातों को जाना जायेगा।

श्री हिम्मत सिंहका : क्या इस निर्णय करने से पहले कोई चर्चा की गई थी और यदि हां, तो क्या किसी स्थान अथवा मूल सामग्री के, जो इन उर्वरकों के लिये प्रयोग में लाई जायेंगी, बारे में कोई चर्चा की गई है ?

श्री अलगेसन : जी, हां। कुछ प्रारम्भिक चर्चा की गई थी, जिस के फलस्वरूप इस निगम को यह अध्ययन कार्य सौंपा गया है। स्थान के बारे में भी कुछ सुझाव दिये गये थे। कोई पांच अथवा छः स्थानों, जैसे मद्रास, कोचीन, हलदिया आदि, के सुझाव हैं। नेपथा (फिनायल) के स्टाक का उपयोग किया जायेगा।

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या मैं इस के कारण जान सकता हूं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 17 वर्षों के पश्चात् भी हमारे पास उर्वरकों की, जो कृषि उत्पादन में वद्धि करने के लिए बहुत आवश्यक चीज़ है, इतनी कमी क्यों है ?

श्री अलगेसन : यह निश्चय पूर्वक एक संगत प्रश्न है। हम तीसरी योजना के अपने लक्ष्यों को पूरा करने में असमर्थ रहे थे, परन्तु हम उर्वरक कारखानों की स्थापना करने के जोरदार कार्यक्रम पर चलकर इस कमी को पूरा करने के प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या कारखाने के आकार के बारे में संयुक्त राज्य के सार्थ संघ और भारत सरकार के बीच कोई मतभेद है और यदि हां, तो वह मतभेद क्या है और सरकार छोटा कारखाना स्थापित करने के लिये क्यों विचार कर रही है ?

श्री अलगेशन : यह प्रश्न अभी नहीं उठा है; हमें अभी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। जहां तक मुझे पता है कोई मतभेद नहीं है।

श्री विश्वनाथ राय : इन कारखानों को स्थापित करने के लिए एक विदेशी कम्पनी को आमन्त्रित करने से पूर्व, क्या इस प्रयोजन के सम्बन्ध में किसी भारतीय कम्पनी से परामर्श किया गया था ?

श्री अलगेशन : गैर-सरकारी क्षेत्र में भी कई कारखानों को लाइसेंस दिये गये हैं।

श्री फ० गो० सेन : क्या निगम ने किसी विशेषज्ञ को इस विषय पर विचार करने के लिये भेजा है ?

श्री अलगेशन : भारत में कुछ क्षेत्रीय दल पहले ही हैं और वे इस प्रश्न का अध्ययन कर रहे हैं।

श्री मुथिया : क्या सरकार तूतीकोरिन में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने का इरादा रखती है ?

श्री अलगेशन : वहां एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिए एक गैर-सरकारी पक्ष को लाइसैंस दिया गया था परन्तु दुर्भाग्य से उस पक्ष ने अपना लाइसैंस वापस कर दिया।

श्री तुलशीदास जाधव : उत्पादन की मात्रा कितनी है और लोगों की मांग कितनी है।

श्री अलगेशन : गत वर्ष के आंकड़ों के अनुसार नाइट्रोजन का उत्पादन $2\frac{1}{2}$ लाख टन था और मेरे विचार से इतनी ही मात्रा का आयात किया गया और दोनों मात्राओं को मिलाने से मांग का पता लग जाता है।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : गैर-सरकारी क्षेत्र को कितनी मात्रा के लिये लाइसैंस दिया गया था और गैर-सरकारी क्षेत्र इस को पूरा क्यों नहीं कर सका ?

श्री अलगेशन : मैं अभी मात्रा नहीं बता सकता हूं। मेरा यह विचार है कि बिजाग में एक गैर-सरकारी संस्था को लगभग 80,000 टन नाइट्रोजन के लिये लाइसैंस दिया गया था और इतना ही कोठगुडम में एक और कारखाने को लाइसैंस दिया गया है।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबीर) : कई गैर-सरकारी सार्थों को लाइसैंस दिये गये थे। दुर्भाग्य से इस में से अधिक असफल रहे हालांकि कारखानें काफी बड़े थे। एक एकक की क्षमता 60,000 अथवा 80,000 टन थी। मुख्य कारणों में से यह भी एक कारण है कि तीसरी योजना के लक्ष्यों को पूरा नहीं किया जा सका है। अब सरकार उन कारखानों को स्वयंस्थापित करेगी जिन को गैर-सरकारी क्षेत्र नहीं कर सका।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है कि वे कारखाने क्यों स्थापित नहीं कर सके ?

श्री हुमायून कबीर : विदेशी सहयोग हासिल करने में उन्हें कठिनाइयां थीं। प्रत्येक उर्वरक कारखाने की लागत में 50 प्रतिशत विदेशी मुद्रा शामिल है और अत्याधिक मामलों में वे विदेशी मुद्रा प्राप्त नहीं कर सके ; और कुछ मामलों में वे आन्तरिक पूंजी भी इकट्ठी नहीं कर सके।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या यह सच है कि अमरिकी सार्थ संघ के प्रवक्ता ने सरकार को विश्वास दिलाया कि यदि देश में उन को कारखाने स्थापित करने दिये जांये, तो वे उर्वरक उत्पादन अब की अपेक्षा अधिक कम लागत पर कर सकेंगे ?

श्री अलगेशन : यह सब जानकारी अर्थात् उत्पादन की लागत क्या होगी और यह कहां तक सस्ता पड़ेगा आदि तभी उपलब्ध होगी जब प्रतिवेदन हमारे सामने आयेगा।

श्री अ० प्र० जैन : औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प के अनुसार लाइसैंस सरकारी क्षेत्र को मिलने थे। गैर-सरकारी क्षेत्र को लाइसेंसों का बंटवारा करते समय इस बात का उचित ध्यान क्यों नहीं रखा गया कि क्या लाइसैंसदार उनकी मांग को पूरा करने की स्थिति में थे ?

श्री अलगेशन : जहां तक औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प का सम्बन्ध है, दोनों सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में कारखाने स्थापित करना सम्भव है। जैसा कि श्री कबिर ने उत्तर दिया कि दुर्भाग्य से गैर-सरकारी क्षेत्र लक्ष्यों को पूरा करने में असमर्थ था। जहां वे ऐसा नहीं कर सके हम वहां आगे बढ़ रहे हैं।

श्री हुमायून कबीर : मैं यह भी बतादूं कि कुछ लाइसैंस उस समय जारी किये गये थे जब मेरे माननीय मित्र खाद्य और कृषि मंत्रालय के भारसाधक थे।

श्री अ० प्र० जैन : एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह कहना बिलकुल गलत है कि खाद्य और कृषि का लाइसैंस जारी करने के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है; वह दूसरों पर दोष लगाकर अपनी गलतियों पर पर्दा डालना चाहते हैं।

बरौनी तेल शोधक कारखाने से नेपथा (फिनायल) ले जाने के लिए पाइप लाइन

\+

*637. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री चांडक :
श्री बाकलीवाल :
श्री वाडीया :
श्री सूर्य प्रसाद :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
श्री उइके :

क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बरौनी तेल शोधक कारखाने से उत्तर प्रदेश में गोरखपुर तक नेपथा (फिनायल) ले जाने के लिये एक पाइप लाइन बिछाने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार से एक प्रस्ताव मिला है जिसमें प्रार्थना की गई है कि यह पाइप लाइन मध्य प्रदेश की सीमासे भी गुजरनी चाहिये ताकि मध्य प्रदेश राज्य के पेट्रो-रासायनिक उद्योगों के विकास के लिये नेपथा का उपयोग करने के बारे में व्यवस्था की जा सके ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी हां ।

Shri Hukam Chand Kachavaiya : May I know the reaction of the Government on the proposal received from the Government of Madhya Pradesh. Have the Government written anything to that Government and if so, what is it ?

श्री हुमायून कबिर : हम ने मध्य प्रदेश सरकार को अन्तर्ग्रस्त मात्राओं तथा उद्योग के प्रकार की, जो उन के दिमाग में हैं, जानकारी देने के लिये कहा है। उन्हों ने अभी इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया है ।

Shri Hukum Chand Kachhavaiya : The Hon. Minister has said that they are not considering to lay a pipe-line. May I know whether the Government have taken into account the profit we will have from it ?

श्री हुमायून कबिर : यह कहना सही नहीं है कि हम पाईप लाईन बिछा रहे हैं और हम वहां पाइप लाइनें बिछायेंगे जहां ऐसा करना लाभकारी होगा ।

श्री प्र० चं० बरुआ : बावजूद इसके कि आसाम अन्य राज्यों से 70 वर्ष आगे है जहां तक तेल उद्योग का सम्बन्ध है । नेपथा के उत्पादन का स्रोत बरौनी में नहाकोटिया में है, क्या मैं जान सकता हूं कि आसाम को पेट्रोकेमीकल उद्योगों के मानचित्र से क्यों अलग रखा गया है ?

श्री हुमायून कबिर : आसाम 70 वर्ष नहीं 60 वर्ष आगे है । परन्तु कैसा भी हो, इसका मुख्य कारण यह है कि संसार में अब तक नेपथा पर आधारित पेट्रोकेमीकल उद्योगों की जानकारी नहीं थी । यह केवल गत 10 वर्ष से ऐसा किया गया है । यह तो नेपथा और गैस की उपलब्धता पर निर्भर रहेगा । इन को ध्यान में रखा गया है और दो विशेषज्ञ समितियों ने, जिन्हों ने इस प्रश्न पर विचार किया है, यह सुझाव दिया है कि आसाम में केवल कुछ लघु उद्योग स्थापित किये जायें ।

Shri R. S. Tiwary: Since the proposed pipe line will pass through Madhya Pradesh, may I know whether a pipe line will also be laid in Madhya Pradesh simultaneously or it is proposed to lay it afterwards ?

श्री हुमायून कबिर : मैंने पहले ही कहा है कि हम ने मध्य प्रदेश सरकार से यह जानकारी देने के लिये कहा है कि उन को नेपथा की कितनी मात्रा की आवश्यकता है और किस प्रयोजन के लिये । यह मध्य प्रदेश के सन्निकट मिरजापुर और अलाहाबाद के बीच से गुज़रेगी । यदि हमें अपेक्षित जानकारी दी जायेगी तो हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या मैं इस के कारण जान सकता हूं कि सरकार नेपथा को बरौनी से कहीं और स्थान पर ले जाने के लिये विचार कर रही है जब कि इस का उपयोग वहीं पर करने के लिये एक फर्म का प्रस्ताव था ? आर्थिक दृष्टि से यह अच्छा नहीं होगा ।

श्री हुमायून कबिर : मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य को यह जानकारी कहां से प्राप्त हुई है । कुछ नेपथा का उपयोग हम बरौनी पर भी करना चाहते हैं ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या मध्य प्रदेश सरकार से पूछ ताछ की गई थी, क्या कोई प्रस्ताव किया गया था और इस में उन का क्या योगदान होगा और इस से उन को कितना लाभ आदि होगा ?

श्री हुमायून कबिर : ये सब प्रश्न तो तब उठेंगे जब हमें पता लगेगा कि मध्य प्रदेश सरकार क्या चाहती है ।

श्री राधेलाल व्यास : क्या नेपथा के उपयोगीकरण के लिये कोई परिमाप किया गया है कि कौन से प्रदेश हैं और इस का कितना उपयोग होगा आदि, और यदि हां, तो क्या ऐसा परिमाप मध्य प्रदेश में भी किया गया था ?

श्री हुमायून कबिर : एक अखिल भारतीय परिमाप किया जा रहा है क्योंकि हम ने देश में विभिन्न भागों में पेट्रोलियम उत्पादों की वितरण सम्बन्धी स्थिति जाननी है और मध्य प्रदेश भारत से बाहर नही है ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : On a point of order, Sir. In Hindi Translation it should have been 'resettlement of immigrants' and not **'resettlement of migrants'** which is wrong.

प्रव्रजकों को बसाना

*638. **श्री हुकमचन्द कछवाय :**
श्रीमती पिनीमाता :
श्री उइके :
श्री बड़े :
श्री चांडक :
श्री विद्या चरण शुक्ल :
श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय किया है कि कृषि भूमि की कमी के कारण पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले नये प्रव्रजकों के लिये यथा सम्भव उद्योगों की व्यवस्था करना वांछनीय होगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक तैयार की गई योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ।

पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) कृषि भूमि की कमी होने के कारण सरकार का प्रस्ताव है कि जहां तक संभव हो अधिक से अधिक संख्या में नये प्रव्रजकों को उद्योगों में बसाया जाये । कुछ परिवारों को, मुर्गीपालन, गोपालन, पशुपालन अभिजनन (कैटल ब्रीडिंग) तथा अन्य कृषि उद्योगों में भी बसाया जायेगा ।

(ख) एक विवरण जिसमें किये गये उपायों तथा अपेक्षित उपायों का ब्यौरा दिया गया है सभा-पटल पर रख दिया गया है। **(पुस्तकालय में रखा गया है। देखिये एल० टी० संख्या 3714/64)**

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Ma/ I know the number of migrants who are to be rehabilitated separately in industries and an agricultural lands and the number of those to whom the Government do not propose to give anything ?

डा० म० मो० दास : गत जनवरी से अब तक कुल 8.32 लाख व्यक्ति आये हैं। इन में से 2.80 लाख हमारे कैम्पों में हैं। इन में से केवल 17,000 परिवारों को कृषि भूमि में बसाया जा सकता है। शेष लोगों को बसाने के लिये हमें अन्य साधनों को खोजना है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know the number of refugees who came in Madhya Pradesh and Uttar Pradesh and whether they will be provided employment in the Central Government and also in the State Government ?

डा० म० मो० दास : यह सब ब्योरा अभी मेरे पास नहीं है। परन्तु इन शरणार्थियों को सरकारी नौकरी में लेने के लिये प्रस्ताव हैं जब भी इन में से उपयुक्त अभ्यर्थी मिलेंगे।

श्री बसुमतारी : हम ने सुना है कि इन योजनाओं के लिये राशि नियत की गई है। अब तक कौन से उद्योग स्थापित कर दिये गये हैं ?

डा० म० मो० दास : हम ने सभा पटल पर रखे गये विवरण में ब्योरा दे दिया है।

Shri Onkar Lal Berwa : I would like to know as to whether Government are taking any action to grant Indian citizenship to those who have been resettled ?

Mr. Speaker: It is a separate question.

Shri Onkar Lal Berwa : Mr. Speaker, this question does arise out of the main question. When they have been given money, loans and agricultural land, may I know whether they will also be granted Indian citizenship ?

Mr. Speaker : It does not relate to the main question, the hon. member might agree with me.

श्री नरेन्द्रसिंह महीड़ा : क्योंकि सरकार प्रर्वजकों को उद्योगों में नौकरी देने में असमर्थ है, क्या सरकार गैर-सरकारी व्यापारिक संस्थाओं अथवा सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में इन प्रव्रजकों को नौकरी दिलाने की सिफारिश करेगी ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : यदि उस क्षेत्र में सरकारी व्यापारिक संस्थायें आरम्भ की जायेंगी तो उन को वहां नौकरी दी जायेगी। यदि किसी गैर-सरकारी पक्ष को उपयुक्त उद्योग के लिये लाइसैंस दिया जायेगा तो उस पक्ष की सहायता इस शर्तपर की जायेगी कि वे प्रर्वजकों को नौकरी दें।

डा० रानेन सेन : पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को समस्त भारत में भेजा जा रहा है। जहां भी उन्हें अन्य राज्यों में भेजा जा रहा है, क्या उन शरणार्थियों को उन क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों में लगाने के लिये प्रबन्ध किये गये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हों ने इस का उत्तर दे दिया है।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार को यह मालूम है कि सामान्यता बंगाली लोगों की मनोवृत्ति ऐसी नहीं है कि वह विस्थापन कि आघात को सह सके हैं और यदि हां, तो क्या सरकार बंगालियों को केवल बंगाल में ही बसाने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है ?

डा० म० मो० दास : माननीय सदस्य की यह धारणा सही नहीं है ।

Shri Rameshwaranand : When a member of refugees have been settled in poultry and pigery, whether these migrants from East Bengal have been entrusted with the work of cow breeding and if so, the number thereof ?

डा० म० मो० दास : हम पशु अभिजनन के लिये गौशालाओं की स्थापना करने का प्रबन्ध कर रहे हैं ।

Shri Hukum Chand Kachhavaiya : First part of my question that how many refugees have been resettled in Uttar Pradesh and Madhya Pradesh, may be answered ?

Mr. Speaker : He has already stated that the figures are not available with him at present.

श्री हरि विष्णु कामत : क्या सरकार ने पूर्वी बंगाल से आय प्रर्वजकों को जम्मू तथा काश्मीर में बसाने की सम्भावनाओं का समन्वेषण अथवा पुनः समन्वोषण किया है और यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न शरणार्थियों को बसाने के लिये उद्योगों को शुरू करने के बारे में है ।

श्री हरि विष्णु कामत : जी, हां । मैं जम्मू तथा काश्मीर में उद्योगों के बारे में पूछ रहा हूं ।

श्री त्यागी : जम्मू तथा काश्मीर में अभी तक कोई उद्योग स्थापित नहीं किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : वहां कोई उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ।

श्री त्यागी : अभी नहीं ।

श्री हरि विष्णु कामत : इस के क्या कारण हैं ?

अध्यक्ष महोदय : हमें विवाद नहीं करना चाहिये : उन्होंने बताया है, कि वहां पर कोई उद्योग शुरू करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्यों नहीं ? जब सभी राज्यों में शरणार्थियों को बसाया जा रहा है तो जम्मू तथा काश्मीर में क्यों नहीं ?

श्री त्यागी : इस विषय में हम राज्यों पर कोई दबाव नहीं डाल रहे हैं । राज्य अपने आप सहायता के लिये आगे आ रहे हैं ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या नये उद्योग चालू किये जा रहे हैं; यदि हां, तो क्या इन लोगों को उद्योगों के निकट बसाने के लिये भी प्रबन्ध किये जायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : इस का उन्होंने पहले ही उत्तर दे दिया है ।

Shri Bibhuti Mishra : When the refugees from East Bengal were rehabilitated in Champaran, the Government had promised to provide them employment there but nothing was done later on. May I know whether the Government are considering to start any industry to rehabilitate them and as they were promised last time, but nothing was done and whether this time also the same thing will be repeated.

डा० म० मो० दास : माननीय सदस्य उड़ीसा में एक विशिष्ट कैम्प के बारे में जानकारी चाहते हैं। इस सम्बन्ध में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

संविधान के कुछ अनुच्छेदों को जम्मू और काश्मीर में लागू करना

\+

*640. **श्री रवीन्द्र वर्मा :**
श्री पें० वेंकटासुबय्या :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काश्मीर सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद जम्मू और काश्मीर राज्य में लागू किये जाने चाहियें; और

(ख) यदि हां, तो ये अनुच्छेद कौन से हैं तथा राज्य सरकार के अनुरोध पर केन्द्रीय सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) (i) अनुच्छेद 356 और 357; और
(ii) अनुच्छेद 81 (बिना किसी परिवर्तन के)।

अनुच्छेद 356 और 357 के बारे में राष्ट्रपति का एक आदेश अनुच्छेद 370 के अधीन जारी किया गया है। जहां तक अनुच्छेद 81 का सम्बन्ध है, सब उपचारों के होने के बाद राष्ट्रपति का एक आदेश जारी किया जायेगा।

श्री रवीन्द्र वर्मा : क्या यह सच है कि काश्मीर सरकार ने केन्द्रीय सरकार से जम्मू तथा काश्मीर राज्य पर समवर्ती सूची, भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता को लागू करने के रवैये के सम्बन्ध में पूछा है ?

श्री हाथी : जहां तक भारतीय दंड संहिता का सम्बन्ध है, मेरे विचार में, उन्होंने नहीं पूछा है; परन्तु उन्हों ने समवर्ती सूची के बारे में पूछा है।

श्री रवीन्द्र वर्मा : समाचार पत्रों से पता चला है कि काश्मीर के प्रधान मंत्री ने हाल ही में दिल्ली में कहा था कि एकीकरण की प्रक्रिया में शीघ्रता लाने के लिये उन की सरकार ने उस राज्य पर अधिक अनुच्छदों तथा विधियों को लागू करने के लिये केन्द्रीय सरकार से कहा है। क्या सरकार से मैं यह जान सकता हूं कि वे कौन से अनुच्छेद और विधियां हैं जो अनुच्छेद 356 और 357 के अन्तर्गत नहीं आते हैं ?

श्री हाथी : उन सभी अनुच्छेदों तथा विधियों की पूरी सूची देना कठिन होगा। प्रविष्टि 43, प्रविष्टि 78, प्रविष्टि 33 और प्रविष्टि 34 के बारे में भी हम सोच रहे हैं। ये वास्तव में सूची में प्रविष्टियां है न कि अलग अलग विधियां।

श्री पें० वेंकटासुबय्या : क्या मैं जान सकता हूं कि अनुच्छेद 370 का निराकारण करने में और पूर्णरुपेण एकीकरण करने में सरकार के मार्ग में यथार्थ रुप से कौनसी रुकावट है ? क्या इस का कारण राज्य सरकार की अनिच्छा है अथवा इस का कारण इस सरकार की हिचकिचाहट है ?

अध्यक्ष महोदय : इस पर तो अगले दिन पूर्णरुपेण चर्चा की गई थी ।

Shri Prakashvir Shastri : While speaking on the Bill in respect of abrogation of the article 370 relating to Jammu and Kashmir State, the Minister of Home Affairs had stated that the article 370 would become ineffective itself after the articles 356 and 357 were made applicable to that State and also that they were taking certain steps as a result of which this article would become ineffective, may I know as to why this article 370 is not being abrogated instead of taking such other measures and what stands in the way of the Government in doing so ?

Mr. Speaker : It has already been answered.

Shri Prakashvir Shastri : The Hon. Minister wants to give a reply. He may be allowed to do so.

Mr. Speaker : I will not allow him to do so even if he wants to give a reply. It does not need any anwser.

श्री श्यामलाल सर्राफ : भारतीय दंड संहिता को जम्मू तथा काश्मीर पर लागू करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है अथवा रखा जा रहा है कि ऐसी अन्य विधियां जैसे गौ वध निषेध आदि, जो वहां पर 150 वर्षों से भी अधिक समय से प्रचलित हैं, जारी रखी जांय ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : जब हम कहते हैं कि वहां एक प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया इन सभी अन्य प्रतिफलों का ध्यान रखेगी ।

Shri Ram Sevak Yadav: Is it a fact that the Prime Minister of Kashmir is discussing with the Government of India for full integration of Kashmir, if so, what is the position now ?

Shri Hati: The articles 356 and 357 which have now been made applicable to Kashmir, will bring about the required position gradually.

Shri Yogendra Jha: We have made a number of promises with regard to Kashmir in U. N. O., whether the application of the articles of the Constitution will have any effect on these promises and whether there will be a different reaction in the world in this matter ?

Shri Nanda : I do not think this will create any difficulty for us.

Shri Sidheshwar Prasad: It has been reported in the press that the Prime Minister of Jammu and Kashmir met Hon. Home Minister and there was further discussions regarding Jammu and Kashmir, may I know how far these discussions have gone ?

Shri Nanda: I cannot say anything about all these things, but it has already been stated that we will go ahead in this matter.

Shri Onkar Lal Berwa: May I know whether there is any foreign pressure as a result of which the integration of Kashmir with the rest of India is not being made.

Shri Nanda : There is no such question.

Shri Bhagwat Jha Azad : The Prime Minister of Kashmir said yesterday before the Members of Parliament that he wants that the other articles of the Constitution might be made applicable to Kashmir as soon as possible. The Minister of Home Affairs has also himself said that under article 370 we will be able to make applicable other articles of Constitution to Kashmir. When all are in our favour, may I know the time it would take to make the other articles applicable to Kashmir according to their gradual policy ?

Shri Nanda : I have already said that this is being done and something more will be done.

Shri Bhagwat Jha Azad : It is being done very slowly. We should not go slow in this matter.

श्री दी० चं० शर्मा : क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने जम्मू तथा काश्मीर राज्य पर अनुच्छेद 356 और 357 लागू करने का विरोध किया है और मामलों को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाने की धमकी दी है ? यदि हां, तो क्या सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ में इस के प्रत्युपाय के रुप में आज़ाद काश्मीर और उस क्षेत्र में प्रजातंत्रात्मक स्वाधीनताओं के अभाव सम्बन्धी प्रश्न को भी उठायेगी ?

श्री नन्दा : हम ने जो कार्यवाही की है उस पर आपत्ति करने के पाकिस्तान के अधिकार को मैं नहीं मानता ।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार ने इस बात की छानबीन अच्छी तरह कर ली थी कि इस हमारी कार्यवाही से संयुक्त राष्ट्र संघ में तथा हमारे पड़ोसी पाकिस्तान पर क्या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ।

श्री नन्दा : जी, हां ।

कोयला ब्रिकेट

*641. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धनबाद के समीप जीलगोरा स्थित केन्द्रीय ईंधन अनुसन्धान संस्था ने धातुकार्मिक प्रयोग के लिये नान-कोकिंग कोयले से ब्रिकेट तैयार करने का एक सफल तरीका खोज निकाला है,

(ख) क्या इन ब्रिकेटों की साधकता का पता लगाने के लिये इनका धमन भट्टियों में परीक्षण किया गया है, और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां । अनुसंधान संस्था ने धातुकार्मिक कार्य के लिए नान-कोकिंग कोयले की उपयोगिता पर प्रयोगशाला स्तर पर प्रयोग किए हैं, जिन के उत्साहजनक परिणाम निकले हैं ।

(ख) जी, अभी तक नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है ।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : धातुकार्मिक कोयले की भारी कमी को ध्यान में रखते हुए क्या इस प्रक्रिया को शीघ्र अपनाया जायेगा । जिस से हम बहुत जल्दी परिणाम निकाल सकें ?

श्री मु० क० चागला : हम बहुत शीघ्रता कर रहे हैं फिर भी इस में कुछ समय लगेगा ।

Buddhist Conference

\+

*643. { **Shri Vishwa Nath Pandey :**
Shri Hem Barua :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Buddhist Conference was held at Sarnath, Varanasi, Uttar Pradesh in November, 1964 ;

(b) if so the number of countries then participated in it ; and

(c) the kind of assistance given by the Government for this conference ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) Yes, Sir, from 29th November to 4th December, 1964.

(b) 25.

(c) The Government assisted the organisers of the Conference in getting railway concession, accommodation for the conference ; facilities in respect of customs duty and visas and also helped them in the General management.

Shri Ram Sevak Yadav : Mr. Speaker, question No. 642 has not been taken.

Mr. Speaker : I shall look into it just now. If it would be possible we would take it up in the remaining time.

Shri Vishwa Nath Pandey : The Government had given assistance to the Eucharistic Conference held in Bombay, may I know whether such an assistance had also been given to Buddhist Conference ?.

श्री मु० क० चागला : वास्तव में बौद्ध सम्मेलन को ईसाई धर्म सम्मेलन से कहीं अधिक सहायता दी थी । आरम्भ में विचार था कि इस सम्मेलन का प्रबन्ध भारत में बौद्ध समाज द्वारा किया जायगा परन्तु जब हम ने देखा कि उचित प्रबन्ध नहीं किये गये हैं तो हम ने इस सम्मेलन की सहायता के लिये 50,000 रूपये की मंजूरी दी ।

उड़ीसा के मुख्य मंत्री के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच

*644. { **श्री राम हरख यादव :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री हेमराज :

क्या गृह-कार्य मंत्री 18 नवम्बर, 1964 को सभा में दिये गये अपने इस वक्तव्य के सम्बन्ध में कि उड़ीसा के मुख्य मंत्री तथा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के बारे में की गई जांच पर और आगे कार्यवाही करने का निर्णय नवम्बर के अन्त तक अथवा उससे पहिले कर लिया जायेगा यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि मंत्री ने प्रेस को बताया है कि निर्णय दिसम्बर के अन्त तक ही किया जा सकेगा ; और

(ग) इस विलम्ब के क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : इसे मामले में अगले कदम पहले ही उठाये जा चुके हैं और तेज़ी से कार्यवाही की जा रही है ।

(ख) गृह मंत्री ने आशा प्रकट की थी कि सम्भव है संसद के चालू अधिवेशन के समाप्त होने से पूर्व ही निर्णय लिये जा सकें।

(ग) कोई विलम्ब नहीं हुआ ।

श्री हरि विष्णु कामथ : केवल आशा प्रकट की है ?

श्री सुरेन्द्रनाथ त्रिवेदी : समाचार पत्रों में यह छपा है कि इन मंत्रियों तथा श्री बी० पटनायक के विरुद्ध आरोपों के बारे में मंत्रिमंडल की उपसमिति एक प्रयोगात्मक निष्कर्ष पर पहुंच गयी है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ये आरोप राष्ट्रपती को बताये गये थे और केन्द्रीय गुप्त वार्ता विभाग के प्रतिवेदन से स्पष्ट हो गया था कि गड़बड़ घोटाला हुआ है, इस विषय पर मंत्रिमंडल की उपसमिति क्यों विचार कर रही है और माननीय मंत्री निर्णय लेने और सदन को जान कारी देने में क्यों असमर्थ हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : मैं इस धारणा से सहमत नहीं हूं कि कोई गड़बड़ घोटाला हुआ है ऐसा स्पष्ट मालम हो जाता है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या यह नहीं किया गया है ।

श्री नन्दा : जीं, नहीं । मैं और मेरे साथी इस की अभी जांच कर रहे हैं । अत: इस समय मैं कोई सही उत्तर नहीं दे सकता हूं । आरोप लगाये गये है और इस के बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही ।

श्री हरि विष्णु कामथ : आरम्भिक अवस्था ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : ज्ञापन में कुछ आरोप लगाये गये थे, जिन पर केन्द्रीय गुप्त वार्ता विभाग द्वारा छानबीन करनी थी उसने एक व्यापक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । यह भी बताया गया है कि कुछ मामलों में फाईलें ही लापता थीं और वे उन को नहीं दिखाई गईं । फिर भी वे 15 मामलों में निष्कर्ष पर पहूंच गये हैं और उन की अपनी घोषणा के अनुसार भ्रष्टाचार का मामला स्पष्ट है ।

अध्यक्ष महोदय : आप क्या जानकारी चाहते हैं ?

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवदी : जब ये सभी तथ्य सरकार को उपलब्ध हैं और प्रधान मंत्री की इस घोषणा को ध्यान में रखते हुए कि जैसे ही स्पष्ट मामला बनाया जायेगा तो सम्बन्धित व्यक्तियों को इस्तिफ़ा देना पड़ेगा और मामला एक न्यायालय को सौंपा जायेगा अत: मंत्रिमंडलीय उपसमिति इस विषय से क्यों लगी हूई है और यद्यपि उन्होने कुछ निष्कर्ष निकाल लिये हैं तो क्या वे राजनैतिक दबाव के कारण इस सभां में उन की घोषणा नहीं करना चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वह कोई जानकारी नहीं चाहते हैं ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्योंकि उन्हों ने धमकी दी है.

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री नन्दा : मैं इस, आक्षेप का विरोध करता हूं कि हम किसी दबाव के कारण अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर रहे हैं । वास्तव में कोई दबाव नहीं डाला जा रहा है । जैसा मैंने प्रश्न के अन्य भाग का उत्तर देते हुए पहले कहा है मैं फिर दुहराता हूं कि कुछ रिकार्डों से सामग्री एकत्रित की है और उनकी जांच की जा रही हैं । हम अभी इस कार्य को समाप्त नहीं कर सके हैं ।

श्री हरि विष्णु कामथ : इस में कितना समय लगेगा ?

श्री ही० ना० मुकर्जी : ऐसे मामले को, जिस में एक राज्य के मुख्य मंत्री के विरूद्ध गम्भीर आरोप इतने उच्च स्तर पर लगाये गये है एक बहुत लम्बी समय से लटकाया हुआ है । क्या इस विषय में केवल इस कारण से कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिये, कि एक स्पष्ट मामला पूर्ण रूप से, तथा निरपेक्ष रूप से स्थापित नहीं किया गया है और यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

श्री दी० चं० शर्मा : क्या यह उड़ीसा में अच्छी सरकार और गृह-कार्य मंत्री के, जिन की इस देश में अच्छी ख्याति है, हित में है कि ऐसे मामलों को इतनी देर तक लटकाया जाये और यथासम्भव जल्दी निष्कर्ष पर न पहुंचा जाये ?

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : उन्हीं ने भी उन का भंडा फोड़ने की धमकी दी है ।

श्री नन्दा : यदि माननीय सदस्य मुझे इजाज़त दे तो मैं जब से यह मामला हमारे हाथों में आया है तब से अब तक के प्रति दिन का हिसाब दे सकता हूं । मैं इस बारे में प्रत्येक दिन की कार्यवाही का क्रमिक ब्योरा दे सकता हूं ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : कृपया आप बतायें, हम सुनने के लिये तैयार हैं ।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु मैं उन को अब अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री हरि विष्णु कामथ : वह सभा पटल पर रख सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यदि वह जानकारी देना चाहते हैं तो इस के लिये कुछ और तरीके निकालने होंगे ।

Shri Yogendra Jha : May I know whether the Home Minister would give an assurance to this effect that process of enquiry which has been followed in the case of Orissa, will also be followed in case of the charges made against the Chief Minister of Bihar?

Mr. Speaker : This does not arise out of the main question.

Shri Ram Sewak Yadav : Certain charges were made against the Chief Minister of Orissa. The Hon. Minister has said that they have not yet finalised the case. May I know how much more time they would take and if the charges are proved whether they would advise him to tender his resignation and if not, whether he would remain in his seat for another two years and Shri Nanda would himself may go?

Mr. Speaker : The last part of the question need not be answered, whereas the first part has already been answered.

Shri Nanda : Actually I wanted to submit my report to the Prime Minister before the current session is over but I am sorry I will not be able to do so now as a new thing has come up.

Shri Surendra Nath Devivedi : What is that thing?

Shri Ram Sevak Yadav : Is it a pressure or anything else?

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यह केवल राजनैतिक प्रश्न है और कुछ नहीं है ।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTIONS

Shortage of Newsprint

12. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri D. C. Sharma :
Shri Kapur Singh :
Shri Solanki :
Shri Narendra Singh Mahida :
Shri Himmatsinhji :

Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether newspapers are likely to face a fresh crisis on account of shortage of newsprint;

(b) whether Government have received any memoranda or proposals in this connection;

(c) whether it is also a fact that apart from the circulation and the size of these papers being affected certain papers, in particular language newspapers, are likely to be closed down; and

(d) if so, the reasons why no solution has been found so far for this long pending problem?

The Minister of Information & Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi) : (a) No, Sir.

(b) Yes, Sir. Government have received the Resolution passed by the Executive Committee of the Indian & Eastern Newspaper Society at Madras on the 10th December, 1964.

(c) No, Sir. Newspapers are not likely to close down; in fact most of the language papers are now better placed in regard to the allocation of newsprint. Newspapers have been given the choice of adjusting their pages, size and circulation within the authorised quota.

(d) The solution to the problem of shortage of newsprint is largely dependent on increased availability of foreign exchange, as the newspaper and periodical publishing industry depends on imported newsprint to the extent of about 80% of its requirements.

The indigenous availability of Nepa newsprint has reached its peak and until capacity is increased (which might be in the next two to three years), there is no possibility of decreasing the dependence of the industry on imported newsprint.

Shri Prakash Vir Shastri : Has the attention of hon. Minister been drawn to the report of Registrar of Newspapers that if the newspapers are given the requisite newsprint an increase of 10 per cent can be made in their circulation? If so, the reasons for not adopting other means when newspapers can help a lot in implementing Government policies because Nepa Mills are not supplying newsprint according to demand.

Shrimati Indira Gandhi : We are trying to increase the capacity of Nepa Mill. It will take some time, as the industry is not cooperating with us. The question of foreign exchange is not in our hands. When we get foreign exchange we will certainly import newsprint.

Shri Prakash Vir Shastri : Foreign exchange is spent on import of pulp for manufacture of white newsprint in the country. First pulp is imported and then newsprint is made. It costs more to the people. I want to know whether Government has considered the question of importing newsprint even if a little more a foreign exchange may be involved?

Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : White paper is not imported. Foreign exchange is given to the paper factories in India. Therefore, the contention of hon. Member that the foreign exchange may be utilized for newsprint is not correct.

Shri Prakash Vir Shastri : Pulp is imported. Foreign exchange spent on pulp may be utilized for import of newsprint.

Shri Manubhai Shah : Pulp is a separate thing. It is required for running paper factory. If we reduce foreign exchange for pulp, the Mills will stop working.

पल्प का आयात समाचार पत्रों के कागज़ के उद्योग के लिये नहीं बल्कि कागज़ के बनाने के लिये किया जाता है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Circulations of newspapers with ten years standing has increased. Their existing quota is inadequate and newspapers have to resort to blackmarket to meet their requirements. Have Government enquired into it; if so, the action taken in this regard so that there is no blackmarket?

Shrimati Indira Gandhi : We can distribute according to availability of foreign exchange and the permissible imports of newsprint. The quotas of newsprint are given on the basis of circulation of 1957 and 1961-62. We know that some newspapers are experiencing difficulty but it is difficult for us to change it.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : From where does it come in black market? How it goes there?

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लोगों में यह धारणा है कि छोटे समाचारपत्र अखबारी कागज़ का अधिक कोटा अपने आंकड़े बढ़ा चढ़ा कर ले लेते हैं और फिर वही काग़ज चोर बाज़ार में बेचते हैं । इस स्थिति को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ।

श्रीमती इंदिरा गांधी : आडिट ब्यूरो आफ़ सरकूलेशन तथा समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार इसकी जांच करते रहते हैं ।

Shri Yashpal Singh : It has been admitted that papers whose circulation is more than 10,000 are taken as big papers and papers whose circulation is less than 10,000 are taken as small papers. The small papers do not get newsprint in time, then how can they be expected to come up to the standard of big papers? I want to know the steps Government proposes to take to help small papers.

Shrimati Indira Gandhi : A Committee under the Chairmanship of Dr. Diwaker has been set up to look into the matters relating to small papers.

श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा : अखबारी कागज़ की एक बड़ी मात्रा चोर बाज़ार में चली जाती है । सरकार ने हाल ही में इस को समाप्त करने के लिये क्या कदम उठाये है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न पहले ही पूछा जा चुका है ।

श्री अन्सार हरवानी : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही में कलकत्ता का बड़ा समाचार पत्र अखबारी कागज़ को चोर बाज़ार में बेचते हुवे पकड़ा गया था और पश्चिमी बंगाल सरकार ने उस पर कोई कार्यवाही करने की बजाय इस सारे मामले को दबा दिया है ?

श्री मनुभाई शाह : यह सब सच नहीं है । मैंने इस प्रश्न का इस सभा में तथा राज्य सभा में कई बार उत्तर दिया है । एक मुकदमा चलाया गया था और जांच करायी गई थी परन्तु कोई प्रमाण नहीं मिला कि चोरी की गई है । अत: हम ने तत्सम्बन्धी कागज़ सभापटल पर रख दिये है । उन में पूरी जानकारी है । पश्चिमी बंगाल सरकार ने हमें पूरा सहयोग दिया था । अभी भी मामले से सम्बन्धित कुछ प्रश्नों की जांच हो रही है ।

श्री राम सहाय पाण्डेय : क्यों कि आयात किये गये कागज़ तथा देश में बनायें गये कागज़ की किस्म में बहुत अन्तर है, सरकार देशी कागज़ की किस्म को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री मनुभाई शाह : नेपा मिल द्वारा बनाये गये कागज़ की किस्म पहले से काफी अच्छी है । कागज़ के पीले होने की शिकायत अब खत्म हो रही है । वास्तव में हम तृतीय तथा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में नेपा मिल में कागज़ का उत्पादन 30,000 टन से बढ़ा कर 60,000 टन करने-वाले है । इस के अतिरिक्त हम ने पंजाब में कैनेडा के सहायता से बढ़िया किस्म के अखबारी कागज़ की फैक्ट्री की मंजूरी दे दी है । सारी औपचारिक बातें पूरी की जा चुकी हैं । आशा है कि यदि यह परियोजना 3 या 4 साल में पूरी हो जाती है तो पंजाब में यह फैक्ट्री चालू हो जायगी ।

श्रीमती सावित्री निगम : देश में अखबारी कागज़ की कमी को देखते हुये क्या मैं जान सकती हूं कि सरकार ने "ओबज़र्वर" तथा ऐसे दूसरे घटिया पत्रों को अख़बारी कागज़ का कोटा बन्द करने के लिये क्या क़दम उठाये हैं ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : इस मामले पर काफी वाद विवाद हुआ हैं और हम इसपर सोच विचार कर रहे हैं । परन्तु क्योंकि हमने प्रेस परिषद के बनाये जाने का सुझाव दिया है इस लिये हम चाहते हैं कि यह मामला इस परिषद पर छोड़ दिया जाय ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या यह सच नहीं है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय, जो अख़बारी कागज़ का वितरण करने के लिए ज़िम्मेदार हैं, की इसे आयात करने की सिफारिश सदा ही वित्त मंत्रालय द्वारा ठुकरायी गई हैं ?

श्री मनुभाई शाह : ऐसा नहीं है क्यों कि गत वर्षों में विदेशी मुद्रा का कोटा दिया जाता रहा है और निर्यात की मात्रा लगातार बढ़ी है ।

श्री भागवत झा आजाद : हमारी जानकारी के अनुसार यह बात सच नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति । शान्ति ।

श्री मनुभाई शाह : सदस्यों को याद रखना चाहिए कि हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति ठीक नहीं है जो संभव है वह हम कर रहे हैं ।

श्री नम्बियार : क्या मैं यह जान सकता हूं कि मद्रास के शेशायी कागज़ कारखाने ने जो अभ्यावेदन कागज़ के बदले अखबारी कागज़ बनाने के बारे में दिया है उसे स्वीकार करने के लिये सरकार ने क्या किया है ?

श्री मनुभाई शाह : तकनीकी तौर पर यह सम्भव नहीं है परन्तु सफेद अखबारी कागज़ आजकल समाचार पत्रों में बहुत बरता जा रहा है ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : क्या यह बात भी सरकार के ध्यान में आई है कि बिहार के एक मंत्री कुछ छोटे छोटे समाचार पत्रों को सहायता देते है और वह समाचार पत्र मुश्किल से 100 बंटते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : हमें राज्यों के मंत्रियों पर यह आरोप नहीं लगाने चाहिये । वह केन्द्रीय मंत्रियों के विरूद्ध कुछ भी कह सकते है परन्तु राज्यों के मंत्रियों के विरुद्ध नहीं ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : इसलिये इस मामले में क्या इस बात की जांच होगी कि जो समाचार-पत्र 100 के लगभग छपते हैं उनको 5,000 प्रतियों का कोटा मिलता है--जो बढ़ी हुई संख्या है--और वह पत्र है जिन की बिक्री 10,000 से अधिक हें और जिनको इसका प्रमाणपत्र कलक्टर, लेखा परीक्षक ने दिया है उन्हें उतना कोटा नही मिलता जबकि दूसरों को मिल जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : बढ़ा चढ़ा कर दी गई बिक्री के बारे में प्रश्न पूछा जा चुका है और उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : मैं इस प्रश्न का उत्तर चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा था कि विभाग इस प्रश्न पर भी विचार करेगा ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि जो बढ़ा चढ़ा कर आंकडे देते हैं क्या उन्हें पकड़ा गया है और जो वास्तविक बिक्री की संख्या देते हैं उन्हें कोटा क्यों नहीं दिया जाता ?

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि कमी है । श्री कामत ।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं मंत्री महोदया को इस सत्र में इसी विषय पर पहिले दिये गये विवरण के बारे में याद दिलाना चाहता हूं जिस में कहा गया था कि अखबारी कागज़ देने का एक मात्र आधार सम्बद्ध पत्र के वितरण पर है । क्या राजधानी और उसके बाहर छपने वाले कुछ समाचार पत्रों को अखबारी कागज उनकी बिक्री के अनुसार नहीं दिया गया । क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है तथा ऐसे वितरण के क्या कारण हैं ।

श्रीमती इंदिरा गांधी : यदि माननीय सदस्य विशिष्ट सूचना दें तो इस हम इसकी जांच करेंगे ।

श्री हरि विष्णु कामत : यह सूचना मैं आप के पास भिजवा दूंगा ।

एयर इंडिया की उड़ानों की कमी

\+

13. **श्री हेम बरुआ :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री नाथ पाई :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
डा० सरोजिनी महिषी :

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इंडिया ने कुछ विमान सेवाओं को तुरन्त बन्द कर देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो विमान सेवाओं के इस प्रकार अचानक बन्द किये जाने के क्या कारण हैं और इससे हमारे विमान यातायात पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी हां ।

(ख) निगम के कार्यक्रम के अनुसार अतिरिक्त विमान चालकों की भरती में विलम्ब के कारण प्रति सप्ताह ब्रिटेन की 10 में से एक तथा टोकियों की तीन में से एक सेवा कम करनी पडी । इस के परिणाम स्वरुप तथा यात्रियों की संख्या में कमी होने के कारण निगम ने अनुमान लगाया है कि चालू वर्ष में 18 लाख रुपये लाभ होगा ।

श्री नाथ पाई : क्या यह सच नहीं है कि भारत की 'पायलट गिल्ड' ने सरकार तथा प्रबन्धकों को चेतावनी दे दी थी कि इस प्रकार के विमान के लिये प्रशिक्षित तथा कुशल कमांण्ड्रों की कमी है और इसलिये एयर इन्डिया की आवश्यकताओं के लम्बे-समय के अनुमान बनाये जाये तथा प्रशिक्षण सुविधायें जुटायी जायें । यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया थी तथा इस सुझाव को क्यों अस्वीकार किया गया ?

श्री कानूनगो : करीब जून में एयर-इन्डिया में भरती किये जाने वाले विमान चालकों की संख्या पूरी हो गयी थी । परन्तु विमान चालकों की संख्या के विवाद के कारण इनको नियुक्त नहीं किया जा सका ।

श्री नाथ पाई : क्या यह सच नहीं है कि लगभग तीन वर्षों से एयर इन्डिया के करीब 90 विमान चालकों को कोई छुट्टी नहीं मिली । यह कमी अचानकही नहीं हुई है । बोइंग जैसी मशीनों को लगातार बिना छुट्टी के चलाना बड़ाही खतरनाक है और क्या यह सच नहीं है कि एक भी विमान चालकों की कमी के कारण एक भी विमानचालक को 'रिफ्रैशर' कोर्स नहीं करने दिया जा सका ।

श्री कानूनगो : रिफ्रैशर कोर्स में अवश्य देरी हुई है परन्तु एयर इन्डिया के विमान चालकों ने बहुत अधिक उड्डानें नहीं कीं है । हर महीने उड़ान के घंटे अधिकतम 80 थे । दो मामलों को छोड़कर गत 2 वर्षों में औसत लगभग 50 से 60 घंटे हर महीने उन्होने उड़ानें की थीं । यह ठीक है कि कुछ कमाण्डरों को छुट्टी नहीं दी जा सकी जो उनके अपने कहने पर इकठ्ठा कर दी गई । सामान्यत: उन्हें छुट्टी ले लेनी चाहिये और उसको जोड़ना नहीं चाहिये परन्तु उन्हीं के कहने पर तीन वर्ष तक उन्हें छुट्टी इकट्ठा करने दी गयी ।

श्री नाथ पाई : मेरे प्रश्न का दूसरा भाग भी बड़ा ही महत्वपूर्ण था, कि क्या हमारे विमान चालकों को रिफ्रैशर कोर्स दिया गया था । विमान चालकों को कोर्स कराने की जिम्मेदारी इन कम्पनियों पर होती है और यदि हां, तो कितने चालक ऐसे थे जिन्हें यह कोर्स कराया गया और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री कानूनगो : मैं कह चुका हूं कि पूरा रिफ्रैशर कोर्स नहीं कराया गया परन्तु कुछ कोर्स अवश्य कराया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि कितनों को इस से लाभ हुआ तथा कितनों को नहीं ।

श्री कानूनगो : मेरे पास संख्या नहीं है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : कब और किस मूल्य पर सातवां बोइंग विमान खरीदा गया तथा वह कब नये मार्ग पर चलाया गया है यह कैसे हुआ जबकि विमान चालकों के बारे में स्थिति ऐसी है जैसी मंत्री जी ने बतायी हैं ?

श्री कानूनगो : क्यों कि 'पायलेट्स गिल्ड' के साथ यह समझौता हुआ था कि रिफ्रैशर कोर्स कराने तथा कमाण्डरों को प्रशिक्षण दिये जाने तक काम के वर्तमान घंटे ही चलते रहेंगे ।

डा० सरोजिनी महिषी : विमान चालकों की कमी को दूर करने के लिए पिछले दो वर्षों में सरकारने क्या कार्यवाही की है जब उनको कमी का पता था ।

श्री कानूनगो : विमान को उड़ाने का समय कम हो जाने के कारण विमान चालकों की कमी इसी वर्ष अनुभव की गई है । हमें आशा है कि तीन मास के अन्दर हमें उचित संख्या में विमान चालक मिल जायेंगे ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : एयर इण्डिया इन्टरनेशनल तथा पायलेट गिल्ड के बीच लम्बे समय से विवाद चल रहा है और समय समय पर हड़तालें होती रही हैं । एयर इण्डिया इण्टरनेशनल ने उनके साथ लम्बे समय से चल रहे इस विवाद को निपटाने के लिए क्या कदम उठायें हैं ताकि हड़तालें न हों ?

श्री कानूनगो : समय समय पर हड़तालें या विवाद नहीं हुये हैं । पिछले वर्ष एक विवाद हुआ था और वह न्यायाधिकरण के विचाराधीन है ।

श्री भागवत झा आजाद : हमारा स्पष्ट प्रश्न यह है कि इस बात के बावजूद कि एयर-इण्डिया भारत सरकार को विदेशी मुद्रा के रुप में बहुत धन दे रहा है, विमान चालकों के लिए रिफ्रैशर कोर्स क्यों नहीं कराये गये । क्या यह सच है कि विमान चालकों की यह कमी एकदम हो गई अथवा एयर इण्डिया द्वारा इनकी भर्ती के लिए कोई कदम न उठाने के कारण यह कमी हुई है ।

श्री कानूनगो : मैं पहले ही बता चुका हूं कि एयर इण्डिया के लिए विमान चालकों की भर्ती जून में कर ली गई थी परन्तु 'पायलेट गिल्ड' के इण्डियन एयरलाईनज़ कार्पोरेशन के साथ विवाद होने के कारण इसे प्रभावी रुप नहीं दिया जा सका ।

Shri Hukam Chand Kacchavaiya : May I know the number of pilots with us at present? How many we require more? How many more are being recruited and when this shortage will be fulfilled ?

Shri Kanungo : This shortage will be met in three months.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Hon. Minister has not answered my question?

Mr. Speaker : The question is how many persons are now working? How many more are needed? What is the shortage and when will it be met?

श्री कानूनगो : एयर इण्डिया में विमान चालकों की संख्या लगभग 90 है । उन्हें 30 और विमान चालक चाहिए । इण्डियन एयर लाइनज़ कार्पोरेशन ही एयर इण्डिया के लिए विमान चालक भरती करती है । इण्डियन एयर लाईनज़ कार्पोरेशन में लगभग 220 विमान चालक हैं और कुछ एग्ज़ेक्टिव विमान चालक है । लगभग 30 से 40 विमान चालक कम है । 3 से 6 मास तक यह कमी पूरी कर ली जायेगी ।

श्री प्र० चं० बरुआ : मंत्री जी ने स्वयं बताया है कि न केवल एयर इण्डिया इंटरनेशनल में बल्कि इण्डियन एयर लाईनज कार्पोरेशन में भी विमान चालकों की कमी है । क्या हम यह समझे कि चौथा कैरावेल विमान, जो 2 दिसम्बर को यहां पहुंचा था, विमान चालकों की कमी के कारण आगामी अप्रैल तक बेकार पड़ा रहेगा ?

श्री कानूनगो : जी नहीं । चौथा कैरावेल अभी नहीं पहुंचा है । कुशल कमांडरों की उपलब्धि में कठिनाई है जिसके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी होगी ।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : मंत्री जी ने विमान चालकों के उड्डयन के घंटों के आंकड़े दिये हैं । अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सामान्य रूप से माने गये उड्डयन के घंटों से अधिक काम करने से विमान चालकों को होने वाली थकावट के महत्वपूर्ण प्रश्न को ध्यान में रखते हुये क्या मैं जान सकती हूं कि यह आंकड़े अन्तर्राष्ट्रीय स्तर से कैसे मेल खाते हैं ।

श्री कानूनगो : जैट विमान के उड्डयन घंटों के अन्तर्राष्ट्रीय आंकड़े 80 से 120 घंटे प्रति मास हैं । जहां तक एयर इण्डिया का सम्बन्ध है, दो मामलो को छोड़ कर विमान चालको के औसतन 55 से 60 उड्डयन घंटे है ।

श्री नाथ पाई : जी, नहीं ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या माननीय मंत्री को इस बात की जानकारी है कि जबकि एक ओर विमान चालकों की भारी कमी है, दूसरी ओर बहुत से युवक, जिन्होंने विभिन्न उड्डयन क्लबों से प्रशिक्षण प्राप्त किया है, नौकरी पाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

श्री कानूनगो : हमें वाणिज्यिक लाइसेंस वालें विमान चालकों, जिन्होंने उड्डयन क्लबों में कुछ उड्डाने की हैं, के प्रशिक्षण में शीघ्रता लानी होगी । यही कारण है कि मैंने कहा है कि वे 3 से 6 मास के अन्दर सेवा के लिए उपलब्ध हो जायेंगे ।

श्री नाथ पाई : श्रीमन्, आप कृपया एक ऐसा नियम बनाइए जिससे सदस्यों को ऐसे वक्तव्य देने से रोका जा सके जो स्पष्टतया गलत और भ्रामक हों । यदि आप इस संबंध में कुछ नहीं करेंगे तो हमें बहुत कठिनाई होगी ।

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई बात अतिस्पष्ट दिखाई देगी तो मैं अवश्य ही उसके सम्बन्ध में कहूंगा ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मंत्री जी के उत्तर से क्या सदस्य यह समझें कि विमान चालक अपने वचनों से पीछे हट गए हैं और इसी कारण यह कठिनाई है या विमान चालक उससे आधा भी काम नहीं करते जिसकी कि प्रत्याशा की जाती है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

शरणार्थियों से ऋणों की वसूली

*639. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को दिये गये व्यापारिज़ तथा अन्य ऋणों की वसूली में आने वाली कठिनाइयों का संघ सरकार ने अध्ययन किया है ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने शरणार्थियों को दिये गये ऋणों की वसूली में हुए अपने अनुभवों को बताया है ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने यह निर्णय किया है कि ऋण लेने वालों की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में उन लोगों को, जो एक विशिष्ट तिथि तक ऋण वापस देने के लिये तैयार हों, कुछ रियायतें दी जायेंगी ?

पुनर्वास मंत्री (श्री महावीर त्यागी) : (क) से (ग) पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को उनके पुनर्वास के लिए ऋण देने और उसे आसान किस्तों में वापिस लेने के लिये केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को 80 करोड़ रुपये दिये हैं । क्योंकि ऋण लेने वाले किस्तों का भुगतान नहीं कर सके इसलिये कुछ ऋणों की वापसी की अवधि 1959 में बढ़ा दी गई थी ।

उसके पश्चात्, पश्चिमी बंगाल सरकार ने विस्थापित व्यक्तियों की वित्तीय तथा अन्य परिस्थितियों के कारण ऋण वापिस लेने में कठिनाई व्यक्त की और छूट दिये जाने का सुझाव दिया। केन्द्रीय सरकार ने इन सिफारिशों पर विचार किया और लगभग 50 करोड़ रुपये की छूट की एक योजना की मंजूरी का आदेश मई, 1964 में जारी किया गया।

आदर्श विश्वविद्यालय

*642. **श्री राम हरख यादव :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री हेम राज :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के प्रत्येक राज्य में एक आदर्श विश्वविद्यालय स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ; और

(ग) योजना की क्रियान्विति की क्या समय सूचि है तथा उस पर अनुमानत: कितना व्यय होगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) प्रत्येक राज्य में एक-एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय के स्थापना संबंधी प्रस्ताव को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बनाई गई नवीन विश्वविद्यालय समिति के पास भेजा गया है।

(ख) समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(ग) फिलहाल प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय तेल निगम

*645. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान भारतीय तेल निगम लि० के चेयरमैन द्वारा 24 नवम्बर 1964 को दिये गये भाषण की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने निगम को हुई उन हानियों का उल्लेख किया है जो उपभोक्ताओं के केन्द्रीय विक्रय कर देने से इन्कार करने तथा गौहाटी उत्पादकों पर भाड़े की कम वसूली होने के कारण हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निगम ने लगभग दो वर्ष पहिले इस मामले की ओर केन्द्रीय सरकार का ध्यान दिलाया था ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई थी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) जी हां। पर, यह सूचित किया जाता है कि भारतीय तेल निगम के चेयरमैन ने अपने भाषण में अन्य तेल कम्पनियों द्वारा (उपभोक्ताओं द्वारा नहीं) केन्द्रीय विक्रय कर (Central Sales Tax) देने से इंकार करने एवं भाड़े की कम वसूली (Unrecovered freight) ही हानियों का कारण बताया है। उक्त कम्पनियों का कहना है कि ये उपभोक्ता से वसूल नहीं किये जा सकते और उनको आयात-समता (Import Parity) के आधार पर सरकार द्वारा नियत की गई केवल अधिकतम विक्रय मूल्यों (Ceiling Selling Prices) पर ही उत्पादों को बेचने की अनुमति है।

(ख) जी हां।

(ग) केन्द्रीय विक्रय कर से छूट के प्रश्न पर असम सरकार से पत्र-व्यवहार हो रहा है। गौहाटी शोधनशाला की स्थिति के कारण भारतीय तेल निगम को भाड़े की कम वसूली के बोझ को हल्का करने के प्रश्न पर और इसके उत्पादन के प्रतिरूप (Pattern of Production) पर विचार हो रहा है।

Exodus from East Pakistan

*646. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the influx of refugees from East Pakistan is still continuing; and

(b) if so, how many migrants entered into India during October, 1964, the extent by which their number has now gone down and how long the influx is likely to continue?

The Minister of Rehabilitation (Shri Mahavir Tyagi) : (a) Yes, Sir.

(b) During the month of October 56,386 migrants migrated into India and the daily average was 1818. During the month of November 37,695 persons migrated into India and the daily average was 1257.

It cannot be anticipated how long this migration will continue.

हिन्दुस्तान एंटीबायटिक्स

*647. **श्री कोल्ला बैकैय्या :** क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एंटीबायटिक्स लि० ने अमरीका की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए हेमाइसिन परियोजना के विस्तार की मंजूरी देने के लिये सरकार से निवेदन किया है ;

(ख) वर्तमान क्षमता में कितनी वृद्धि करने के लिये कहा गया है ;

(ग) इसपर कितना अतिरिक्त व्यय होगा ; और

(घ) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० वी० अलगेसन) : (क) से (घ) भारत सरकार ने एक पाइलेट प्लांट पैमाने (Pilot Plant Scale) पर हेमाइसिन (Hamycin) के उत्पादन की मंजूरी दी और तदनुसार 15 जनवरी 1962 को हिन्दुस्तान एंटीबायटिक्स लि०, पिम्परी को हेमाइसिन के 15 किलोग्राम के उत्पादन के लिए औद्योगिक लाइसेन्स जारी किया गया। इस स्कीम के कार्यान्वित होने से पहले परिणामों से प्रकट हुआ कि परियोजना का 50 किलोग्राम प्रतिवर्ष तक विस्तार होना चाहिए। विस्तार परियोजना स्कीम पर विचार करने के बाद भारत सरकार 15 किलोग्राम से लेकर 50 किलोग्राम प्रतिवर्ष के हेमाइसिन के उत्पादन के लिए संयन्त्र के विस्तार सम्बन्धी कम्पनी की स्कीम को 27-12-1963 को मंजूर किया। इसका अनुमानतः लागत 30 लाख रुपये है जिसमें 16 लाख रुपये विदेशी मुद्रा का अंश है।

2. सितम्बर, 1963 में हेमाइसिन को देश में बेचना शुरू किया गया। भारत और विदेश दोनों में हेमाइसिन के ग्रहण के नवीनतम (latest) प्रवृत्ति के आधार पर हेमाइसिन के उत्पादन का पुनरीक्षण किया गया है और अक्तूबर, 1964 में परियोजना की क्षमता को प्रतिवर्ष 50 किलोग्राम से 250 किलोग्राम तक बढ़ाया गया। विस्तृत परियोजना पर कुल अतिरिक्त लागत अनुमानतः 25 लाख रुपये है जिसमें 11 लाख रुपये विदेशी मुद्रा का अंश भी शामिल है।

3. कुछ विदेशी फर्मों ने जिसमें संयुक्त राज्य अमरीका की एक फर्म भी है, हेमाइसिन में दिलचस्पी प्रकट की है और उनके द्वारा पेश की गई शर्तों की जांच की जा रही है।

प्राथमिक शिक्षा

*648. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री रामेश्वर टांटियां :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षा योजना समस्त राज्यों में सफल सिद्ध नहीं हुई है ;

(ख) यदि हां, तो वे राज्य कौन से हैं जिन में यह योजना सफल नहीं हुई है ; और

(ग) इसको सफल बनाने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) सम्भवत: इसका अभिप्राय सारे देश में प्राथमिक शिक्षा नि:शुल्क करने के सिद्धान्त से है। पश्चिम बंगाल के शहरी क्षेत्रों के कुछ प्राथमिक स्कूलों तथा विशिष्ट स्कूलों को छोड़कर सारे देश में प्राथमिक शिक्षा नि:शुल्क है।

यदि प्रश्न के अन्तर्गत, प्राथमिक शिक्षा की सर्वव्यापकता भी शामिल हो, तो इस विषय में प्राप्त सफलता, प्रत्येक राज्य में और यहां तक कि एक राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भी अलग-अलग है। ऐसा अनुमान है कि प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की संख्या जो प्रथम पंचवर्षीय आयोजना के प्रारंभ में 191.5 लाख थी वह तीसरी आयोजना के अन्त में बढ़कर 512.07 लाख तक पहुंच जाएगी। 6–11 आयु वर्ग के बच्चों का यह लगभग 77.8 प्रतिशत होता है। इस दृष्टि से जो राज्य कम उन्नत हैं वे हैं––उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और जम्मू और काश्मीर।

(ग) पश्चिम बंगाल के शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा नि:शुल्क करने के संबंध में आवश्यक कारवाई करने के लिये भारत सरकार ने राज्य सरकार को लिखा है। शिक्षा को सर्वव्यापक बनाने के लिए उपयुक्त कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं और उपलब्ध साधनों, मानवीय तथा वित्तीय दोनों, की सीमाओं के अन्तर्गत उन पर अमल किया जा रहा है। कम उन्नत राज्यों की कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार उन्हें और अधिक उदारता से सहायता देने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन

*649. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अुन्होंने हाल में ही राज्यों के मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें किन मुख्य समस्याओं पर चर्चा हुई थी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां।

(ख) वे मुख्य समस्याएं जिन पर चर्चा हुई, ये थीं––हिन्दी को 26 जनवरी, 1965 से संघ की सरकारी भाषा बनाने के लिये उठाये जाने वाले कदम, खाद्यान्न नियंत्रण कानूनों का लागू किया जाना, विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता और साम्प्रयायिकता।

मंत्रियों द्वारा आस्तियों तथा दायित्वों की घोषणा

*650. **श्री दे० जी० नायक :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार द्वारा जारी की गई आचरण संहिता के अनुसरण में केन्द्र तथा राज्य सरकारों के समस्त मंत्रियों ने अपनी तथा अपने परिवारों के सदस्यों की आस्तियों और दायित्वों तथा व्यापारिक हितों के ब्योरे बता दिये हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालयमें राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार 49 केन्द्रीय मंत्रियों, 6 संसदीय सचिवों और एक राज्य के मुख्य मंत्री ने आस्तियों तथा दायित्वों का ब्यौरा दे दिया है। संहिता के अनुसार एक मंत्री को प्रतिवर्ष 31 मार्च तक अपनी आस्तियों तथा दायित्वों के बारे में घोषणा देनी होती है। मंत्रियों को निस्संदेह 29-10-64 को यह सूचना दे दी गई थी कि पहला विवरण एक मास के अन्दर ही देना है, परन्तु एक मास की अवधि स्पष्टतया सभी मामलों में पर्याप्त नहीं थी ।

सम्बन्धित सरकारों द्वारा संहिता को अंगीकार करने के पश्चात् यह राज्य सरकारों के मंत्रियों और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के मंत्रियों पर लागू होगी। उपलब्ध सूचना के अनुसार आठ राज्यों ने, जिनमें संघ राज्य क्षेत्र भी सम्मिलित हैं, इस संहिता को अंगीकार कर लिया है।

प्राथमिक अध्यापकों का न्यूनतम वेतन

*651. **श्री रणंजय सिंह :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हुकमचन्द कछवाय :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राथमिक स्कूल के अध्यापकों का न्यूनतम वेतन 100 रुपये प्रति मास निश्चित करने के बारे में लखनऊ में की गई उनकी घोषणा तथा इस व्यय का 50 प्रतिशत केन्द्र द्वारा देने का प्रस्ताव कब तक क्रियान्वित हो जाने की संभावना है;

(ख) योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यह सहायता क्या केवल उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को दी जाएगी अथवा अन्य राज्य सरकारों को भी दी जायेगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) अध्यापकों की सेवा शर्तों और वेतन में सुधार की योजनाओं को यदि राज्य सरकारें अपनी अपनी आयोजनाओं में सम्मिलित कर लें तो इन योजनाओं पर होने वाले व्यय का 50 प्रतिशत सहायता के रूप में दिया जाता है। यह सहायता खंड (ब्लाक) अनुदानों के रूप में दी जाती है ।

(ग) इस योजना के अन्तर्गत सभी राज्य सरकारों को सहायता मिल सकती है ।

त्रिभाषायी फार्मूले को कार्यान्वित न करना

*652. **श्री जसवन्त मेहता :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे राज्य कौन से हैं जिन्होंने त्रिभाषीय फार्मूले को कार्यान्वित नहीं किया है;

(ख) इसे क्रियान्वित न करने के क्या कोई कारण बताये गये हैं; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : आम तौर पर राज्यों ने इस फार्मूले को मान लिया है और स्थानिय परिस्थितियों के अनुसार इसमें संशोधन करके, इसे लागू कर दिया है ।

(ग) राज्य सरकारों को इस फार्मूले पर दृढ़ रहने के लिए शिक्षा मंत्रालय अुनसे अनुरोध कर रहा है ।

Pak. Occupation of some area in Assam

*653. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Hari Vishnu Kamath :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Pakistani soldiers have occupied about 500 bighas of land in Lathi tilla area of Assam;

(b) whether it is also a fact that Pakistani soldiers indulged in looting in the border village of Gulmani;

(c) whether it is also a fact that they intruded into several other villages, lifted cattle and made away with farm crops; and

(d) if so, the arrangements made by Government for the security of border villages and the action taken for getting the 500 bighas of land vacated?

Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) : (a) There is a dispute with Pakistan over the Lathitilla group of villages on the Assam-East Pakistan border, in regard to the exact line of demarcation in the area. Demarcation of the boundry has yet to take place. Some land in this area is now under the '*de facto*' control of Pakistan, in contravention of the Agreements for maintenance of '*status quo*', pending final demarcation.

(b) & (c) : As far as information available with us goes, this is not a fact. However, further enquiry is being made.

(d) Our Border Security Forces are deployed all alóng the border; they keep constant vigil and carry out patrolling. Final action will depend on the demarcation on the ground, which has yet to take place.

विश्वविद्यालय शिक्षा में सैनिक विज्ञान

*654. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **शिक्षा** मंत्री 9 दिसम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 189 के उत्तर के सम्बन्ध यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक विज्ञान को विश्वविद्यालयों में अध्ययन का विषय बनाने के प्रश्न की जांच करने के लिये विश्वविद्यालय अनूदान आयोग द्वारा नियूक्त की गई विशेष समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी क्या सिफारिशें हैं;

(ग) क्या प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जायेगा; और

(घ) यदि नहीं तो इस के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं ।

(क़), (ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आल पार्टी हिल लिडर्स कांफ्रेंस का प्रतिनिधिमंडल

*655. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर के दूसरे सप्ताह में आसाम के आल पार्टी हिल लीडर्स कांफ्रेंस का एक प्रतिनिधि-मंडल उन से तथा प्रधान मंत्री जी से मिला था; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिनिधिमंडल ने क्या विशिष्ट मांग पेश की थी तथा उसे क्या आश्वासन दिये गये थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां, आसाम की आल पार्टी हिल लीडर्स कांफ्रेंस का एक प्रतिनिधि मंडल दिसम्बर के दूसरे सप्ताह में गृह मंत्री तथा प्रधान मंत्री जी से मिला था ।

(ख) इस प्रतिनिधिमंडल ने अनुरोध किया कि पहाड़ी ज़िलों को आसाम राज्य के ढांचे के भीतर काम करते हुए, जितनी अधिक सम्भव हो उतनी स्वायत्तता देने की योजना का विवरण तैयार करने के लिये एक आयोग की अविलम्ब नियुक्त की जाए । उन्हें यह बता दिया गया कि ऐसे आयोग के शीघ्र ही नियुक्त किये जाने की संभावना है ।

सेकेंडरी स्कूलों के लिये त्रिभाषायी फार्मूला

*656. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेकेंडरी स्कूलों के पाठ्यक्रम में दक्षिणी राज्यों की एक आधुनिक भारतीय भाषा शामिल करने के लिए उत्तरी राज्यों को शत प्रतिशत अनुदान देने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रस्ताव की क्रियान्विति कब तक होगी ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) हिन्दी-भाषी राज्यों में हिन्दी के अतिरिक्त अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने की व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

(ख) इसका उद्देश्य भावनात्मक एकता को बढ़ावा देना है ।

(ग) आशा की जाती है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में यह सम्भव हो सकेगा ।

राज्यों में शिक्षा सम्बन्धी पिछड़ेपन को दूर करना

*657. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को आश्वासन दिया है कि केन्द्रीय सरकार उस राज्य में शिक्षा सम्बन्धी पिछड़ेपन को दूर करने के लिए अनुदान देने के प्रश्न को विशेष मामला समझ कर विचार करेगी;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ ऐसे अन्य राज्य भी है जिनके पास इस प्रकार की समस्याओं का मुकाबला करने के लिये पर्याप्त साधन नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो भारत सरकार का विचार इन राज्य सरकारों को किस प्रकार की तथा कितनी सहायता देने का है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां। मैंने हाल ही में अभिव्यक्त किया था कि उत्तर प्रदेश के वास्ते केन्द्र से विशेष सहायता के लिए विचार किया जाएगा ।

(ख) जी, हां ।

(ग) शिक्षा के लिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का अन्तिम रूप तैयार होने पर, इस मामले पर विचार किया जाएगा ।

Degrees of Kashi Vidyapeeth

*658. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Y. S. Chaudhary :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that Kashmir has not been shown as a part of India in the map of India inscribed on the degrees awarded by Kashi Vidyapeeth ;

(b) Whether it is a deliberate act on the part of the Vidyapeeth or this happened inadvertently ; and

(c) the steps taken to set this right in future ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) The seal used by Kashi Vidyapeeth was prepared in 1924 and due to its circular shape some parts of India, including Kashmir, could not be accommodated and were left out.

(b) & (c) Do not arise.

पर्यटन के महानिदेशक

*659. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ने पर्यटन के महानिदेशक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करली है और क्या कोई प्रतिवेदन पेश कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) कुछ आरोपों की जांच कर ली गई है और शेष की जांच की जा रही है। सरकार अन्तिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रही है।

बस्तर जिला में व्यय

1733. **श्री लखमू भवानी :**
श्री वाडीवा :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1964 तक दण्डकारण्य प्राधिकार द्वारा बसतर जिला में किये गये कार्यों पर कुल कितनी राशि व्यय की गई ;

(ख) उस में कितनी राशि उद्धरित भूमि के 25 प्रतिशत भाग पर भूमिहीन आदिवासियों को बसाने के लिये व्यय की गई ; और

(ग) सामान्य विकास पर कितनी राशि व्यय की गई ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) से (ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

आदिम जाति के व्यक्तियों के लिए रोज़गार

1734. **श्री लखमू भवानी :**
श्री वाडीवा :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दण्डकारण्य परियोजना में कितने प्रतिशत आदिम जातीय व्यक्ति काम करते हैं ;

(ख) मध्य प्रदेश के बसतर जिले में कितने प्रतिशत आदिम जातीय व्यक्तियों को रोज़गार दिया गया है ; और

(ग) उड़ीसा के कितने प्रतिशत आदिम जातीय व्यक्तियों को रोज़गार दिया गया है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) से (ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

जहां तक कृषि पर बसाने का संबंध है, दण्डकारण्य प्राधिकार द्वारा उद्धरित भूमि का 25 प्रतिशत भाग राज्य सरकारों द्वारा भूमिहीन आदिवासियों को दिया जाता है। प्राधिकार द्वारा गृह-निर्माण, बैलगाड़ियों, बीज और उपकरणों तथा नये गांवों में जहां पर भूमिहीन आदिवासियों को बसाया जा रहा है सामान्य सुख सुविधाओं की व्यवस्था के लिये भी अनुदान दिये जाते हैं।

National Book Trust

1735. Shri Rananjai Singh : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of translated and original books published so far, language-wise, by the National Book Trust ;

(b) the amount spent on the publication of these works ;

(c) the number of books, languagewise, displayed in the recent exhibition held in New Delhi by the National Book Trust ; and

(d) the subjects on which books are published by the Trust ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) A statement giving the requisite information is attached. **[Placed in Library. See L. T. No. 3715(I)/64].**

(b) The Trust has spent Rs. 2·64 lakhs as on 30-9-64. Besides this amount, the Publication Division of the Ministry of Information & Broadcasting have incurred expenditure on publication.

(c) A statement giving the requisite information is attached. **[Placed in Library. See L. T.No. 3715(II)/64].**

(d) The subjects cover Art, Literature, Social Sciences and Natural Sciences.

Indian National Commission for Cooperation with UNESCO

1736. **Dr. Ram Manohar Lohia :**
Shri Kishen Pattnayak :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the composition as at present of the Indian National Commission for Cooperation with UNESCO and the number of meetings held by the Commission during the last working year and the current year and the major decisions taken thereat ;

(b) the names of the Indian classics selected for translation into foreign (European) languages under the UNESCO scheme for translation of literature of oriental languages ; and

(c) the names of the classics which have so far been translated into foreign languages (with names of those languages) and the particulars of the translated versions published so far and the reasons for the delay if any, in the publication of the remaining ones ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) The Indian National Commission for Cooperation with UNESCO held one meeting in March '64 during the period 1963-64.

The composition of the Commission and the list of its members are attached as Annexure I. **[Placed in Library. See L.T. No. 3716/64].**

The major decisions taken by the Commission at its last meeting are given in Annexure II. **[Placed in Library, See L.T. No. 3716/64].**

(b) & (c) The list of the Indian classics recommended to UNESCO for translation into foreign languages and the list of the classics which have so far been translated into foreign languages with the particulars required are placed as Annexures III & IV. **[Placed in Library. See L.T. No. 3716/64].** It has not been possible for UNESCO to complete the translation and publication of all the classics selected for the purpose, as it is difficult to find competent persons who can translate from the language of the classics into foreign languages with the mastery of original works. UNESCO also experiences difficulty in finding suitable publishers for the translated works which have a specialist and therefore a limited appeal, and are not attractive to commercial publishers.

नई दिल्ली में चोरी के मामले

1737. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में गत तीन महीनों में चोरियों के मामलों की संख्या बहुत बड़ी रही है ;

(ख) पिछले वर्ष की तत्स्थानी अवधि की तुलना में आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) 1-9-64 से 30-11-64 तक नई दिल्ली में 1165 चोरियों के मामले प्रतिवेदित हुये जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 977 मामले प्रतिवेदित हुए।

(ग) ग्रस्त क्षेत्रों में गश्त बढ़ा दी गई है। चोरियों को रोकने के लिये समय समय पर विशेष गश्त और नाके बन्दी भी की जाती है। गश्त को अधिक प्रभावकारी बनाने के लिये कांस्टेबलों द्वारा गश्त का पुनर्गठन कर दिया गया है। गुण्डों तथा अन्य समाजविरोधी तत्वों की गतिविधियों को रोकने के लिये कठोर निगरानी की जा रही है।

बाल पुस्तकों की ग्रन्थसूची

1738. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पाठ्य-पुस्तकों के अतिरिक्त बाल पुस्तकों की टिप्पण-सहित ग्रन्थसूची के संग्रह करने का इरादा है, जिसकी पाठशालाओं के पुस्तकालयों के लिये सिफारिश की जायगी ;

(ख) यदि हां, ऐसी पुस्तकों की जांच करने के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई गई है ; और

(ग) इस कार्य के समाप्त होने की कब आशा है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) विद्यालयों के पुस्तकालयों के लिये टिप्पणसहित ग्रन्थसूची के संग्रह के लिये मंत्रालय का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि कुछ राज्य सरकारों ने शिक्षा के केन्द्रीय मंत्रणा मंडल की सिफारिश पर प्रादेशिक भाषाओं में बाल पुस्तकों की ग्रन्थसूची का संग्रह आरम्भ कर दिया है।

(ख) और (ग) मंत्रालय के पास यह सूचना नहीं है।

Moghul Period Coins

1739. **Shri Yashpal Singh** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 90,000 coins belonging to the Moghul period are at present being treated chemically by the archaeological chemist, Dehra Dun ; and

(b) if so, the results obtained thereby so far ?

Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) Some 90,000 coins are being so treated. But they appear to be of the reign of Mohammed-bin-Tughlak.

(b) The chemical treatment will take a considerable time before the coins are ready for study.

नेहरू भवन

1740. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रत्येक राज्य में सरकार नेहरु भवनों के निर्माण का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे भवनों के निर्माण के लिये क्या कोई योजना तैयार कर ली गई है ;

(ग) इन भवनों का किस प्रकार उपयोग किया जायगा ; और

(घ) इन भवनों का निर्माण कब आरम्भ होगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं।

(ख), (ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान

1741. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रपति ने 1964 में क्षमादान, प्रविलम्बन, परिहार देने और अन्य विषयों के बारे में संविधान के अनुच्छेद 72 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का कितने मामलों में प्रयोग किया था ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : 62 बन्दियों के मामले राष्ट्रपति ने मृत्यू दंड का परिवर्तन आजन्म कारावास में कर दिया था, परन्तु पहली जनवरी से 20 दिसम्बर, 1964 तक उन्होंने किसी मामले में क्षमादान नहीं दिया। (इसमें उन मामलों के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं जिन पर सेना न्यायालय ने विचार किया था)।

मुख्य मंत्रियों को प्रधान मंत्री का पत्र

1742. **श्री रा० गि० दुबे :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्राम प्रसाद :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दी सलाहकार समिति ने यह सिफारिश की है कि 26 जनवरी, 1965 से प्रधान मंत्री जो पाक्षिक पत्र मुख्य मंत्रियों को लिखते हैं वह हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में होने चाहियें ;

(ख) क्या उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि हिन्दी-भाषी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को केवल हिन्दी में पत्र जाने चाहियें ; और

(ग) समिति की और सिफारिशें क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) हिन्दी सलाहकार समिति ने यह सिफारिश की थी कि 26 जनवरी 1965 को अथवा अगले दिन प्रधान मंत्री सब राज्यों के मुख्य मंत्रियों को अपना पाक्षिक पत्र हिन्दी में भी भेजें।

(ख) जी नहीं।

(ग) सभा पटल पर एक विवरण रखा है। [पुस्तकालय में रखा है (देखिये संख्या एल०टी० 3717/64)]

सहायकों की वरिष्ठता का पुनर्निस्थापन

1743. **श्री रा० गि० दुबे :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय के सहायकों की संस्था ने सेवा-काल के अनुसार अपनी प्रवरता में ढील की मांग की है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) अच्छी प्रकार विचार करने के उपरान्त यह निश्चय किया गया है कि प्रवरता नियमों में संशोधन नहीं किया जायगा।

Acquisition Notices on Vacant Plots in Delhi

1744. Shri Naval Prabhakar : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that great difficulty is being experienced in making available cement for the construction of buildings on the plots in Delhi in respect of which acquisition notices have been served ;

(b) whether the Delhi Development Authority propose to grant extension of time to such persons as are unable to get cement for building purposes ; and

(c) if so, the period of such an extension ?

Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) Cement allotted to Delhi as compared to other areas is higher. Individuals whose building plans have been sanctioned by the concerned authority are allotted cement in instalments according to their approved requirements. There is no difficulty about the availability of other building material.

(b) and (c) The notification under Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 intimating Government intention to acquire vacant unbuilt plots in developed colonies was issued by the Delhi Administration and not by the Delhi Development Authority. The question of granting any extension of time by the Delhi Development Authority, therefore, does not arise. Notification under Section 6 of the Land Acquisition, Act 1894 for acquiring vacant plots would be issued only for those plots whose owners do not furnish either the necessary undertaking or cannot show sufficient cause for their inability to build. The Delhi Administration will take into consideration the genuineness of particular cases before issuing such a notification.

दण्डकारण्य में कृषि योजनायें

1745. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री यु० सिं० चौधरी :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य योजना में सितम्बर, 1965 के अन्त तक कार्यकाल के लिये कई नई कृषि योजनाओं को आरम्भ करने का विचार है या पहले ही आरम्भ कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) और (ख) हां, अभी तक एकत्रित अनुभव के आधार पर कुछ पुरानी योजनाओं में सुधार कर दिया गया है और 1964–65 के कार्यकाल के लिये नई योजनायें बनाई गई हैं । इस कार्यवाही की कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें इस प्रकार है :—

(1) परीक्षण किये हुये परिणामों के आधार पर फसल स्वरुप को विस्तीर्ण मात्रा में विविधता और नक़दी फसल की खेती करना जैसे कि एरंडी, संकर मक्की, हल्दी और कोर संधि आदि ।

(2) नाईट्रोजन, फासफोरिक एसिड और पोटाश जैसे भूमि पोषकों को पूरा करने के लिये उर्वरकों का वितरण ।

(3) पहले तीन वर्षों में वनस्पति-रक्षा उपायों की नि:शुल्क सेवा देना ।

(4) उन्नत कृषि औजारों की सप्लाई जिनकी उपयोगिता बसे हुये लोगों ने स्वीकार कर ली है ।

(5) बागबानी के लिये वासभूमि के विस्तीर्ण प्रयोग के लिये छोटे कुओं की व्यवस्था ।

(6) चुने हुये क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत बनाना जिससे उत्पादन में वृद्धि हो और सिंचाई सुविधाओं का फलकारी उपयोग हो ।

(7) उन्नत कृषि औज़ारों का प्रयोग, फसलों के उत्तम स्वरुप और उर्वरकों के प्रयोग की उचित रीति को दिखाने के लिये प्रदर्शनकारी केन्द्रो की अधिक संख्या में स्थापना ।

(8) ग्रामों में प्रदर्शन करना और विभिन्न फसलों के सबसे अधिक उत्पादकों को प्रोत्साहन देने के लिये, ग्राम, क्षेत्र और योजना स्तर पर सबसे अधिक उत्पादन करने वाले किसानों को पारितोषिक बांटना ।

(9) ग्राम सेवकों को कृषि विस्तार में प्रशिक्षण देना ।

(10) सामूहिक संचार माध्यम द्वारा कृषि के उन्नत तरीकों के ज्ञान का प्रसार करने के लिये ग्रामीण जनसभाओं को बुलाने का कार्यक्रम और कृषि विस्तार अधिकारियों की सहायता से बसे हुये लोगों द्वारा कृषि सम्बन्धि सामान्य समस्याओं पर चर्चा करना ।

शिक्षा मनोविज्ञान

1746. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विशिष्ट शिक्षाविदों के इस विचार से सहमत है कि छात्र-शिक्षकों को जो शिक्षा मनोविज्ञान सिखाया जाता है वह बिलकुल भारतीय नहीं है क्योंकि उसे विदेशी पुस्तकों से लिया जाता है ;

(ख) क्या यह सच है कि शिक्षा पर भारतीय पुस्तकें अमरीकन लेखकों की कृतियों की प्रति लिपियां हैं ; और

(ग) यदि हां, तो देश की शिक्षा पद्धती को समाजिक स्तर पर लाने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) प्रश्न के (क) भाग में निर्देशित किसी विशेष विचारों के बारे में सरकार को कोई ज्ञान नहीं है ।

अन्य विज्ञानों की तरह, शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धान्त और रीतियां विश्वव्यापी रुप से लागू होती हैं और उनके लिये कोई राष्ट्रीय सीमा नहीं होती । अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं में जों पुस्तकें प्रयोग में लाई जाती हैं वह मुख्यत: विदेशी लेखकों द्वारा लिखी गई हैं । इस विषय पर भारतीयों द्वारा लिखी गई पुस्तकों की तीन मुख्य श्रेणियां हैं : (1) अंग्रेज़ी में मौलिक रचनायें (2) शिक्षा के सिद्धान्त, अध्यापन की रीतियां, पाठ चारिका आदि पर अंग्रेजी में पुस्तकें ; (3) भारतीय भाषाओं में लिखी पुस्तकें ; दूसरी और तीसरी श्रेणी की पुस्तकें सामान्यत: विदेशी लेखकों की रचनाओं के आधार पर हैं (जिनमें अमरीकन लेखक भी शामिल हैं) ।

(ग) यह उपाय किये गये हैं : (1) अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के साथ विद्यालय शिक्षा के सब स्तरों पर बुनियादी दस्तकारी को आरम्भ करना ; (2) नये पाठ्यक्रमों का बनाना और पाठ चारिका में परिवर्तन, और (3) भारत में की गई गवेषणा के आधार पर विभिन्न विषयों पर पाठ्य-पुस्तकें बनाना जो विशेष रुप से भारतीय समस्याओं से सम्बन्धित हों ।

राष्ट्रीय खेलकूद संस्था, पटियाला

1747. श्री सुबोध हंसदा : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटियाला में राष्ट्रीय खेलकूद संस्था के विशिष्ट कृत्य क्या हैं ;

(ख) क्या यह संस्था भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है ;

(ग) यदि नहीं, तो इस की किस प्रकार की सहायता दी जाती है ; और

(घ) इस संस्था में प्रशिक्षणार्थियों की भर्ती करने का तरीका क्या है और उन को कितनी अवधि के लिये प्रशिक्षण दिया जाता है ।

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्तदर्शन) : (क) शिक्षा पद्धतियों में उच्च प्रशिक्षण दे कर उच्च कोटि के शिक्षकों को तैयार करना ।

(ख) जी, हां ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) तदर्थ चुनाव समिति द्वारा, जिस में संस्था के निदेशक, सम्बन्धित खेल के शिक्षक और सभापति द्वारा निर्देशित प्रशासी बोर्ड का एक सदस्य हैं, तीन वर्षीय तथा एक वर्षीय पाठ्यक्रम के लिये अखिल भारतीय आधार पर प्रविष्टियां की जाती हैं ।

शरणार्थियों का प्रशिक्षण

1748. { श्री सुबोध हंसदा : / श्री विभूति मिश्रा : / श्री क० ना० तिवारी :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल ने उस राज्य में शरणार्थियों के प्रशिक्षण की सुविधायें देने के लिये निधि के लिये कहा है ;

(ख) क्या इस प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री महावीर त्यागी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्लास्टिक के सामान पर उत्पादन शुल्क

1749. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोकैमिकलों से सम्बन्धित आयोजन ग्रुप ने मूल्यों को दूसरे देशों में मूल्यों के स्तर के निकट लाने के लिये प्लास्टिक के सामान पर उत्पादन-शुल्क में भारी कमी करने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी कमी करने की सिफारिश की है ;

(ग) चौथी योजना में प्लास्टिक के सामान के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिये ग्रुप ने और कौन से सुझाव दिये हैं ;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या निर्णय लिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : पेट्रोकमिकलों से सम्बन्धित आयोजन ग्रुप ने प्लास्टिक के सामान और सामान्यता सभी पेट्रोकैमिकल पर उत्पादन शुल्क के स्तर को यथासम्भव नीचे रखने के लिये सिफारिश की है जिस से उत्पादन लागत की अन्य देशों में उत्पादन लगत से तुलना की जा सके ;

(ख) उत्पादन-शुल्क में कोई विशिष्ट कटौती की सिफारिश नहीं की है ।

(ग) चौथी योजना में प्लास्टिक के सामान और पेट्रोकैमिकलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिये ग्रुप ने निम्नलिखित उपाय करने की भी सिफारिश की है :—

(i) मध्यवर्ती पदार्थों पर उत्पादन-शुल्क की छूट ;

(ii) सहायक पदार्थों पर आयात-शुल्क की छूट ;

(iii) तैयार माल पर 'एकल बिन्दु विक्री-कर को अपनाना';

(iv) रेलवे परिवहन लागत को कम करना ; और

(v) नेपथा और अन्य पेट्रोकेमिकलों के भरण स्टाकों की लागत को यथासम्भव कम स्तर पर रखना ।

(घ) हाल ही में हुई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए आयोजन ग्रुप की सिफारिशों की छानबीन की जा रही है ।

पुनर्वास पर व्यय

1750. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास पर विभाजन से लेकर अब तक कुल कितनी राशि व्यय की गई है ;

(ख) पुनर्वास की विभिन्न मदों पर पृथक-पृथक कितना व्यय किया है ; और

(ग) सरकार द्वारा इन शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये प्रत्येक राज्य को ऋणों और अनुदानों के रूप में कितनी राशि दी गई है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) 31 मार्च, 1964 तक 401.66 करोड़ रुपये ।

(ख) और (ग) दो विवरण सभा पटल पर रख दिये गये हैं । [**पुस्तकालय में रखे गये । (देखिये एल० टी० संख्या 3718/64)**]

Pak. Infiltrations

1751. Shri Badshah Gupta : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the number of Pakistanis from East and West Pakistan, separately, who infiltrated into the various States of India, along with the names of those States, during 1963-64 ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) : A statement is attached.

Statement

State	Number of Pakistani Infiltrants from East Pakistan	Number of Pakistani Infiltrants from West Pakistan
Andhra Pradesh	1	2
Assam	3045	Nil
Bihar	47	3
Delhi	4	27
Gujarat	Nil	171
Jammu & Kashmir	Nil	318 (till June, 64)
Kerala	Nil	3
Manipur	22	Nil
Madhya Pradesh	6	17
Maharashtra	82	31
Mysore	3	2
NEFA	9	Nil
Orisa	4	Nil
Punjab	Nil	462
Rajasthan	Nil	638
Tripura	1159	Nil
Uttar Pradesh	23	53
West Bengal	13538	Nil

उरी कसबे में बम विस्फोट

1752. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में उरी कसबे में काश्मीर अतिथि-गृह में पाकिस्तानी तोड़-फोड़ करने वालों ने बम विस्फोट किये;

(ख) यदि हां, तो उन से कितनी क्षति हुई है ;

(ग) क्या कोई गिरफ्तारी की गई है; और

(घ) क्या पाकिस्तान सरकार को कोई विरोध पत्र भेजा गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) हमें ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है कि उरी के अतिथि-गृह में कोई विस्फोट हुआ है ।

(ख), (ग) और (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

पाक राष्ट्रजनों की गिरफ्तारी

1753. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 23 अक्तूबर, 1964 को भारतीय क्षेत्र के $1\frac{1}{2}$ मील अन्दर पूंछ में 9 सशस्त्र पाकिस्तानी राष्ट्रजन गिरफ्तार किये गये थे;

(ख) यदि हां, उन के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) भारतीय क्षेत्र के प्रत्येक इंच में सुरक्षा उपायों को कसने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) हमारी जानकारी यह है कि 23 अक्तूबर 1964 की रात को पूंछ पुलिस स्टेशन के देग्वार-देखाब ग्राम में भारतीय सेना कर्मचारी-वृंद द्वारा शस्त्रास्त्र रहित अवैध रूप से घुस आने वाले 9 पाकिस्तानियों को सन्देह पर पकड़ा था। उन को जम्मू तथा काश्मीर की असैनिक पुलिस को सौंप दिया गया था और एक मामले का पंजीयन किया गया था।

(ग) सभी सम्भव पूर्वोपाय किये गये हैं।

भारतीय प्रशासन सेवा परीक्षा के लिये उम्मीदवार

1754. **श्री मुरली मनोहर :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राम हरख यादव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1957–62 की अवधि में भारतीय प्रशासन सेवा परीक्षाओं में बैठने तथा उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या में कमी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो किस हद तक ;

(ग) इस के कारणों का पता लगाने के लिये क्या कोई अध्ययन किया गया है; और

(घ) इस विषय में प्रस्तावित प्रतिकारक उपाय क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) 1957–62 की अवधि के दौरान उम्मीदवारों की संख्या, जो भारतीय प्रशासन सेवा आदि परीक्षाओं में बैठे और जो व्यक्तित्व परीक्षण के हेतु इण्टरव्यू के लिये बुलाये गये, इस प्रकार है :—

क्रम संख्या	परीक्षा वर्ष	बैठने वालों की संख्या	व्यक्तित्व परीक्षण के हेतु इण्टरव्यू के लिये बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या
1.	1957	5,245	734
2.	1958	6,327	712
3.	1959	6,572	821
4.	1960	5,873	956
5.	1961	5,659	1,060
6.	1962	5,391	834

(ग) और (घ) : यह विषय सरकार के विचाराधीन है ।

प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालिज, श्रीनगर

1755. श्री श्यामलाल सराफ : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालिज, श्रीनगर में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के एक सेक्शन के बीच काफी अर्से से गड़बड़ पैदा की जा रही है ;

(ख) क्या विद्यार्थियों के उक्त सेक्शन ने शेष विद्यार्थियों पर, जब वे (टोकियों में ओलीम्पिक हाकी में हमारे खिलाड़ियों की जीत पर उत्सव मना रहे थे, हिंसात्मक हमले किये, और अथवा अन्यथा अभद्र व्यवहार किया ; और

(ग) यदि हां, तो व्यवस्था और अनुशासन पुनःस्थापित करने, अधम विद्यार्थियों को दण्ड देने तथा इस संस्था में राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को तुरन्त बंद करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, नहीं ; फिर भी 23 अक्टबर, 1964 को एक घटना, जिस में कालिज में विद्यार्थियों की कुल संख्या की एक अल्प संख्या अन्तग्रस्त थी, हुई थी ।

(ख) विद्यार्थियों के एक छोटे से ग्रुप ने ओलीम्पिक हाकी टूर्नामेंट में हमारी जीत पर उत्सव मनाने पर आपत्ति की और हुल्लडबाजी का बर्ताव किया । इस ग्रुप ने दूसरे ग्रुप के विद्यार्थियों पर आक्रमण किये जिस से अत्याधिक मामलों में साधारण चोटें आयी । कालिज अधिकारी और पुलिस जल्दी से आ गये और स्थिति पर काबू पा लिया ।

कोयले से डिजल तेल का निकालना

1756. श्री हिम्मत सिंहका : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निम्न श्रेणी के कोयले से "हाई स्पीड" डिजल तेल निकालने की संभावना का अध्ययन करने के लिये केन्द्रीय ईंधन अनुसन्धान संस्था ने कोई योजना चालू की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) निम्न श्रेणी के कोयले धीमे ताप से कार्बनीकरण किये जाने से उपोत्पाद के रूप में प्राप्त तारकोल से "हाई स्पीड" डीजल तेल के उत्पादन पर केन्द्रीय ईंधन अनुसन्धान संस्था, जेलगोरा ने अनुसन्धान किया है। इस तरीके को प्रयोगशाला के स्तर पर काम में लाया गया है और भारतीय एकस्व संख्या 65,891 के अन्तर्गत इसको एक स्वीकृत किया गया है।

इस तरीके को वाणिज्यिक व्यवहारिकता को आंकने के लिये 100 गैलन प्रति दिन की क्षमता का एक पायलट संयत्र स्थापित किया जा रहा है।

विश्व सतरंज-ओलिम्पिक

1757. **श्री राम सेवक :**
श्री फ० गो० सेन :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तेल-आबिया (इजराइल) में हो रहे विश्व सतंरज के ओलिम्पिक में भाग लेने जा रहा है, और

(ख) यदि हां, तो वहां पर कितने खिलाड़ी जा रहे हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) एक भारतीय शतरंज दल, जिसमें 6 खिलाड़ी थे और एक प्रबन्धक जिन्होंने खेल में भाग नहीं लिया—ये 2 से 25 नवम्बर, 1964 तक तेल-आबिया में हुए विश्व सतरंज आलिम्पिक मुकाबले में भाग ले, पहले ही भाग ले चुकी है ?

राष्ट्रीय पुस्तक प्रन्यास

1758. **श्री यू० सिं० चौधरी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय पुस्तक प्रन्यास घाटे में चल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) राष्ट्रीय पुस्तक प्रन्यास एक वाणिज्यिक उपक्रम नहीं है, परन्तु अच्छे साहित्य के उत्पादन और उसके प्रोत्साहन के लिये इसे स्थापित किया गया है और इसलिये कि जनता को ऐसा साहित्य उचित मूल्य पर उपलब्ध हो सके।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अखिल भारतीय माध्यमिक अध्यापकों की मांगें

1759. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय माध्यमिक अध्यापक संघ द्वारा सरकार को इस मास कोई ज्ञापन पत्र दिया गया है जिसमें अध्यापकों की मांगें दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने उसका क्या उत्तर दिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) नवम्बर, 1964 में एक ज्ञापनपत्र दिया गया था।

(ख) और (ग) : मांगों का संबंध मुख्यत: शिक्षा के लिये योजना व्यय माध्यमिक शिक्षा के समान तरीके और अध्यापकों की सेवा की शर्तों में सुधार से संबंधित हैं। ये समस्याएं मंत्रालय के पास पहले से ही हैं और वह उचित कार्यवाही करता रहा है।

Manhandling of Foreigners in Delhi

1760. Shri Prakash Vir Shastri : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in the last two months in Delhi some incidents of manhandling of foreigners and road accidents involving foreigners took place near Laddaki Buddha Vihara on the Ring Road and at some other places ;

(b) whether it is also a fact that the persons responsible for such incidents have not been adequately brought to book ; and

(c) if so, the steps taken to curb such unsocial elements in the Capital ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) & (b) No incident of manhandling of foreigners was reported to Delhi Police during the period from 1-10-64 to 30-11-64. However, a fatal accident took place near Laddaki Buddha Vihara on the Ring Road in which two Tibetan girls were killed on 20-10-64 by an unknown private car. The case has been registered and is under investigation. The culprits have not been traced so far.

(c) Does not arise.

राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के सहायक निदेशक

1761. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद के सामान्य निदेशक ने प्रादेशिक गवेषणा प्रयोगशाला, हैदराबाद, से कुछ सहायक निदेशकों को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद के अधीन अन्य प्रयोगशालाओं में निदेश के रूप में पदोन्नति दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इन व्यक्तियों की अर्हतायें क्या हैं और सम्बन्धित प्रयोगशालाओं के नाम क्या हैं जहां उन्हें नियुक्त किया गया है।

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, नहीं, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद के सामान्य निदेशक, निदेशक के पद के लिये पदोन्नति देने अथवा नियुक्ति करने का प्राधिकारी नहीं है।

(1) यथाविधि गठित चुनाव समिति की जिस की अध्यक्षता वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद के उप-प्रधान तथा वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य मंत्री ने की थी, सिफारिश पर गवेषणा प्रयोगशाला, हैदराबाद, में सहायक निदेशक, डा० एम० जी० कृष्णा को नवम्बर 1962 में भारतीय पेट्रोलियम संस्था, देहरादून का भारसाधक उपनिदेशक नियुक्त किया गया था। इस के पश्चात भारतीय पेट्रोलियम संस्था के निदेशक की रिक्तता के बारे में विस्तृत प्रचार किया गया था और चुनाव समिति ने जिस की बैठक वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा के उप-प्रधान तथा शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में जून, 1964 में हुई थी, सिफारिश पर डा० एम० जी० कृष्णा को भारतीय पेट्रोलियम संस्था देहरादून के निदेशक के पद के लिये पदोन्नति देने की सिफारिश की थी।

(2) यथा विधि गठित चुनाव समिति की, जिस की अध्यक्षता वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद के उप-प्रधान तथा वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य मंत्री ने की थी, सिफारिश पर जनवरी, 1963 में प्रादेशिक गवेषणा प्रयोगशाला, हैदराबाद के सहायक निदेशक, डा० जी० एस० सिद्धू को प्रादेशिक गवेषणा प्रयोगशाला, हैदराबाद का भारसाधक उप-निदेशक नियुक्त किया गया था।

तत्पश्चात् प्रादेशिक गवेषणा प्रयोगशाला, हैदराबाद के निदेशक की रिक्तता का विस्तृत प्रचार किया गया था और चुनाव समिति ने जिस की बैठक जून, 1964 में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा के उप-प्रधान तथा शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई थी, डा० जी० एस० सिद्धू को प्रादेशिक गवेषणा प्रयोगशाला, हैदराबाद के निदेशक के पद के लिये पदोन्नति देने की सिफारिश की थी।

(3) यथाविधि गठित समिति द्वारा, जिस की बैठक वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा के उप-प्रधान तथा वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक मंत्री की अध्यक्षता में हुई थी, की गई सिफारिश पर प्रादेशिक गवेषणा प्रयोगशाला, हैदराबाद के सहायक निदेशक, श्री जी० एस० चौधरी को मार्च, 1963 में केन्द्रीय यान्त्रिक इंजीनियरी गवेषणा संस्था, दुर्गापुर का भार-साधक उप-निदेशक नियुक्त किया गया था। प्रादेशिक गवेषणा प्रयोगशाला, भुवनेश्वर के निदेशक की रिक्तता का विस्तृत प्रचार किया गया था और एक चुनाव समिति ने, जिस की बैठक अप्रैल, 1964 में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा के उप-प्रधान तथा शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई थी, श्री जी० एस० चौधरी को प्रादेशिक गवेषणा प्रयोगशाला, भुवनेश्वर के निदेशक के पद के लिये पदोन्नति करने की सिफारिश की थी।

(ख) उपर्युक्त तीनों निदेशकों की अर्हतायें पहले से तीसरे अनुबन्ध में दी गई हैं।

[पुस्तकालय में रखे गये—देखिये एल० टी० संख्या 3719/64]

आइ० जी० पुलिस, गुजरात

1762. **श्री मानसिंह पृ० पटेल :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य पुलिस के विलम्बित महानिरीक्षक के विरुद्ध आपराधिक अवचार तथा जालसाज़ी के वह मामले कितने हैं जिन को केन्द्रीय सरकार के पास उस के विरुद्ध अभियोग चलाने की मंजूरी लेने के लिये भेजा गया है ; और

(ख) क्या इन सभी मामलों में मंजूरी दे दी गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) अभियोग चलाने की मंजूरी लेने के लिये गुजरात सरकार से मिले तीन मामलों में से एक का फैसला कर लिया गया है और राज्य सरकार को यह कहा गया है कि अधिकारी पर अभियोग चलाने के लिये मंजूरी देना उचित नहीं होगा परन्तु उन को उस के विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही करने की मंत्रणा दी गई थी। दो अन्य मामले जो हाल ही में प्राप्त हुए हैं सरकार के विचाराधीन हैं।

हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष

1763. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री यमुना प्रसाद मंडल :
श्री बालकृष्ण सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में बुलन्दरशहर से 90 मील पर यमुना और हिन्डोन नदियों की कन्दराओं में स्थित गुलिस्तान गांव में हड़प्पन सभ्यता के उपशेष मिले हैं ;

(ख) यदि हां, तो कोश का ब्योरा क्या है और उन का ऐतिहासिक महत्व क्या है ; और

(ग) क्या सरकार के पास इस स्थान की खुदाई करने के लिये कोई प्रस्ताव है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां।

(ख) टीले के पश्चिमी भाग से हड़प्पन मिट्टी के बर्तन मिले हैं और पूर्वी भाग से केवल हड़प्पन संस्कृति के पश्चात के रंगदार धूसर भाण्ड तथा कोरे भाण्ड मिले हैं।

(ग) इस स्थान की शीघ्र खुदाई करने के लिये कोई प्रस्ताव नहीं है।

मैसूर में स्कूलों को आर्थिक सहायता

1764. डा० सरोजिनी महिषी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में क्रमोन्नत उच्च माध्यमिक स्कूलों को आर्थिक सहायता देने की सिफारिश करने में अत्याधिक देरी करने के क्या कारण है ; और

(ख) सरकार ने, यह देखने के लिये कि सहायता समय पर दी जाये, क्या कदम उठाये हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) हाई स्कूलों को उच्च माध्यमिक नमूने के लिये क्रमोन्नति करने की योजना राज्य क्षेत्र में आती है और यदि इस को राज्य की वार्षिक योजना में सम्मिलित किया जाये तो इस के लिये 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है। अतः भारत सरकार द्वारा आर्थिक सहायता देने की सिफारिश करने का प्रश्न नहीं उठता है। अनुमोदित नमूना योजनाओं के लिये सहायता एक स्वीकृत सूत्र के अनुसार दी जाती है ; अतः इस से यह सुनिश्चित होता है कि सहायता समय पर दी गई है।

शिक्षा कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड

1765. डा० सरोजिनी महिषी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कर्मकारों के लिये एक मजूरी बोर्ड स्थापित कर रही हैं ; और

(ख) क्या सरकार समस्त देश में शिक्षा के क्षेत्र में प्रचलित विभिन्न वेतनक्रमों, वरिष्ठता निर्धारित करने सम्बद्धी समस्याओं तथा सम्बद्ध विषयों को ध्यान में रखते हुए, उक्त बोर्ड को शीघ्रता से स्थापित करने के लिये उपायें करेगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, नहीं।

(ख) शिक्षा के क्षेत्र में कर्मकारों की कई श्रेणियां हैं जिन की शर्तें एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग अलग हैं और क्योंकि यह एक राज्य-विषय है, केन्द्रीय मजूरी बोर्ड को स्थापित करना सुकर नहीं है।

Education Tax

1766. Shri D. S. Patil : Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the names of the States in which education tax has been imposed ; and

(b) the additional income accrued to the State Governments from this tax ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) and (b) The information is being collected from the State Governments.

Non-Payment of Petrol Charges

1767. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Bade :
Shri Y. D. Singh :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Delhi Police Control Room received any message during the early hours of 17th May, 1964 that some boys after taking petrol from a petrol pump on the New Palam Road, New Delhi drove away in a car without making any payment ;

(b) whether any investigation was made into this case ; and

(c) if so, the result thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) Full report of the investigation is still awaited.

केरल का भूतपूर्व मुख्य मंत्री

1768. **श्री कोया :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केरल कांग्रेस के ज़िम्मेदार नेताओं द्वारा केरल के भूतपूर्व मुख्य मंत्री के विरुद्ध लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोपों की ओर आकर्षित किया गया ;

(ख) यदि हां, तो इस विषय में कोई जांच की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) केरल के चार कांग्रेसियों द्वारा हस्ताक्षरित एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था। ऐसी हालत में इन आरोपों की जांच करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

रांची में दंगे

1769. **श्री ह० च० सोय :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 नवम्बर, 1964 की साप्ताहिक पत्रिका 'आर्गनाइज़र' में प्रेस प्रतिवेदन की ओर दिलाया गया है जिस में यह कहा गया है कि बिहार के ज़िले रांची और सिंधभूम में साम्प्रदायिक दंगों के मुख्य कारण मुसलमानों में आदिवासियों का अहित करके बहु विवाह की पद्धति और आदिवासियों से मुसलमानों को भूमि का अन्यसंक्रामण हैं ; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : जी हां। परन्तु सरकार यह नहीं समझती है कि बिहार के जिले रांची और सिंधभूम में पिछले साँम्प्रदायिक दंगें इन दो आधारों के कारण हुए थे।

Late Shri Jawaharlal Nehru's Role in the Modern World

1770. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a proposal has been received from the UNESCO for organising an international conference on the late Shri Jawaharlal Nehru's role in the modern world ;

(b) if so, a brief outline of the proposal ; and

(c) the location of the proposed conference?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) (b) and (c) No proposal has yet been received by the Government of India. However, the thirteenth General Conference of UNESCO adopted a resolution to honour the memory of Jawaharlal Nehru by taking, among others, the following steps;

(a) Nehru Memorial Conferences to be convened once every two years in years when the General Conference is not in session. These Conferences will bring together in the spirit of Jawaharlal Nehru a small group of the world's leading thinkers, philosophers, artists and publicists to consider some of the great themes of human civilisation which distinguish Eastern and Western Cultures and reveal their common bonds. The theme, location etc. of the Nehru Memorial Conference to be held in 1965 will be decided by the Director-General of UNESCO on the advice of an international committee of not more than six members to be nominated by him.

(b) A Round Table of cultural leaders including thinkers, philosophers, scientists, educationists, writers, artists and publicists from all over the world will be organised on Jawaharlal Nehru's role in the Modern World. The organisation of the Round Table will be considered by the International Advisory Committee on the Major Project for the mutual appreciation of Eastern and Western Cultural Values, which is expected to meet in New Delhi some time during 1965-66.

Conference of C.P.I. at Bombay

1771. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Sidheshwar Prasad :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the portrait of Mao-Tse-Tung was displayed and garlanded at the conference of the Communist Party of India held at Bombay in September, 1964;

(b) whether it is also a fact that the Maharashtra Government had informed the Central Government about it ; and

(c) if so, the action taken by Government in this behalf ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) : (a) and (b) , Yes, Sir.

(c) If any such action comes within the mischief of the law, it will be dealt with according to law.

5-- 16 L.S./65

नगर निगम के मेहत्तरों द्वारा हड़ताल

1772. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि:

(क) क्या यह सच है कि नगर निगम के मेहत्तरों ने नगर के तीन खंडों में कूड़ा हटाने की ठेका प्रणाली के विरुद्ध विरोध प्रकट करने के लिये हड़ताल कर रखी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) करोलबाग़ खंड के लारी मेहत्तरों के उद्देश्य से सहानुभूति में नगर के तीन खंडों में लगे लारी मेहत्तरों ने हड़ताल की थी । 25 नवम्बर, 1964 को उन्हों ने, यह समझौता हो जाने पर, कि कूड़ा हटाने की ठेका प्रणाली को समाप्त करने की मांग से उत्पन्न झगड़े को मेयर के निर्णय पर छोड़ दिया जाये, कार्य को संभाल लिया था ।

दिल्ली शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों का प्रशिक्षण

1773. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिक्षा निदेशालय, दिल्ली प्रशासन के कुछ ऐसे अधिकारियों को, जो सेवामुक्त होने वाले हैं, कुछ प्रशिक्षण के लिये सरकारी खर्चे पर इंगलैंड भेजा गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कोई शिकायतें प्राप्त हुई है ; और

(घ) उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, नहीं । हाल ही में केवल एक ही अधिकारी विदेश गया है, वह शीघ्रही सेवानिवृत्त होने वाला नहीं है और उसके प्रशिक्षण का खर्च सरकारने नहीं उठाया था ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) एक पत्र मिला था जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि एक कम आयु के व्यक्ति को, जो कम से कम दो वर्ष तक सेवा कर सके, सरकारी खर्चे पर भेजा जाना चाहिये था ।

(घ) कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गई थी ।

केरल के आइ० जी० पुलिस के संबंध में गोपनीय पत्र

1774. **श्री मणियंगाडन :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री मह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बारे में कोई जांच कराई गई है कि महा निरीक्षक पुलिस केरल के सम्बन्ध में एक गोपनीय पत्र की फोटोस्टैट प्रति किसी मल्यालम समाचार पत्र में किस प्रकार प्रकाशित हो गई; और

(ख) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : एक गोपनीय पत्र की फोटोस्टैट प्रति के प्रकाशन के संबंध में केरल राज्य की स्थानीय पुलिस द्वारा जांच की जा रही है ।

(ख) मामला अभी विचाराधीन है ।

केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं के अधिकारी

1775. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं के अवर सचिवों की एक बड़ी संख्या, जिसे 1951 में श्रेणी एक सेवा में नियुक्ति के लिये अनुमोदित कर लिया गया था, अपनी श्रेणी के अधिकतम वेतन पर ही स्थिर है;

(ख) क्या अन्य सेवाओं, जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा सेवा, भारतीय डाक सेवा के तुलनात्मक योग्यता तथा वरिष्ठता के अधिकारियों को ऊंचे पदों पर पदोन्नत किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं के अधिकारियों के साथ समान बर्ताव किये जाने को सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) (क) केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं के ऐसे अवर सचिवों की संख्या 4 है जिन्हें 1951 में उस श्रेणी में नियुक्ति के लिये अनुमोदित किया गया था और जो श्रेणी के अधिकतम वेतन पर पहुंच गये हैं ।

(ख) और (ग) उच्चतर पदों पर पदोन्नति इन इन बातों पर निर्भर है: (एक) पद की आवश्यकताएं, और (दो) विभिन्न सेवाओं के उपलब्ध पात्र अधिकारियों का अनुभव, पृष्ठ भूमि, योग्यता तथा उपयुक्तता । विभिन्न सेवाओं के अधिकारियों के साथ मुकाबिला करने का कोई सामान्य आधार नहीं है ।

ईसाई पिछडे वर्ग संघ

1776. **श्री मणिचंगाडन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईसाई पिछड़े वर्ग संघ ने केरल सचिवालय के सामने सत्याग्रह आन्दोलन किया था ;

(ख) क्या सत्याग्रह से पूर्व उन्होंने अपनी कठिनाइयों के संबंध में कोई अभ्यावेदन दिया था ;

(ग) यदि हां, तो कठिनाइयां क्या हैं ; और

(घ) उनके निवारण के लिये यदि कोई कदम उठाये गये हैं तो वे क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (घ) उनकी मांगें इस प्रकार हैं :—

1. लोक सेवाओं में धर्मान्त्रित ईसाइयों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व तथा प्राथमिकता दी जाये ।

2. (क) विधि, कला तथा व्यवसायिक कालिजों में अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को जो रियायतें दी गई हैं वे सभी रियायतें धर्मान्त्रित ईसाइयों को भी दी जायें ।

(ख) गैर-सरकारी व्यवसायिक कालिजों में भी दाखिले और रियायतें दी जायें जैसे कि सरकारी व्यवसायिक कालिजों में दी जाती हैं ।

(ग) गैर-सरकारी तथा सरकारी औद्योगिक स्कूलों में दाखिले और रियायतें दी जायें जैसे कि अनुसूचित जातियों को दी जाती हैं ।

3. कुटीर उद्योगों को चलाने के लिये वित्तीय सहायता दी जाये ।

4. समुदाय को विकास समितियों और भूमि नियतन समितियों में प्रतिनिधित्व दिया जाये ।

5. एक रबड़ बस्ती स्थापित करने के लिये पिछड़ी जातियों की ईसाई संघ को 100 एकड़ भूमि दी जाये ।

6. संघ लोक सेवाओं में प्रतिनिधित्व दिलाने के लिये कदम उठाये जायें ।

7. लोक सेवाओं में धर्मान्त्रित ईसाइयों की भर्ती के लिये समय सीमा वही होनी चाहिये जो अनुसूचित जातियों के लिए है।

8. पंचायतों में धर्मान्त्रित ईसाइयों के लिये स्थान रक्षित करने के लिये एक विधेयक पुरःस्थापित किया जाये ।

9. हरिजन कल्याण विभाग का पुनर्गठन किया जाये और उसे हरिजन/धर्मान्त्रित ईसाई के एक अधिकारी के नियंत्रण में लाया जाये ।

10. हरिजनों को आवास योजना की जो सुविधाएं दी जाती हैं वे धर्मान्त्रित ईसाइयोंको भी दी जायें ।

11. शिक्षा संबंधी रियायतों के लिये पिछड़ी जातियों की ईसाई संघ द्वारा दिये गये सामुदायिक प्रमाणपत्रों को स्वीकार किया जाये ।

12. कुहानड क्षेत्र में काम करने वाले 'हैड कुलियों' को औद्योगिक विधियों के अन्तर्गत लाया जाये और उनको आवश्यक संरक्षण दिया जाये ।

13. विश्वकर्म, गानाकार, पंडीबर आदि समुदायों को शिक्षा सम्बन्धी रियायतें दी जायें ।

इन सभी मांगों पर जो कि 24 मार्च, 1960 को पेश की गई थीं सरकार द्वारा विस्तृत रूप से विचार किया गया था और पिछड़ी जातियों की ईसाई संघ के उस समय जो प्रधान थे उनको 13 जुलाई, 1960 को उत्तर दे दिया गया था । पिछड़ी जातियों की ईसाई संघ के आयोजक ने अपने 6 अगस्त, 1964 के पत्र द्वारा पहली मांगों पर पुनर्विचार और उनकी स्वकृति के लिये जोर दिया । मामला अभी विचाराधीन है ।

मुसलमानों द्वारा संस्कृत का अध्ययन

1777. **श्री च० का० भट्टाचार्य :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उपकुलपति श्री बद्रुद्दीन त्यावजी के भाषण की ओर दिलाया गया है जो उन्होंने विश्वविद्यालय में संस्कृत संस्था और संस्कृत गोष्ठि का उद्घाटन करते समय दिया था और जिसमें भारतीय मुसलमानों से संस्कृत के अध्ययन करने "उनके देशवासियों की बड़ी संख्या को और भारतीय संस्कृति को समझने" के लिये कहा गया है;

(ख) क्या सरकार के पास इस प्रकार के अध्ययनों को प्रोत्साहन देने का कोई कार्यक्रम है विशेषत: विश्वविद्यालयों में, और

(ग) क्या श्री त्यावजी के सुझाव को राष्ट्रीय एकीकरण के कार्यक्रम में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) लगभग सभी विश्वविद्यालयों में संस्कृत के अध्ययन की व्यवस्था है और विद्यार्थी को संस्कृत के पाठ्यक्रमों को ग्रहण करने की स्वतन्त्रता है । हां, ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके अन्तर्गत किसी समुदाय के विद्यार्थियों को संस्कृत पढ़ने के लिये प्रोत्साहन दिया जाता हो ।

टोक्यो ऑलिम्पिक्स

1778. **श्री कर्णी सिंहजी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर 1964 में टोक्यो ऑलिम्पिक्स में भाग लेने के लिये जो भारतीय खिलाड़ी वहां गये थे उन्होंने ऑलिम्पिक खेलों में कौन कौन से स्थान प्राप्त किये;

(ख) क्या यह सच है कि भारत की राष्ट्रीय राइफल संस्था के पास राइफल, पिस्तोल और निशानाबाज़ी के प्रशिक्षण के लिए अभी तक कोई उपयुक्त स्थान नहीं है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस संस्था के पास भारतीय निशानाबाज़ों को प्रशिक्षण देने के लिये आधुनिक किस्म के निशानाबाज़ी के उपकरण नहीं हैं ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार उक्त संस्था को निशाना बांधने के लिये भूमि देने और प्रशिक्षण प्रयोजनों के लिये आवश्यक उपकरण देने के लिये क्या सहायता देना चाहती है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) हाकी—प्रथम स्थान प्राप्त किया और स्वर्ण पदक जीता ।

कुश्ती—8 पहलवानों में से एक ने छठा स्थान प्राप्त किया और 'बैन्टम वेट' में ऑलिम्पिक डिप्लोमा जीता। 5 पहलवान तीसरे और चौथे राउंड तक पहुंचे और 2 प्रथम अथवा द्वितीय राउंड तक पहुंचे ।

खेल—पुरुषों की 110 मीटर की हडल्स दौड़ में 13 खिलाड़ियों में से एक ने पांचवां स्थान प्राप्त किया । 400 मीटर की रिले टीम और 400 मीटर की दौड़ में एक मात्र महिला खिलाड़ी सेमी फाइनल तक पहुंची । कई मील की लम्बी दौड़ में भारत के दौड़ने वालें खिलाड़ियों का स्थान 33वां और 43वां था । अन्य प्रारंभिक राउंडों में ही रह गये थे ।

भार उठाना—एक का 13वां स्थान था और दूसरे का 14वां ।

निशानाबाज़ी—एक ने 26वां स्थान प्राप्त किया और दूसरे ने 49वां ।

गोताखोरी—एक ने 25वां स्थान प्राप्त किया और दूसरे ने 30वां ।

व्यायाम विद्या—अन्तिम स्थान ।

साईकिल चलाना—अन्तिम स्थान ।

(ख) और (ग) जी हां ।

(घ) इस बारे में उक्त संस्था से सहायता के लिये जो प्रार्थनाएं प्राप्त हुई हैं उन पर उचित रूप से विचार किया जायेगा ।

केन्द्रीय सरकार की नौकरियां

1779. **श्री मनोहरन :**
श्री कपूर सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार में नौकरियां केवल रोजगार कार्यालय द्वारा भेजे गये उम्मीदवारों को ही मिलती हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन नियमों का उल्लंघन करने के बारे में प्रायः शिकायतें की गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो दोषी कार्यालयों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) वर्तमान हिदायतों के अनुसार, भारत सरकार के अधीन विभिन्न सेवाओं/पदों के लिये भर्ती रोजगार कार्यालय द्वारा की जाती है, केवल उन नियुक्तियों को छोड़कर जो कि संघ लोक सेवा आयोग की सलाह से, अथवा तबादले द्वारा, अथवा प्रति-नियुक्ति द्वारा, अथवा विभागीय परीक्षाओं द्वारा अथवा उस प्रयोजन के लिये मनोनीत करने के मान्य

तरीकों द्वारा की जाती हैं। फिर, व्यक्तिगत मामलों में प्रशासनिक मंत्रालय महानिदेशक, रोज़गार तथा प्रशिक्षण के परामर्श से रोज़गार कार्यालय को बीच में न लाकर स्वयं भी भर्ती कर सकते हैं।

(ख) और (ग) 1963–54 के लिये अपेक्षित जानकारी बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**पस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3720/64**]

नई दिल्ली नगरपालिका

1780. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर निगम का एक प्रतिनिधि मंडल हाल ही में उनसे इस बारे में हस्तक्षेप करने के लिये मिला कि केन्द्रीय सरकार तथा अन्य सरकारी संगठनों की ओर जो बकाया राशियां हैं उनका शीघ्र भुगतान किया जाये;

(ख) यदि हां, तो बकाया राशि कितनी है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) बकाया राशि की बड़ी मात्रा गृह-कर/सेवा शुल्क के संबंध में है जो नई दिल्ली नगर पालिका के अनुसार लगभग 4.45 करोड़ रुपये बनता है। तथापि, यह समझा जाता है कि वास्तव में यह राशि काफ़ी कम होगी। निर्माण और आवास मंत्रालय ने जो कि मुख्यतः सम्बन्धित है, इस संबंध में 1.75 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।

(ग) निर्माण और आवास मंत्रालय जो कि मुख्य संबंधित मंत्रालय हैं शीघ्र हिसाब चुकाने के लिये आवश्यक कार्यवाही कर रहा है।

फतेहपुर सीकरी के पास रॉक शेलटर्स

1781. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री बालकृष्ण सिंह :
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुरातत्व विभाग के खुदाई करने वालों ने आगरा-बड़ियान सड़क पर फतेहपुर सीकरी (उत्तर प्रदेश) के 5 मील उत्तर की ओर राक शेलटर्स का पता लगाया है, जिन्हें पूर्वेतिहासिक समझा जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका संक्षिप्त विवरण क्या है और ऐतिहासिक मूल्य क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) चार रॉक शेल्टरों का 1959 में पता लगा था। परन्तु इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि वे पूर्वैतिहासिक हैं।

(ख) उनमें भीतरी छतों पर पुरुषों, पशुओं और पक्षियों की फीकी फीकी तस्वीरें (काले और लाल रंगों में) हैं। इनको किसी खास समय की नहीं कहा जा सकता और इनका कोई कलात्मक मूल्य नहीं है। रॉक शेल्टर्स के पता लगने की खबर को "इन्डियन आर्किलोजी—ए रिव्यू 1959–60" में दिया गया था।

राष्ट्रीय लोकतन्त्रात्मक सम्मेलन

1782. **श्री दे० शि० पाटिल :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल ही में नई दिल्ली में हुए राष्ट्रीय लोकतन्त्रात्मक सम्मेलन में पास किये गये संकल्पों की ओर दिलाया गया है जिसमें देश के अल्पसंख्यक मुसलमानों की तथाकथित समस्याओं का वर्णन किया गया और एक में यह मांग की गई कि भारत के सभी साम्प्रदायिक दलों पर से रोक हटा दी जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उसपर सरकार की प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां।

(ख) जो विभिन्न सुझाव और सिफारिशें दी गई हैं उनपर यथा समय विचार किया जायेगा।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूहों में भूमि सुधार

1783. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री कोल्ला वेंकैया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार अण्डमान और निकोबार द्वीप समूहों में भूमि सुधारों के प्रश्न पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावित भूमि सुधारों की मोटी रूप रेखा क्या है ; और

(ग) ये सुधार कब लागू किये जायेंगे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह भूमि राजस्व तथा भूमि सुधार विनियम को जारी करने के लिये एक प्रस्ताव विचाराधीन है। अन्य बातों के साथ साथ इसमें इन इन चीज़ों की व्यवस्था है : राजस्व अधिकारियों तथा उनकी शक्तियों का श्रेणीकरण, उचित सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त की कार्यवाहियां तथा भूमि रिकार्डों की तैयारी, ग्राम अधिकारियों की नियुक्तियां तथा उनकी ड्यूटियां, भू राजस्व का उगाहना, भूधारण की विनियमन, पट्टेदारी अधिकारों का न्यसन, चकबन्दी तथा सहकारी फार्मों का बनाना।

प्रस्तावित विनियम को अन्तिम रूप देने के तुरन्त बाद जारी कर दिया जायेगा।

भोपाल के पास पुरातत्वीय खुदाई

1784. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूपाल नगर के पास खुदाई में बड़े और छोटे तलावों के उत्तरी और दक्षिणी किनारों पर पाषाण युग के प्रारम्भिक, मध्य के तथा अन्तिम वर्षों के हथियारों का पता लगा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पुरात्वीय खुदाई के परिणामस्वरूप मिली वस्तुओं का ब्योरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां।

(ख) क्वॉर्टज़ाइट उपल के बने आरम्भिक तथा मध्य युग के ओजारों का पता लगा है। उनमें उपल गंडासे, काटने के ओज़ार, हाथ के कुल्हाड़े, विदारक, अण्डाम और बिम्बाम शामिल हैं। पाषाण युग के अन्तिम वर्षों के ओज़ारों का भी पता चला है जिनमें तक्षणी, फलक और नुकीले हथियारों के नमूने शामिल हैं।

केरल में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये विदेशों में शिक्षा ग्रहण करने के लिये छात्र वृत्तियां

1785. **श्री प० कुन्हन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री अ० व० राघवन :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1962–63 और 1963–64 में विदेशों में शिक्षा ग्रहण करने के लिये केरल में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों से कितने प्रार्थनापत्र प्राप्त है ; और

(ख) अब तक कितने उम्मीदवार चुने गये हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क)

वर्ष	प्राप्त प्रार्थनापत्रों की संख्या
1962–63 . . .	1
1963–64	2

(ख) कोई नहीं।

केन्द्रीय सचिवालय का स्टाफ

1786. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा किये गये सर्वेक्षण के प्रतिवेदन में यह बताया गया है कि केन्द्रीय सचिवालय के 30 प्रतिशत कर्मचारी आन्तरिक-व्यवस्था के कार्यों में व्यस्त रहते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) शायद निर्देशन उस अनुमेलन की ओर है जो वित्त-मंत्रालय के विशेष पुनर्गठन एकक ने कुछ वर्ष हुए किया था, इसमें यह बताया गया था केन्द्रीय सचिवालय के लगभग 30 प्रतिशत अनुभाग आन्तरिक व्यवस्था के कार्य करते हैं।

(ख) इस अनुमेलन में मितव्ययिता और के शीघ्र निपटाने के लिये इन आन्तरिक व्यवस्था अनुभागों की प्रक्रिया के सरलीकरण और वैज्ञानिकीकरण के महत्व पर बल दिया गया था। विशेष पुनर्गठन एकक के अध्ययन के आधार पर प्रस्तावित सरलीकरणों पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया जिसके फलस्वरूप संगठन और प्रणाली विभाग ने उन आन्तरिक व्यवस्था करने वाले विभागों के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिये मानकित प्रक्रिया पर पुस्तिका, माडल फार्म और पड़ताल सूचियां तैयार कीं।

वेल्लोर में जलगंडेश्वर मंदीर

1787. **श्री म० प० स्वामी :**
श्री मलाई छात्री :
श्री व० गो० नायडू :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मद्रास की जनता से कोई ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त किया है जिसमें उन्होंने पुरातत्व विभाग से यह प्रार्थना की है वेलूर में जलगंडेश्वरार मंदिर में उन्हें मूर्ति की स्थापना करने और पूजा करने की आज्ञा दी जाय ;

(ख) क्या मद्रास सरकार ने इस प्रस्ताव की सिफारिश की है ; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां, 1961 में और उससे पहले।

(ख) जी हां।

(ग) क्योंकि पूजा और मूर्ति स्थापना का पुन: प्रवर्तन प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों की भावना के विरुद्ध है, इसलिये प्रार्थना स्वीकार नहीं की गई।

उड़ीसा के एक अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी के विरुद्ध जांच

1788. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री 30 सितम्बर, 1964 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1571 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री सोमनाथ मिश्र आई० ए० ऐस० (उड़ीसा) जो सेवा से निलंबित थे, के विरुद्ध जांच पूरी हो गई है ;

(ख) क्या न्यायालय में उनके विरुद्ध कोई अभियोग चलाने का विचार है ; और

(ग) उनके विरुद्ध आरोपों की मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। विभागीय कार्यवाही करने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(ग) उनके विरुद्ध आरोपों का इस समय प्रकट करना लोक हित में नहीं है।

Calcination Plant at Barauni

1789. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Petroleum** and **Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that plant and machinery are being imported from U.S.S.R. for setting up a Calcination plant at Barauni in Bihar ;

(b) if so, when these are expected to arrive ; and

(c) the probable cost thereof ?

Minister of Petroleum & Chemicals (Shri Humayun Kabir) : (a) The scheme for calcination of petroleum coke at Barauni is under study along with alternative processing schemes.

(b) & (c) Do not arise.

गुजरात के तेल क्षेत्रों से तेल

1790. **श्री दे० जी० नायक :**
श्री जसवन्त मेहता :

क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों में तेल की खोज पर आरम्भ से अब तक, राज्य-वार, कितना व्यय हुआ है ;

(ख) अंकलेश्वर और कालोल तेल क्षेत्रों से कोयली में परिष्करीणी को तेल सप्लाई करने के लिये तेल और प्राकृतिक गैस आयोग क्या मूल्य लेने का विचार कर रहा है ; और

(ग) तेल क्षेत्रों से कोयली में परिष्करिणी के लिये परिवहन प्रभार क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क), (ख) और (ग) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग सूचना को एकत्र कर रहे हैं और वह सभा पटला पर रखी जायगी ।

राष्ट्रीय 'फायर ' सेवा विद्यालय

1791. **श्री रिशांग किशींग :**
श्री नम्बियार :
श्री इम्बीचिबावा :
श्री कुन्हन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय फायर सेवा विद्यालय 1955 में स्थापित किया गया था और इसकी साथी संस्था केन्द्रीय आपात सहायता प्रशिक्षण संस्था की स्थापना 1957 में हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो दोनों संस्थाओं में क्या अन्तर है;

(ग) क्या दूसरी संस्था के सब कर्मचारियों को पक्का कर दिया गया है परन्तु पहली संस्था के कर्मचारियों को पक्का नहीं किया गया ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) राष्ट्रीय फायर सेवा विद्यालय फायर सेवा के कर्मचारियों के लिये व्यावसाहिक पाठ्यक्रम की शिक्षा देती है, जब कि केन्द्रीय आपात सहायता प्रशिक्षण संस्था आपात सहायता और असैनिक प्रतिरक्षा के पाठ्यक्रमों मे शिक्षा देती है ।

(ग) और (घ) : केन्द्रीय आपात सहायता प्रशिक्षण संस्था में अधिकतर कर्मचारियों को पक्का कर दिया गया है । जहां तक राष्ट्रीय फायर सेवा विद्यालय का संबंध है कुछ कर्मचारियों को पक्का कर दिया गया है, और शेष कर्मचारियों को पक्का करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति

1792. श्री कोल्ला वेंकेय्या : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपती के भवन के लिये स्थान दे दिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) तिरुपति तिरुमलाई देवस्थानम ने पहले ही 26.36 एकड़ भूमि केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ को पट्टे पर दे दी है। अतिरिक्त भूमि के लिये आन्ध्र प्रदेश सरकार से और श्री वेंकटेश्वरम विश्वविद्यालय से बातचीत चल रही है ; और आशा है कि अन्तिम निर्णय शीघ्र ही लिया जायगा।

श्रीनगर में बम विस्फोट

1793. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हुकमचन्द कछवाय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 4 दिसम्बर, 1964 को जम्मू और काश्मीर राज्य में श्रीनगर के असैनिक सप्लाई गोदाम में एक बम फटा था;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति आहत हुये, और

(ग) पिछले तीन महीनों में जम्मू और काश्मीर में अन्य विस्फोटों का ब्यौरा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) कोई व्यक्ति आहत नहीं हुआ।

(ग) 1 सितम्बर, 1964 से बम विस्फोटों के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा है। **[पुस्तकालय में रखा है। देखिये संख्या एल० टी० 3721/64]**

"कोई बैठक नहीं" दिन

1794. **श्री राव बरुवा :**
श्री हे० बी० कौजलगी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री ल० ना० भंजदेव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री का एक सप्ताह में "कोई बैठक नहीं दिन" का सुझाव कार्यान्वित करने के लिये स्वीकार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) गृह-मंत्रालय की ओर से जारी किये गये अनुदेशों के आधार पर, मंत्रालयों में यह आदेश जारी किये गये हैं कि बुधवार को कोई बैठक नहीं होनी चाहिये, इस नियम का अपवाद तभी हो सकता है जब कोई बैठक परमावश्यक है, और वह भी संबद्ध मंत्रालय के सचिव के लिखित अनुमोदन पर हो सकता है ।

दिल्ली में पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी

1795. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में कुछ पाकिस्तानी पकड़े गये थे और उनसे कुछ बहुमूल्य रत्न भी प्राप्त हुए थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि कुछ स्थानीय लोग पकड़े गये थे जो उन पाकिस्तानियों की सहायता कर रहे थे;

(ग) क्या कोई जांच का आदेश दिया गया था ; और

(घ) यदि हां, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) 6-12-64 को नई दिल्ली की एक दुकान से रत्नों और जेवरों की चोरी के सम्बन्ध में एक विदेशी राष्ट्रिक और निज़ामुदीन बस्ती का वासी गिरफ़्तार किये गये थे । दूसरे व्यक्ति की झुग्गी के निकट चोरी किये गये सामान का कुछ भाग प्राप्त हुआ था ।

(ग) और (घ) जांच अभी पूरी नहीं हुई है ।

वैज्ञानिक गवेषणा

1796. **श्री राम हरख यादव :**
श्री मुरली मनोहर :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के संचालकों की देश में वैज्ञानिक गवेषणा सम्बन्धी सुधार करने की दृष्टि से उपाय किये जाने के बारे में लखनऊ में हाल ही में हुये सम्मेलन में क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ख) सरकार ने उन सिफारिशों पर क्या निर्णय किया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : सभापटल पर एक विवरण रखा गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । (देखिये 3722/64)]**

(क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद के शासी निकाय द्वारा अपनी अगली बैठक में इन सिफारिशों पर विचार किया जायेगा ।

Propagation of Sanskrit

1797. Shri Sidheshwara Prasad : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the names of the State which have been allotted funds by the Central Government during 1963-64 for propagation of Sanskrit, the amount thereof and the items for which it was allotted ;

(b) whether the amount allocated to them during 1962-63 was spent fully ; and

(c) whether there are any arrangements for inspection and evaluation of works done in those States, which are allotted funds for this purpose ?

The Deputy Minister of Education (Shri Bhakt Darshan) : (a) Under the centrally sponsored scheme for award of scholarships to the students of High/Higher Secondary schools studying Sanskrit, the following funds were allotted to the States :—

Name of State	Funds allotted
1. Assam, Bihar, Gujarat, Jammu & Kashmir, Kerala, Mysore, Punjab, Rajasthan, Maharashtra, Orissa, West Bengal and Madras.	Rs. 6,000·00 to each State.
2. Andhra Pradesh and Madhya Pradesh	Rs. 8,880·00 each.
3. Uttar Pradesh	Rs. 6,480·00.
4. Himachal Pradesh . . .	Rs. 2,400·00.
5. Tripura and Manipur . .	Rs. 600·00 each.
6. Delhi	Rs. 3,600·00.
7. Goa and Andaman & Nicobar . .	Rs. 480·00 to each territory.

(b) No amount was allotted during 1962-63.

(c) As the amount was allotted for Scholarships to the Students, no inspection is required. The State Governments, Union Territory Governments/Administrations are required to furnish particulars of the students selected.

हिन्दी में पाठ्यपुस्तकें

1798. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा मंत्रालय ने सभी विषयों में उच्चतर स्तरों की पाठ्यपुस्तकें हिन्दी में तैयार किये जाने की कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये 3723/64]**

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पुस्तक प्रदर्शनी

1800. **श्री राम हरख यादव :**
श्री मुरली मनोहर :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गुलशन :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा दिल्ली में आयोजित पुस्तक प्रदर्शनी समाप्त हो गयी है ;

(ख) यदि हां, तो यह कहां तक सफल रही है ;

(ग) क्या सरकार का देश के अन्य भागों में भी ऐसी प्रदर्शनियां करने का विचार है; यदि हां, तो कहां ; और

(घ) योजना पर लगभग कितना व्यय होगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां ।

(ख) अच्छी पुस्तकों के उत्पादन तथा परिचालन में रुचि को बढ़ावा देना । इस प्रदर्शनी की लोक प्रियता से यह उद्देश्य सिद्ध हो गया है ।

(ग) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का विचार प्रदर्शनी को अन्य स्थानों अर्थात अहमदाबाद, बम्बई, पूना, मद्रास और कलकत्ता ले जाने का है ।

(घ) प्रश्न के भाग (ग) में निर्दिष्ट प्रदर्शनियों पर व्यय को मिलाकर लगभग एक लाख रुपये ।

देवली कैम्प

1801. **श्री राम हरख यादव :**
श्री मुरली मनोहर :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हुकमचन्द कछवाय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार देवली कैम्प को तोडने और वहां रखे गये चीनी नज़रबन्दियों को रिहा करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) देवली कैम्प में चीनी नजरबन्दियों के मामलों की जांच की गई है । परिणाम स्वरूप उनमें से कुछ नजरबन्दियों को रिहा कर दिया गया है अथवा किया जा रहा है । अन्य व्यक्तियों को निरोध के लिये राज्यों के जेलों में स्थानान्तरित किया जायेगा । उपरोक्त ढंग से नजरबन्दियों को इधर उधर किये जाने के बाद इस कैम्प को समाप्त कर देने का विचार है ।

मंत्रियों की मूर्तियां

1802. **श्री नरसिम्हा रेड्डी :**
श्री हिम्मत सिंहजी :
श्री य० न० सिंह :
श्री सोलंकी :
श्री प० ह० भील :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय मंत्रियों (पदारुढ़ अथवा अपदस्थ) की देश के विभिन्न भागों में अब तक बनाई गई मूर्तियों की कुल कितनी संख्या है ; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इन मूर्तियों में किये गये व्यय में कोई अंशदान किया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रखी जायेगी ।

(ख) साधारण तौर पर ऐसे मामलों में गैर-सरकारी संगठनों को पहले लेनी चाहिये और इस काम के लिये उनके पास समुचित योजना तथा उसकी क्रियान्विति के लिये पर्याप्त धन होना चाहिये । अतः केन्द्रीय सरकार द्वारा अंशदान किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

मंत्रियों को अतिथ्य भत्ता

1803. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय मंत्री मण्डल के प्रत्येक सदस्य को 500 रुपये प्रति मास आतिथ्य भत्ता 12 अगस्त, 1952 से मंजूर किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) जी, नहीं । मन्त्रियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, 1952 की धारा 5 के अन्तर्गत केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के सदस्य 500 रुपये प्रतिमास आतिथ्य भत्ते के हकदार हैं । उन्हें यह भत्ता 12 अगस्त, 1952 जब से यह अधिनियम लागू हुआ, से मिल रहा है ।

अन्दमान की यात्रा के लिये बुकिंग

1805. **श्री न म्बियार :**
श्री इम्बीचीबावा :
श्री प० कुन्हन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता तथा मद्रास से जहाज द्वारा पोर्ट ब्लेयर जाने वाले यात्रियों को अपना स्थान बुक कराने के बारे में अन्दमान प्रशासन को प्रार्थना करनी पड़ती है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां ।

(ख) क्योंकि जहाजों में बैठने के सीमित स्थान होते हैं इसलिये यह सुनिश्चित करने के लिये कि आवश्यकतानुसार विभिन्न श्रेणियों के यात्रियों के लिये स्थान उपलब्ध हो, स्थानों को बुक करने का काम अन्दमान प्रशासन द्वारा किया जाता है ।

Displaced Students from East Pakistan

1806. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Rameshwaranand :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of displaced students from East Pakistan receiving assistance from the Centre and the annual amount thereof ;

(b) whether the merit of the student is also taken into consideration at the time of granting scholarships ; and

(c) if so, the nature thereof ?

The Minister of Rehabilitation (Shri Mahavir Tyagi) : (a), (b) & (c) Stipends are given to students who were in receipt of stipends in 1960-61, for the completion of their course of studies. Amounts are sanctioned according to the requirements intimated by the State Governments. A provision of Rs. 5,53, 000 has been made in the current year to cover such sanctions. Information about the number of students who are now in receipt of stipends is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

As regards new migrants, Primary and Middle Schools have been established in the transit/relief camps for the education of children. State Governments/ Camp Commandants have arranged for admission of older students belonging to families who are in the camps in schools, colleges and Industrial Training Institutes. Proposals received from State Governments/Camp Commandants for sanction for the expenditure involved in the payment of fees, purchase of books etc. are under consideration. It is intended that assistance for education in Secondary Schools and in Colleges should be given only to meritorious students.

Aid to Sanskrit Teaching Institutes

1807. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Rameshwaranand :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Central assistance to the Sanskrit Teaching Institutes in Punjab has been discontinued during the emergency period ;

(b) whether it is also a fact that the Punjab Sanskrit Shiksha Sabha has drawn the attention of the Government to this ;

(c) whether any decision has been taken by Government regarding the grant of such assistance ; and

(d) if so, the nature thereof, and if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister of Education (Shri Bhakt Darshan) : (a) No, Sir. Not at least by the Government of India.

(b), (c) & (d) Do not arise.

Central Board of Sanskrit Instruction

1808. **Shri Rameshwaranand :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the composition of the Central Board of Sanskrit Instructions (Kendriya Sanskrit Shiksha Board) ;

(b) whether the members are nominated or elected ; and

(c) the functions of the Board and the qualifications of its members ?

The Deputy Minister of Education (Shri Bhakt Darshan) : (a) The Central Sanskrit Board consists of—

Chairman

1. Shri D. V. Potdar, Maharashtra Rashtra Bhasha Bhavan, 387-Narayanpeth, Poona.

Members

2. Shri J. H. Dave, Bharatiya Vidya Bhawan, Chowpatty Road, Bombay.
3. Dr. R. N. Dandekar, Head of the Department of Sanskrit and Prakrit Languages, University of Poona, Poona.
4. Prof. Vishva Bandhu, Director, Vishveshwaranand Vedic Research Institute, Hoshiarpur.
5. Shri S. N. M. Tripathi, Vice-Chancellor, Varanaseya Sanskrit Vishvavidyalaya, Varanasi.
6. Dr. Umesh Mishra, Secretary, Ganganath Jha Research Institute, Allahabad.
7. Dr. Siddheshwar Bhattacharya, Head of the Department of Sanskrit, Banaras Hindu University, Varanasi.
8. Dr. V. Raghavan, Head of the Department of Sanskrit, Madras University, Madras.
9. Dr. A. M. D' Rozario, Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Education.
10. Shri Prem Narain, Deputy Financial Adviser (Education), Government of India.

Secretary

11. Dr. R. K. Sharma, Special Officer (Sanskrit), Ministry of Education.

(b) Members are nominated.

(c) The Board advises the Government of India :

(i) on matters of policy pertaining to the propagation and development of Sanskrit in the country ;

(ii) regarding patterns of Sanskrit Education at different levels, co-ordination of courses, teaching and similar activities, standardisation of syllabuses, examinations and degrees, qualifications of different types of teachers and their training arrangements ;

(iii) regarding methods to be adopted for the improvement and development of the Pathashalas system of education and privately organised research institutes ;

(iv) when requested, on the question of adding research departments to higher Pathashalas and awarding Research Scholarships and stipends to the students of Pathashalas ;

(v) on the methods to be adopted for the preparation and publication of improved Sanskrit text-books ;

(vi) regarding the State Honours and Awards for Pandits and to recommend names of eminent Sanskrit Scholars for such Honours and Awards ; and

(vii) on matters referred to the Board relating to grants-in-aid for the development and propagation of Sanskrit.

Except for representatives of Government of India, Members of the Board are generally appointed from amongst renowned Sanskrit Scholars.

Aid to Sanskrit Organisations

1809. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Rameshwaranand :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the amount paid to voluntary Sanskrit Organisations by the Central Government during 1964-65 ; and

(b) the details thereof ?

The Deputy Minister of Education (Shri Bhakt Darshan) : (a) Rs. 5,90,732·00;

(b) A statement is attached. [**Placed in Library,** *see* **3724/64**]

Aid to Gurukulas

1810. **Shri Rameshwaranand :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the amount of grant given by the Central Government annually for the development of various Gurukulas in the country ;

(b) the names of Gurukulas which are not given any grant by the Central ; and

(c) the reasons therefor ?

The Deputy Minister of Education (Shri Bhakt Darshan) : (a), (b) & (c) Grants under the Scheme of this Ministry for financial assistance to Sanskrit Gurukulas for promotion of Sanskrit are given only to those 11 institutions, which have been recognised as Gurukulas in consultation with the Central Sanskrit Board. The quantum of financial assistance under the Scheme is limited to 60% of the actual expenditure on approved items every year.

रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में अजनबी

1811. **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित रामकृष्णपुरम के कुछ निवासियों के दरवाज़ों पर 8 दिसम्बर, 1964 को अनजाने आगन्तुकों के दस्तक देने के सम्बन्ध में सरकार ने कोई जांच की हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) तथा (ख) रामकृष्णपुरम के कुछ निर्वासियों से 7 दिसम्बर, 1964 को कन्ट्रोल रूम में 11.45 म० प० पर एक अत्यावश्यक टेलीफोन आया था उस समय ड्यूटी पर पुलिस के उप-अधीक्षक शीघ्र ही वहां पहुंचे और उन्हें पता लगा कि संशयात्मक परिस्थितियों में घूम रहे तीन व्यक्तियों को वहां के निवासियों ने पकड़ रखा है। परन्तु पूछताछ से यह पता लगा कि वह उसी बस्ती के एक सरकारी क्वार्टर में रह रहे एक जान पहचान वाले व्यक्ति को मिलने आये थे। इसलिए आवश्यक जांच के बाद उन्हें जाने की अनुमति दी गई।

गुरुद्वारों के प्रबन्ध के लिए विधान

1812. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नैशनलिस्ट सिक्ख पार्टी की कार्यकारिणी समिति ने सारे देश के गुरुद्वारों के लिए विधि बनाने और राजनीतिक लोगों के गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के लिए चुने जाने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए सरकार से प्रार्थना की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) यथा समय इन सुझावों पर विचार किया जायेगा।

Institutes of Foreign Languages

1813. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the names of Universities/Institutes in the country where facilities for teaching of Russian, German, French, Arabic, Chinese, Swahili, Burmese, Ceylonese and Indonesian languages exist ;

(b) whether Government have considered the question of setting up a foreign languages institute for teaching foreign languages through the media of both English and Indian languages ; and

(c) if so, when it is likely to be set up ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) A statement in respect of Universities and the courses available at School of Foreign Languages, Ministry of Defence, is attached. **[Placed in Library,** *see* **No. LT-3725/64]**

(b) & (c) There is no proposal to set up a foreign language Institute for teaching foreign languages, through the media of both English and Hindi.

शरणार्थी शिविर

1815. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा चलाये जा रहे शरणार्थी कैम्पों में वृद्धि करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो खोले जाने वाले कैम्पों की संख्या कितनी है और वे किन राज्यों में खोले जायेंगे।

पुनर्वास मंत्री (श्री महावीर त्यागी) : (क) जी हां।

(ख) जिन कैम्पों के खोलने पर विचार हो रहा है उनकी संख्या, राज्यवार इस प्रकार है :—

राज्य का नाम	खोले जाने वाले कैम्पों की की संख्या	
1. बिहार	1	
2. गुजरात	3	
3. महाराष्ट्र	2	
4. मैसूर	2	
5. मध्य प्रदेश	1	(केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाया जायेगा)
6. नेफा	1	

मैसर्स सिराजुद्दीन एण्ड कम्पनी का मामला

1817. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री सिराजुद्दीन एंड कम्पनी के मामले सम्बन्धी 16 दिसम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 727 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न मामलों की अन्वीक्षा में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) अन्वीक्षाओं के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) एक मामले में अभियोक्ता पक्ष का साक्ष्य पूरा हो गया है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 342 के अधीन अभियुक्त का वक्तव्य लिया जा रहा है। शेष तीन मामलों में अभियोक्ता पक्ष का साक्ष्य अभी लिया जा रहा है।

(ख) यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि अन्वीक्षा कब पूरी हो जायेगी।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की फाइलें

1818. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री नई दिल्ली की स्थित पान की एक दुकान से मिले तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के दो गुम हुए फोल्डरों के बारे 16 सितम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 714 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मामले में पुलिस जांच पूरी कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके परिणाम क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

विमान चित्र-निर्वचन संस्था†

1819. **श्रीमती रेंणुका बड़कटकी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारत में विमान चित्र-निर्वचन संस्था स्थापित करने के लिए नेदरलैंड की सरकार के साथ एक करार किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो करार की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) करार में विमान द्वारा चित्र-निर्वचन और प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण में उनके प्रयोग के लिए वैज्ञानिक तथा तक्नीकी व्यक्तियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है । नेदरलैंड सरकार 5 वर्षों की अवधि के लिये विशेषज्ञ सहायता, अधिछात्रवृत्तियों तथा साज़ सामान की व्यवस्था करेगी और भारत सरकार उसके पश्चात् इस संस्था को विशेषीकृत शिक्षा, गवेषणा तथा परामर्श के लिए संस्था के रूप में जारी रखना सुनिश्चित करेगी ।

केरल में भूख हड़ताल

1820. **श्री प० कुन्हन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल के अराजपत्रित अधिकारियों ने 27 नवम्बर, 1964 को रोष प्रकट करने के लिये भूख हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगे क्या थीं ; और

(ग) भूख हड़ताल को रोकने के लिए सरकार ने क्या पग उठाए हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां । केरल सरकार ने सूचना दी है कि राज्य सरकार के कुछ अराजपत्रित अधिकारी 27 नवम्बर, 1964 को खाना खाये बिना कार्यालयों में आये ।

(ख) उनकी मांगे यह थीं (1) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिये जाने वाले वेतनक्रम तथा सेवा की शर्तों के साथ साम्यता (2) वेतन आयोग की नियुक्ति और (3) 25 रुपये प्रतिमास अन्तरिम सहायता दिया जाना ।

(ग) केरल सरकार ने सूचना दी है कि कर्मचारियों की मांगे ऐसी है जिनसे राज्य सरकार पर भारी वित्तीय दायित्व पड़ता है । राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता की प्रार्थना की है । यह मामला केन्द्रीय सरकार के परामर्श से राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

Sadachar Samiti

1821. { **Dr. Ram Manohar Lohia** :
Shri Kishen Pattnayak : }

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of complaints received by the Sadachar Samiti up till 31st October, 1964 which were forwarded to the various Ministries of the Government of India for initiating action thereon (Ministry-wise) ;

†Aerial Photo Interpretation Institute.

(b) the number out of them on which action has been taken so far and the nature of action taken ;

(c) whether Government have received any complaints regarding the harassment and dismissal from service of persons representing their cases before the Sadachar Samiti against their superior Officers ; and

(d) if so, the action taken by Government on such complaints?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के बारे में 733 शिकायतें 30 नवम्बर, 1964 तक संयुक्त सदाचार समिति से गृह-कार्य मंत्रालय में प्राप्त हुई थी । इन शिकायतों के राज्यवार अंकड़े संलग्न हैं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल. टी. 3726/64]**

Escape of Smugglers

1821-A. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :
Shrimati Savitri Nigam :
Shri Brij Raj Singh :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that three members of an international gang of smugglers named Abdul Hakim, Abdul Aziz and Afzal Hussain were involved in some smuggling cases recently and were apprehended by the Indian Customs authorities ;

(b) whether it is also a fact that one of them managed to escape to Pakistan by successfully alluding the Police surveillance staff after he had been released on bail from the Delhi Jail, while the other two disappeared during the pendency of the investigations against them ;

(c) if so, the action taken by Government to trace these culprits ; and

(d) whether any enquiry has been made into such lapses on the part of the authorities concerned and if so, the outcome thereof ?

Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Misra) : (a) Only one person was apprehended by the Customs authorities. One more person is allegedly involved in a smuggling case. No information is available about the third.

(b) The person apprehended and released on bail is believed to have escaped to Pakistan. The other disappeared at an early stage of investigation and before evidence linking him with the smuggling case was available.

(c) Efforts are being made to trace the culprits.

(d) A departmental inquiry was held as a result of which one Assistant Sub-Inspector was reduced in rank and Head Constable was dismissed from service.

गैस तथा कारबाइड से राजस्व

1821-ख. **श्री गुलशन :**
श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री यु० द० सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 27 सितम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1711 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने अभीतक दिल्ली के कई व्यापारियों के पंजीयन पत्रों से गैस तथा कारबाईड को खारिज नहीं किया है जिससे सरकार को भारी हानि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार राजस्व की हानि को रोकने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(ग) क्या सरकार को इस मामले में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां तो उसका परिणाम क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) आवश्यक जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

—

ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में (प्रश्न)

RE : CALLING ATTENTION NOTICE (Query)

Shri Maurya (Aligarh) : My point of order is regarding my calling attention Notice. A similar calling attention Notice was accepted in Rahiya Sabha on 18th December. I was told on 16th December morning that it had not been admitted. I wanted to know your ruling about this discrimination.

Mr. Speaker : I cannot do any thing in this matter, as acceptance of a notice in the other House is solely the discretion of the presiding officer there. This had happened before also. I have impressed upon the Government that they should adopt the uniform procedure in both the Houses.

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य की बात को ठीक नहीं समझा गया है । उनका मतलब यह है कि कई बार दूसरे सदन में कोई नोटिस स्वीकार हो जाता है परन्तु यहां अस्वीकृत हो जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : तो हो सकता है कि मुझ में ही कोई दोष हो । किन्तु अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह पूर्वसूचना को स्वीकार करे या न करे ।

Shri Bagri : My point of order is that one cannot have two rules in two Houses. There will have to be uniformity in rules. If two presiding officers have different opinions on one vital issue then it will be a serious matter. Some way have to be found out.

Mr. Speaker : I decided not to admit it but later on honorable members requested for its acceptance and I accepted it. I never said that I was wrong.

Shri Bagri : So you break the rule beacuse of your weakness.

Shri Ram Sewak Yadav : I want to know whether some obstacle is not created by Home Ministry in according sanction.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

6 दिसम्बर 1964 के रिपब्लिकन पार्टी द्वारा आरम्भ किया गया आन्दोलन और सारे देश में उसके स्वयं-सेवकों की गिरफ्तारी

श्री मौर्य (अलीगढ़) : मैं माननीय मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं तथा उनसे निवेदन करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में अपना वक्तव्य दे।

"6 दिसम्बर, 1964 को रिपब्लिकन पार्टी द्वारा आरम्भ किया गया आन्दोलन और सारे देश में उसके स्वयं सेवकों की गिरफ्तारियां"

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : भारत की रिपब्लिकन पार्टी ने सरकार का ध्यान अपने मांग पत्र की ओर आकृष्ट करने के लिये 6 दिसम्बर, 1964 को सत्याग्रह आरम्भ किया। दल के स्वयंसेवकों ने विभिन्न राज्यों में सरकार के रक्षित जंगलों में घुस कर, वृक्ष काट कर और नगरपालिका अथवा सरकार की भूमि में तथा सार्वजनिक स्थानों और भवनों में अवैध रूप से दाखिल हो कर गड़बड़ी की। पार्टी के जिन स्वयंसेवकों ने कानून का उल्लंघन किया है अथवा जिनके कारण शांति भंग होने की सम्भावना थी, उन्हें राज्य सरकारों ने गिरफ्तार कर लिया है, परन्तु उनमें से बहुत से स्वयंसेवकों को इस बीच में रिहा कर दिया गया है।

पार्टी की मुख्य मांगें यह हैं कि संसद भवन के सेंट्रल हाल में डा० बी० आर० अम्बेडकर का चित्र लगाया जाय, राष्ट्र की भूमि उन लोगों को दी जाये जो वास्तव में ही खेती करते हैं। बेकार पड़ी तथा बंजर भूमि को भूमिहीन श्रमिकों को दी जाय। अनाज का उपयुक्त ढंग से वितरण हो और बढ़ते हुए मूल्यों पर नियंत्रण रखा जाय, गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों की दशा में सुधार किया जाय। न्यूनतम मजूरी अधिनियम, 1948 को पूर्ण रूप में कार्यान्वित किया जाए। अनुसूचित जातियों के जो लोग बौद्ध धर्म में शामिल हो गये हैं उन्हें भी वे विशेषाधिकार दिये जाये जिनकी गारन्टी संविधान द्वारा दी गयी है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये 1970 तक सेवाओं में रक्षित स्थान भरे जायं, और अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 को उचित ढंग से लागू किया जाय।

इन मामलों का सम्बन्ध सामान्य मामलों से है जिनका निर्णय तुरन्त नहीं किया जा सकता। वैसे तो सदन को पता है कि पिछड़े वर्गों के हितों का सरकार हमेशा ध्यान रखती है और विभिन्न तत्सम्बन्धी योजनाओं को काफी राशि भी दी है। दल के नेताओं को मामला संवैधानिक ढंग से लेना चाहिए, और यह आन्दोलन करने का रास्ता छोड़ देना चाहिए।

Shri Maurya : We are following the path shown by Gandhiji. Why the honorable Minister is not implementing that principle ?

Shri Hathi : The demands which are based on principle are accepted and principles are implemented also.

Shri Bagri : The honourable Minister should clear few important points in connection with this agitation.

Mr. Speaker : These things are not taken under calling attention notice. Honourable member is not allowed to deliver lecture.

Mr. Bagri : This is Lok Sabha and not a Mugal Darbar.

Mr. Speaker : These are unparliamentary words. The honourable member should withdraw these words.

Shri Bagri : I shall regard it a Darbar of the people.

Mr. Speaker : If the honourable member is not willing to withdraw his words, then he should leave the house.

श्री मुत्याल राव (महबुबनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि श्री बांगड़ी को सत्र की शेष अवधि के लिए सभा की सेवा से निलम्बित किया जाय ।"

Mr. Speaker : प्रश्न यह है :

"कि श्री बागड़ी को सत्र की शेष अवधि के लिए सभा की सेवा से निलम्बित किया जाय ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 221 : **विपक्ष में** 7

Ayes : 221; Noes. : 7

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री बागड़ी : × ×

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ उन्होंने निर्णय होने के बाद कहा है उसे रिकार्ड न किया जाय ।

(इसके पश्चात् श्री बागड़ी सभा भवन से बाहर चले गये)

(Shri Bagri then left the House)

× × **कार्यवाही के वृत्तान्त में सम्मिलित नही किया गया ।**

× × **Not recorded.**

Shri Ram Sevak Yadav : Some protection is given to the members of backward classes.

Shri Hathi : I have stated in the statement that whatever the Government can do is being done with the utmost speed.

Shri Kishen Pattnayak : Whether the Minister has information about the number of arrests made so far in this connection.

Shri Hathi : The arrests have been made in different States, I have not got with the exact figures about that. There is no use of my giving any assurance.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

नारियल जटा बोर्ड का अर्धवर्षीय प्रतिवेदन तथा नारियल जटा उद्योग अधिनियम का 1964-65 के आधे वर्ष का कार्य

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : मैं नारियल जटा उद्योग अधिनियम 1953 की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत 1 अप्रैल से 30 सितम्बर, 1964 तक की अवधि के लिए नारियल जटा उद्योग अधिनियम 1953 की क्रियान्विति और नारियल जटा बोर्ड के कार्य सम्बन्धी छः मासी प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3706/64]**

अखिल भारतीय सेवामें अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें : 2 दिसम्बर 1964 को तारांकित प्रश्न संख्या 304 के दिये गये उत्तर के विवरण की शुद्धि

श्री हाथी : मैं अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम 1951 की धारा 3 की उप धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम 1954 की अनुसूची 3 में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक 5 दिसम्बर 1964 की जी० एस० आर० 1716।

(दो) दिनांक 5 दिसम्बर 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर 1718 में प्रकाशित भारतीय प्रशासन सेवा (पदालि) संशोधन नियम 1964।

(तीन) दिनांक 5 दिसम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1719 में प्रकाशित भारतीय पुलिस सेवा (पदालि) संशोधन नियम 1964। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3707/64]**

(2) भारत-पाकिस्तान सीमा उल्लंघनों के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 304 पर श्री स० मो० बनर्जी के अनुपूरक प्रश्न के 2 दिसम्बर, 1964 को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने वाला एक वक्तव्य

वक्तव्य

प्रश्न (अनुपूरक) :

33 व्यक्ति मार डाले गये। लोगों को उठाया भी जा रह है। वह कैसे यह कह सकते हैं कि केवल पशु उठा कर ले जाने की ही घटनायें हुई हैं ?

उत्तर :

पशु उठाने की 17 घटनायें हुई, 16 घटनायें चोरी की हुई, 19 घटनायें अपहरण की थी और लोगों के हमारे क्षेत्र में आने की थी। जहां जहां से उन्होंने प्रवेश किया हमने उनका पीछा किया। कई बार हमें गोली भी चलानी पड़ी जिसके फलस्वरूप हमारे मुकाबलें में उनकी हानि बहुत अधिक हुई।

कर्मचारी भविष्य निर्णय कोष अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 की धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत दुग्ध और दुग्ध उत्पाद उद्योग को उक्त अधिनियम की अनुसूची में शामिल करने वाली दिनांक 5 दिसम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1723 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3709/64।]**

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बंधी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

पचासवीं से चौवनवीं बैठकों के कार्यवाही सारांश

श्री कृष्ण मूर्ति राव (शिमोगा) : मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की वर्तमान सत्र में हुई बैठकों (पचासवीं से चौवनवीं) के कार्यवाही का सारांश सभा पटल पर रखता हूं।

याचिका समिति

COMMITTEE ON PETITIONS

चौदहवीं और पन्द्रहवीं बैठकों के कार्यवाही सारांश

श्री तिरुमल राव (काकीनाड़ा) : मैं याचिका समिति की नवें और दसवें अधिवेशन में हुई क्रमशः चौदहवीं और पन्द्रहवीं बैठक के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूँ।

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

नवीं बैठक के कार्यवाही सारांश

श्री सिद्धनंजप्पा (हसन) : मैं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति की वर्तमान सत्र में हुई नवीं बैठक की कार्यवाही का सारांश सभा पटल पर रखता हूँ।

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमान जी, मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्न सन्देश की सूचना देनी है :—

"कि राज्य सभा अपनी 21 दिसम्बर 1964 की बैठक में मजूरी भुगतान (संशोधन) विधेयक 1964 से जो लोकसभा द्वारा 1 दिसम्बर, 1964 को पास किया गया था, बिना किसी संशोधन के सहमत हो गयी है।"

लोक-लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

तीसवां प्रतिवेदन

श्री मुरारका (झुंझनु) : मैं विनियोग लेखे (डाक तथा तार) 1962–63 और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (डाक तथा तार) 1964 और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (असैनिक) 1964 के पैरा 62 के बारे में लोक लेखा समिति का तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

दक्षिण मध्य रेलवे ज़ोन बनाने के बारें में वक्तव्य

STATEMENT RE : FORMATION OF SOUTH-CENTRAL RAILWAY ZONE

अध्यक्ष महोदय : माननीय रेलवे मंत्री ।

रेलवे मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : संसद में 1964–65 का रेलवे बजट पेश करते समय रेल मंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि रेलवे बोर्ड का कुशलता ब्यूरो विभिन्न रेलों के कार्यभार और परिचालन तथा कुशलता सूचक अंकों का अध्ययन इस उद्देश्य से करता रहा है कि यदि परिचालन और प्रशासनिक कारणों से या रेल उपयोगकर्ताओं की सेवा में सुधार करने की दृष्टि से किसी समय रेलों का पुनर्गठन करना जरूरी समझा जाय, तो इसके लिए हमारे पास आंकड़े तैयार रहें ।

देश की अर्थ-व्यवस्था में तेजी के साथ विकास हो रहा है और इसके साथ-साथ रेलों पर काम का बोझ भी असामान्य रूप से बढ़ता जा रहा है । 1951–52 के मुकाबले 1963–64 में माल यातायात में 96 प्रतिशत और मीटरिक टन किलोमीटर के आंकड़ों में 132 प्रतिशत वृद्धि हुई है । रेलों के कार्यभार के सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड के कुशलता ब्यूरो के अध्ययन के आधार पर क्षेत्रीय रेलों के अधिकार-क्षेत्र में समय-समय पर समंजन किये गये हैं और 1955 और 1958 में नये क्षेत्र (ज़ोन) बनाये गये ।

अभी हाल में कुशलता ब्यूरो ने जो अध्ययन किया है, उससे पता चला है कि अन्य सभी रेलों की तुलना में काम का सबसे अधिक बोझ मध्य और दक्षिण रेलों पर है । लोक सभा और राज्य सभा दोनों सदनों में प्रश्नों और बहस के दौरान कई बार इस बात की आलोचना भी की गयी है कि क्षेत्रीय रेलों में से कुछ रेलें, खासतौर पर मध्य और दक्षिण रेलें, बहुत बड़ी हैं । 1962 की रेल दुर्घटना जांच समिति (कुंजरू समिति) ने भी रेलों पर पड़ने वाले बोझ के प्रश्न पर विचार किया था और यह मत प्रकट किया था कि इन दो रेलों पर काम का बोझ अधिक है और अतिरिक्त क्षेत्र (ज़ोन) बनाना जरूरी है । सभी सम्बन्धित पहलुओं को देखते हुए यह समझा जाता है कि मौजूदा मध्य और दक्षिण रेलों के कुछ हिस्सों को निकाल कर अब एक नया रेलवे क्षेत्र बनाने का समय आ गया है ।

रेलों के कार्यभार, उनकी आमदनी और उनके मार्ग किलोमीटर आदि विभिन्न मापदण्डों को ध्यान में रखकर यह निर्णय किया गया है कि इस नये क्षेत्र में यातायात के मुख्य प्रवाह के अनुरूप कुछ मामूली समंजनों के साथ, मध्य रेलवे के शोलापुर (पूना-दौंड-मनमाड सेक्शनों को छोड़कर) और सिकन्दराबाद डिवीज़न तथा दक्षिण रेलवे के हुबली और विजयवाड़ा डिवीजन शामिल किये जायें ।

यह निश्चय किया गया है कि नये क्षेत्र (ज़ोन) का मुख्यालय सिकन्दराबाद (हैदराबाद) में स्थापित किया जाय । इस क्षेत्र का नाम दक्षिण-मध्य रेलवे रखा जायेगा । इस रेलवे का मुख्यालय सिकन्दराबाद में रखने का निश्चय इस तथ्य को ध्यान में रखकर किया गया है कि यह स्थान नये क्षेत्र के प्रायः केन्द्र में स्थित है । इसके अलावा चूंकि यह स्थान भूतपुर्व निजाम रेलवे का मुख्यालय था, इसलिए किसी दूसरे स्थान पर एक नये रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय विकसित करने में आमतौर पर जो पूंजीगत खर्च होता, उसकी तुलना में सिकन्दराबाद में मुख्यालय बनाने का खर्च कम आयेगा ।

आशा है कि इस पुनर्गठन के फलस्वरूप दक्षिण और मध्य रेलों को आवश्यक राहत मिलेगी और आमतौर पर सभी रेलों की परिचालन कुशलता बढ़ेगी ।

Shri Tulsidas Jadhav (Nanded) : I want to ask the honourable Minister why Sholapur has been included into the Zone. What about the Manmad area ?

Shri S. K. Patil : The work of zones is done by Efficiency Bureau of Railway Board. This is done after giving due consideration of operational and administrative capacity. This has been done after giving due consideration to this aspect.

श्री तिरूमल राव : गुंटाकल स्थित विभाग की स्थिति क्या है ।

श्री स० का० पाटिल : उसे वहीं ही रहने दिया गया है ।

श्री नम्बियार : हम इस पग का स्वागत करते हैं परन्तु प्रयत्न किया जाना चाहिए कि इस दिशा में कोई जटिलतायें पैदा न हो ।

श्री दी० च० शर्मा : मैं इस पग का स्वागत करता हूं ।

स्वर्ण (नियंत्रण) विधेयक--जारी

GOLD (CONTROL) BILL—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब हम स्वर्ण नियन्त्रण विधेयक पर खंडवार चर्चा करेंगे ।

श्री नारायण दांडेकर : मैं अपने संशोधन संख्या 79 के लिए आग्रह करता हूं ।

श्री हेमराज : मैं खंड 5 में संशोधन करने के लिये अपना संशोधन संख्या 5 प्रस्तूत करता हूं । यह खंड सोना रखने के बारे में नियन्त्रण से सम्बन्धित है । इस बारे में मेरा निवेदन यह है कि किसी व्यक्ति के लिये, जिसके पास थोड़ी सी मात्रा में, अर्थात 7–8 तोले सोना है और उसके हालात ऐसे हो जाते है कि उसे बेचने के लिये बाध्य होना पड़ता है तो इसे प्रशासक की अनुमति लेना आवश्यक नहीं होना चाहिए । गावों के लोगों के पास प्रायः बहुत ही कम मात्रा में सोना होता है । ऐसी स्थिति आ सकती है कि अनुमति आते आते उसका काम ही निकल जाये ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मेरे विचार में सरकारी संशोधन संख्या 239 के अन्तर्गत यह बात आ जाती है । इसी तरह का एक उपबन्ध खंड 4(3) के अन्तर्गत भी है ।

श्री हेमराज : मैं अपने संशोधन के लिए आग्रह नहीं करता ।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्यों को संशोधन वापिस लेने की अनुमति है ।

संशोधन संख्या 79 और 227 सभा के अनुमति से वापिस लिए गये

Amendments Nos. 79 and 227, were withdrawn by the leave of the House

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 107 और 28 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The amendments Nos. 107 and 28 were put and negatived

अध्यक्ष महोदय : मैं सरकारी संशोधन मतदान के लिए सभा के समक्ष प्रस्तुत करता हूं ।

प्रश्न यह है कि :

(एक) पष्ठ 6, पंक्ति 13—

"a permit has been obtained under Sub-Section (3)"

["उपधारा (3) के अधीन एक परमिट प्राप्त कर ली गई हो"]

के स्थान पर

"the dealer complies with the provisions of Sub-Section (3)"

["व्यापारी उपधारा (3)से उपबन्धों का पालन करें"] (238)

(दो) पृष्ठ 7, पंक्तियां 3 और 4 :—

"under and in accordance with a permit granted by the Administrator in this behalf"

["प्रशासक के द्वारा इस कार्य के लिये दी गई परमिट के अन्तर्गत एवं उसके अनुसार"]

के स्थान पर

"but the person to or with whom such gold is sold or otherwise transferred or hypothecated, pledged, mortgaged or charged* shall give to such officer as may be authorised by the Administrator in this behalf, intimation thereof in such form and manner and within such period as may be prescribed."

[लेकिन वह व्यक्ति जिसे अथवा जिसके पास ऐसा सोना बेचा जाता है या अन्यथा हस्तांतरित किया जाता है, गिरवी रखा जाता है, रेहन रखा जाता है या सौंपा *जाता है, किसी ऐसे अधिकारी को जो इस प्रयोजन के लिये प्रशासक द्वारा अधिकृत किया गया हो, ऐसे रुप और ढंग में और ऐसी अवधि के अन्दर जो निश्चित की गई हो, उसकी सूचना देगा।"] (239)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 5 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 5 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 5, as amended, was added to Bill

अध्यक्ष महोदय : अब खंड 6 को लिया जायेगा ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 7 पंक्ति 7 और 8 में

"Unless a permit has been obtained under sub-section (3) of section 5"

["जब तक कि धारा 5 की उपधारा (3) के अन्तर्गत परमिट प्राप्त नहीं कर ली गई हो]"

के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय

"Unless the person making, advancing or granting the loan gives intimation thereof in accordance with sub-section (3) of Section 5"

["जब तक कि वह व्यक्ति जो ऋण दे वह धारा 5 की उपधारा (3) के अनुसरण में उसकी सूचना नहीं देता है ।"] (240)

श्री नारायण दांडेकर : वित्त मंत्री के संशोचिन के कारण मैं अपना संशोधन संख्या 80 वापिस लेता हूं, और संशोधन संख्या 81,82 और 83 प्रस्तुत करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 81,82 और 83 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

Amendments Nos. 81, 82 and 83 were put and negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

पृष्ठ 7, पंक्ति 7 और 8 में

"unless a permit has been obtained under section (3) of Section 5"

["जब तक कि धारा 5 की उप धारा (3) के अन्तर्गत परमिट प्राप्त नहीं कर ली गई हो"]

के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय—

"unless the person making, advancing or granting the loan gives intimation thereof in accordance with sub-section (3) of the Section 5"

["जब तक कि वह व्यक्ति जो ऋण दे वह धारा 5 की उपधारा (3) के अनुसरण में उसकी सूचना नहीं देता है"] (240)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:—

"कि खड 6, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 6 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 6, as amended was added to the Bill

खंड 7 (Licencing of dealers)

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं अपने संशोधन संख्या 29,31 और 32 प्रस्तुत करता हूं। साथ ही यह भी प्रस्तुत करता हूं

पृष्ट 8 पंक्ति 3 --

"thirty days" ["तीस दिन"]

के स्थानपर

"sixty days" ["साठ दिन"]

रखा जाय। (30)

श्री नारायण दांडेकर : मैं अपना संशोधन संख्या 84 प्रस्तुत करता हूं।

श्री हेमराज : मैं अपना संशोधन संख्या 229 प्रस्तुत करता हूं।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : मैं अपने संशोधन संख्या 109,110,111 और 112 प्रस्तुत करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इस तरह के संशोधन पहले प्रस्तुत हो चुके हैं, अतः इनको प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मेरा निवेदन यह है कि प्रशासक द्वारा लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र अथवा याचीका के अस्वीकार किये जाने पर अपील किये जाने का कोई उपबन्ध नहीं किया गया। विधेयक में इस तरह का उपबन्ध किया जाना चाहिए।

श्री हेमराज : खंड 7 के उपखंड (2) में से "और विभिन्न वर्गों के व्यापारियों पर विभिन्न शर्तें और प्रतिबन्ध लगाये जायेंगे।" शब्दों को हाटाया जाना चाहिए, क्योंकि इससे सन्देह और भ्रष्टाचार पैदा होगा। मेरा निवेदन यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिये समान प्रतिबन्ध होने चाहिए।

श्री नम्बियार : मैं संशोधन संख्या 29,30,31 और 32 का समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 30 को तो स्वीकार किया जा चुका है ।

श्री नि० स० चटर्जी : मैं संशोधन संख्या 32 का समर्थन करता हूं । प्रशासक को बहुत ही अधिकार दिये गये हैं । उनका दुरुपयोग हो सकता है ।

Shri Balmiki : I also favour the amendments Nos. 29, 30 and 31. The right of appeal should be there and the limit should be raised from 30 days to 60 days.

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मुझे यह संशोधन स्वीकार नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं दीनेन भट्टाचार्य का संशोधन संख्या 30 सभा के समक्ष प्रस्तुत करता हूं :—

प्रश्न यह है :—

पृष्ठ 8 पंक्ति 3, —
"thirty days"
["तीस दिन"]
के स्थान पर
"sixty days"
["साठ दिन"]
रख दिया जाय । (30)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 29, 31, 32, 84 और 229 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

The amendments Nos. 29, 31, 32, 84 and 229 were put and negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 7, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 7, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 7, as amended, was added to the Bill

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr. Deputy Speaker in the Chair]

खंड 8 (शोधन करने वालों को लाइसेंस)

श्री नारायण दांडेकर : मैं अपना संशोधन संख्या 85 प्रस्तुत करता हूं ।

श्रीमानजी, बम्बई में ऐसा है कि एक ही भवन में कोई व्यक्ति कोई काम करता है और कोई और काम करता है । एक व्यक्ति सोने को साफ करने का काम करता है तो दूसरा आदमी गिरवी रखने का काम करता है । इसलिये यह प्रस्ताव कि वे व्यक्ति उसी एक भवन में न रहते हो ऐसा है कि बम्बई जैसे नगर में इससे बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो जायेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 85 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 85 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 8 विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 8 was added to the Bill

खण्ड 9

श्री नारायण दांडेकर : मैं अपना संशोधन संख्या 86 प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 86 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 86 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 9 विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 9 was added to the Bill

खण्ड 10 से 12 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 10 to 12 were added to the Bill

खण्ड 13 (प्रमाणित स्वर्णकार)

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 13, पंक्ति 13,—

"One hundred grammes"

["एक सौ ग्राम"] के स्थान पर

"One hundred and fifty grammes"

["एक सौ पच्चास ग्राम"] रख दिया जाय (241)

श्री नम्बियार (तिरुचिरा पल्लि) : मैं अपने संशोधन संख्या 10, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 तथा 40 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री सोलंकी (कैरा) : मैं अपना संशोधन संख्या 89 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नम्बियार : मेरे संशोधन का आशय यह है कि 100 ग्राम सोने के स्थान पर 300 ग्राम सोना हो जावे । मंत्री महोदय स्वयं ही अब 100 के स्थान पर 150 ग्राम सोना रखने की अनुमति देने के लिये तैयार हो गये हैं । किसी भी स्वर्णकार को केवल 150 ग्राम सोना रखकर काम करना बहुत कठिन है । इस से तो वह कोई काम कर ही नहीं सकता । इस लिये उसे 300 ग्राम सोना रखने की अनुमति दी जावे ।

श्री सोलंकी : अभी मेरे मित्र ने बताया कि स्वर्णकारों को सोना रखने की अनुमति 300 ग्राम तक बढ़ा दी जावे । परन्तु मैं तो कहता हूं कि उनके सोना रखने पर कोई प्रतिबंध होना ही नहीं चाहिये और वे जितना सोना अपने पास रखना चाहे रख सकें ।

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : मुझे खुशी है कि मंत्री महोदय ने सोना रखने की मात्रा 100 से 150 ग्राम करने को तैयार हो गये हैं। परन्तु मैं जिस बात पर जोर देना चाहता हूं वह यह है कि स्वर्णकारों को अपने अतिरिक्त एक या दो और व्यक्ति अपने पास मजदूरी पर रख सके। इस समय विधेयक में ऐसी अनुमति नहीं है। वास्तव में यह काम ही ऐसा है कि इस में एक व्यक्ति के लिये काम करना तो बहुत कठिन है। वह अस्वस्थ भी हो सकता है। यदि वह बीमार हो गया तो इसका मतलब यह होगा कि उसे अपना काम बंद करना पड़ेगा क्योंकि मजदूर तो वह रख नहीं सकता। फिर यह बात भी है कि यह तभी सीखा जा सकता है जब वह पहले किसी के पास काम करे। परन्तु विधेयक में इसके लिये कोई स्थान नहीं है। इस लिये मैं चाहता हूं कि एक या दो व्यक्ति मजदूर के तौर पर रखने की अनुमति विधेयक में होनी चाहिये।

डा० मा० श्री० अणे (नागपूर) : मैं इस मांग का समर्थन करता हूं कि स्वर्णकारों को एक या दो व्यक्ति अपने पास मजदूर के नाते रख सकें। यह दूसरी बात है कि वह उनके रोजगार के बारे में कोई शर्त रखना चाहें तो वह ऐसा करें परन्तु मजदूर रखने की अनुमति तो मिलनी ही चाहिये।

श्री हेम राज (कागड़ा) : मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह स्पष्ट करें कि क्या इस विधेयक के अतंर्गत जो प्रशासक नियुक्त होगा उसे यह अधिकार होगा कि वह गहनों में सोने की शुद्धि के बारे में भी अनुमति दे सकते हैं। मैं चाहता हूं कि प्रशासक जिस समय लाइसेंस प्रदान करे उस समय वह स्वर्णकारो को बाध्य न करें कि वे कम शुद्धि के सोने के ही गहने बना सकते हैं।

दूसरी बात मैं चाहता हूं कि स्वर्णकारों को एक या दो व्यक्ति अपने पास मजदूर के तौर पर रखने के अनुमति होनी चाहिये।

श्री नरेन्द्रसिंह महीड़ा (आनन्द) : मैं श्री चटर्जी का समर्थन करता हूं। यदि वित्त चाहते हैं कि यहां के सुनारों की वह स्थिति नही जो बगांल की मलमल का हुआ तो वह स्वर्णकारों को एक या दो व्यक्ति मजदूर के नाते रखने की अनुमति देंगे।

Shri K. L. Balmiki (Khurja) : The right of doing independent work being given to goldsmiths under this Bill, is a good thing. They are doing this work for a long time and we should not permit this art to be eliminated. I want that they should be permitted to hire labourers so that this may cover two or more than two persons. This will be more acute if they fall ill.

They should also be permitted to purify gold.

It is good that the quantity of gold which they can have with them has been incurred from 100 grams to 150 grams.

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं सोना रखने के बारे में 150 ग्राम से आगे जाने को तैयार नहीं हूं। मैं डा० अणे का संशोधन मानने को उद्यत हूं यदि वह संशोधन की भाषा में थोड़ी बदली कर दें अर्थात "वेतन पर रखा गया मजदूर" के स्थान पर "एक से अधिक वेतन पर रखे गये मज़दूर" तो मैं इसे मान लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 13, पंक्ति 13,—

"One hundred grammes"

["एक सौ ग्राम"] के स्थान पर

"One hundred fifty Grammes"

["एक सौ पचास ग्राम"] रख दिया जाय। (241)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 33 को उस स्थिति में प्रस्तुत करूंगा जैसा कि उसे मंत्री महोदय ने उसका संशोधन किया है ।

प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 11, पंक्ति 36,—

"hired labour" ["वेतन पर रखा गया मजदूर"] के स्थान पर "more than one hired labourer" ["एक से अधिक वेतन पर रखे गये मज़दूर"] रख दिया जाय । (33)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 10, 34 से 40 तथा 89 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

Amendments Nos. 10, 34 to 40 and 89 were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 13, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 13, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 13, as amended, was added to the Bill

खण्ड 14, विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 14 was added to the Bill

खण्ड 15 (धार्मिक संस्थाओं के बारे में विशेश प्रबन्ध)

श्री सोलंकी : मैं अपना संशोधन संख्या 90 प्रस्तुत करता हूं ।

मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि 14 कैरेट से 22 कैरेट कर दिया जाय । इस बात में बाहर भी बहुत से व्यक्ति सहमत हैं । मंत्री महोदय इस पर विचार करें ।

श्री नम्बियार : मैं ने कल भी कहा था और आज भी कहता हूं कि 14 कैरेट और 22 कैरेट के बीच की संख्या अर्थात 18 कैरेट इस विधेयक में कर दिया जाय । राशनिंग के दिनों में जब हर व्यक्ति को 6 औंस राशन मिलता था तो लोग उस सरकार को ही "6 औंस वाली सरकार" कहते थे । ऐसे ही अब इस सरकार को भी "14 कैरेट की सरकार" कहेंगे । यह अच्छी बात नहीं होगी । इस लिये मैं प्रार्थना करता हूं कि ऐसा न करो ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : मैं चाहता हूं कि गहने बनाने की कला को ठेस न पहुंचाया जाये । कहते हैं कि आजकल बहुत सी शादियां हो रही हैं क्यों कि अभी 22 कैरेट सोने के गहने भेंट किये जा सकते हैं । मैं तो खैर यह कहता हूं कि इस कला से हम काफी विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं परन्तु यह तभी होगा जब हम 22 कैरेट सोने के गहने बनायें । इस लिये इस पर फिर विचार किया जाये ।

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

ऐसे ही मंगल सूत्र के बारे में भी मैं चाहूंगा कि लोगों की भावनाओं का आदर किया जाये । हमारा मुख्य उद्देश्य तो सोने में तसकरी रोकने से हैं तथा सोने के मूल्य को गिराने से है । यह कार्य इस 14 और 22 कैरेट के झगड़े में पड़े बिना भी हो सकता है ।

इस लिये यदि स्वर्णकार या दूसरे व्यक्तियों का यह विचार है कि वे 14 कैरेट सोने से सुन्दर गहने बना सकते है तो दूसरी बात है यदि वे केवल 22 कैरेट से ही बना सकते हैं तो उन्हें 22 कैरेट के ही गहने होने चाहिये । इस सौन्दर्यात्मक रूचि को भी ध्यान में रखा जाय ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : खण्ड 15 का सम्बन्ध धार्मिक संस्थाओं से है । बात यह है कि जब वे कोई भेंट लेनी हो तो वह किसी भी शुध्दि की हो सकती है। परन्तु यदि वे अपनी भेंट को बेचना चाहें तो फिर उन्हें उसे रिफायनरी पर ही करवाना होगा ।

बाकी रहा सौंदर्यात्मक रूचि से उसका इस से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

निर्यात के बारे में भी हम स्तरक हैं और वह काम विशेष व्यक्तियों से एक विशेष बन्धन पत्र के अन्तर्गत कराते हैं और इस में कोई कठिनाई नहीं आवेगी ।

श्री नम्बियार : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । आप जानते हैं कि मन्दिरों में भी विवाह होते हैं और उस समय व्यक्तियों को मन्दिर के अधिकारी मंगल सूत्र देते हैं और व्यक्ति उन्हें उसके लिये रुप्या देते हैं । तो क्या यह मंगलसूत्र 22 कैरेट के होंगे ? मैं चाहता हूं कि इसकी अनुमति दी जावे ।

श्री नरेन्द्रसिंह महीड़ा : गुजरात राज्य में अम्बाजी मन्दिर में लोग स्वर्ण आभूषण चढ़ावे में देते तथा फिर मन्दिर की ओर वहीं गहने आदि प्रसाद वापिस लोगों को दे देये जाते हैं ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : यह इस प्रकार नहीं किया जा सकेगा । यह ऐसे किया जा सकता है कि सोना मन्दिर की सम्पत्ति न बने । परन्तु यदि यह एक बार मन्दिर को दे दिया गया तो खंड 15 लागू होगा ।

श्री नम्बियार : मन्दिर मंगल सूत्र को बेच सकते हैं ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मन्दिरों को मंगल सूत्र से कुछ नहीं करना होता ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 90 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

Amendent No. 90 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 15 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 15 विधेयक में जोड दिया गया

Clause 15 was added to the Bill

खण्ड 16

श्री नारायण दांडेकर : मैं अपना संशोधन संख्या 91 प्रस्तुत करता हूं । मेरे संशोधन को समझने के लिये उपखण्ड 6 देखना होगा । उस के अनुसार नाबालिग 20 ग्राम स्वर्ण तथा अन्य 50 ग्राम बिना घोषणा के रख सकते हैं । फिर इसी परिवार कितना स्वर्ण रख सकता है के बारे में परन्तुक है । मेरा

सुझाव है कि एक परिवार की अलग तथा परिवार के सदस्यों अलग स्वर्ण रखने की अनुमति होनी चाहिये। मेरे संशोधन में यह कहा गया है कि एक परिवार के सम्पत्ति तथा व्यक्ति की सम्पत्ति में भिन्नता रखी जानी चाहिये।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : यह उपबन्ध संयुक्त समिति के देखे जाने के पश्चात लगाया गया है। क्या माननीय सदस्य निर्धारित की गई मात्रा कम मानते हैं? मैं उनको पूरी तरह समझ नहीं पाया।

श्री नारायण दांडेकर : जिस प्रकार आयकर कानून में परिवार अलग से सम्पत्ति रख सकता है तथा सदस्य अपने व्यक्तिगत रूप से रख सकते हैं उसी इस में भी होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय मंत्री इस से सहमत हैं?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैंने अपने मसौदा बनाने वाले सहयोगियों से बात की है। मुझे बताया गया है इस में कोई परस्पर विरोधी नहीं है। इस में तो केवल घोषणा करने का प्रश्न है।

श्री मी० स० मसानी : संयुक्त समिति ने विधेयक में पूरे परिवार को 100 ग्राम सोना रखने की अनुमति दी है परन्तु श्री दांडेकर के संशोधन में इस को बढ़ा 140 ग्राम बढ़ाने की मांग की गई है।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : यदि माननीय सदस्य इस को 140 ग्राम कराना चाहते तो मैं वह परिवर्तन करने को तैयार हूं।

श्री नारायण दांडेकर : मेरी मांग है पूर्ण परिवार की सोना रखने की सीमा 240 ग्राम कर दी जाय।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : यदि माननीय सदस्य कहें कि इस को 100 ग्राम से बढ़ा कर 150 ग्राम कर दिया जाय तो हो सकता पर इस बिना सोमित किये नहीं किया जा सकता। इसे अनिश्चित नहीं किया जा सकता।

श्री रंगा : इसे 150 ग्राम कर दिया जाय।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 17 पंक्ति 24 में

"One hundred grammes" ["एक सौ ग्राम"] के स्थान पर "one hundred and fifty grammes" ["एक सौ पचास ग्राम"] रखा जाय। (242)

अध्यक्ष महोदय : क्या श्री दांडेकर अपने संशोधन पर आग्रह कर रहे हैं?

संशोधन संख्या 91 सभा की अनुमति से वापिस लिया गया

The amendment No. 91 was by leave withdrawn

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 17 पंक्ति 24 में

"One hundred grammes" ["एक सौ ग्राम"] के स्थान पर 'One hundred and fifty grammes" ["एक सौ पचास ग्राम"] रखा जाय। (242)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 16 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड १६ संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 16, as amended, was added to the Bill

खण्ड 17 (आभूषण रखने के बारे में घोषणा)

उपाध्यक्ष महोदय : इस खण्ड के लिये कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 17 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 17 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 17 was added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड 18 लेंगे।

श्री नम्बियार : मैं अपना संशोधन संख्या 41 प्रस्तुत करता हूं। हम अभी खण्ड 30 पर नहीं पहुंचे जिसमें अपील तथा पुनर्विचार की बात है। मैं चाहता हूं कि उत्पादनशुल्क अधिकारियों के स्थान पर किसी और को अपील सुननी चाहिये।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : इस परन्तुक के द्वारा जनसाधारण के लिये लाभदायक है इस के अनुसार कलेक्टर से कम स्तर का अधिकारी अपील नहीं सुन सकेगा। खण्ड 30 पर चर्चा समय हम इस पर और अच्छी तरह विचार कर सकते हैं।

श्री नम्बियार : यदि माननीय मंत्री कहते हैं कि इसे हम खण्ड 30 की चर्चा के समय लिया जायगा तो मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

संशोधन संख्या 41, सभा की अनुमति से वापिस लिया गया

Amendment No. 41 was withdrawn by leave of the House

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 18 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 18 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 18 was added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड 19 लेते हैं।

श्री नम्बियार : मैं अपने संशोधन संख्या 13 तथा 42 प्रस्तुत करता हूं इस खण्ड के अनुसार सोने के सभी व्यापारी जिन में स्वर्णकार भी होंगे को एक विवरणी देनी पड़ा करेगी। यह बहुत काम होगा।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं आश्वासन देता हूं कि अधिकृत स्वर्ण कारों को विवरणी (रिटर्नस) नहीं देनी होगा बल्कि एक उन्हें एक खाता रखने को कहा जायगा। उस खाते में ब्यौरा होना चाहिये कि सोना किस ने दिया है। सभा पटल पर नियम रख दिये जायेंगे। सरकार इस आश्वासन पर बाध्य है।

श्री नम्बियार : तब मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

संशोधन संख्या 13 और 42 सभा की अनुमति से वापिस लिया गया

Amendment Nos. 13 and 42, were by leave withdrawn

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 19 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 19 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 19 was added to the Bill.

खण्ड 20 (खाते)

श्री नम्बियार : मैं अपना संशोधन संख्या 14 प्रस्तुत करता हूं मैं चाहता हूं कि अधिकृत स्वर्णकारों को विवरणी भेजने से छूट दी जानी चाहिये।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : हम उन्हें केवल खाते तैयार करने के लिये कहेंगे तथा इस बारे में नियमों में उपबन्ध होगा।

श्री नम्बियार : मैं अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करता।

संशोधन संख्या 14 सभा की अनुमति से वापिस लिया गया

The Amendment No. 14 was, by leave withdrawn

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 20 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 20 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 20 was added to the Bill

खण्ड 21 और 22 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 21 and 22 were added to the Bill

खण्ड 23 (बिना लाईसेंस के परिष्करण शाला चलाने के भवनों के प्रयोग का निषेध)

श्री सोलंकी : मैं अपना संशोधन 92 प्रस्तुत करता हूं। मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि एक मालिक मकान को इस में क्यों लाया जा रहा। उस को कैसे ज्ञान हो सकता है कि उस का किरायदार मकान में क्या कार्य कर रहा है। यह तो अधिकारियों को अथवा किराये पर लेने वाले की ज़िम्मेवारी होनी चाहिये कि सरकार को परिष्करण शाला की सूचना दें।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : यह केवल परिष्करणकर्ताओं से सम्बन्ध रखता है। एक मालिक मकान को मालूम होना चाहिये कि क्या कार्य हो रहा है।

श्री रंगा : प्रमाणपत्र एक समय विशेष के लिये होंगे। उन का नवीकरण हुआ है अथवा नही यह मकान मालिक को कैसे मालूम हो सकता है। मैं कहूंगा कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिये।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : इस में स्पष्ट कहा गया है कि यदि कोई "जान बूझ कर किसी मनुष्य को करने.." दूसरे हमारे देश कुल 100 परिष्करण कर्ता हैं। यह बहुत कम संख्या है कि कोई विशेष कठिनायी नहीं होगी।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 92 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The Amendment No. 92 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 23 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 23 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 23 was added to the Bill

खण्ड 24 (व्यापार का हस्तान्तरण)

श्री सोलंकी : मैं अपना संशोधन संख्या 93 प्रस्तुत करता हूं।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 21, पंक्ति 8,

"Thirty" (तीस) के स्थान पर "Sixty" (साठ) रखा जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 21 पंक्ति 8,

"Thirty" (तीस) के स्थान पर "Sixty" (साठ) रखा जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय :

"कि खंड 24, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 24, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 24, as amended, was added to the Bill

खंड 25 (गोपनीयता और इमानदारी)

श्री नम्बियार : मैं संशोधन संख्या 45 प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 45 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

Amendment No. 45 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 25 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 25 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 25 was added to the Bill

खंड 26

श्री नम्बियार : मैं अपने संशोधन संख्या 15, 16, 17, 18, 19, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 और 56 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नारायण दांडेकर : मैं अपना संशोधन संख्या 94 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नम्बियार : खंड 26 अधिकारियों को मकान में प्रवेश करने, तलाशी लेने तथा दस्तावेजों को जब्त करने के लिये निर्वाद्य शक्तियां देता है। यदि इन शक्तियों का प्रयोग छोटे अधिकारियों द्वारा किया जायेगा तो इनका दुरुपयोग होने की पूरी संभावना है । अतः खंड में 'अधिकारी' शब्द के स्थान पर 'राजपत्रित अधिकारी' शब्द रखा जाना चाहिए । केवल राजपत्रित अधिकारियों को ही इतने अधिकार होने चाहिये । सामान्य व्यक्ति को परेशान करने वाली बात नहीं होनी चाहिये ।

श्री रंगा : मैं श्री नम्बियार के संशोधन के पक्ष में हूं । यह ठीक है कि राजपत्रित अधिकारियों की संख्या बहुत कम होती है । पुलिस में भी थोड़े ही व्यक्ति राजपत्रित होते हैं । परन्तु अब तो हर विभाग में उनकी संख्या बढ़ गई है । मेरे विचार में इस संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिये ।

श्री नि० चं० चटर्जी : खंड (2)(ख) के अन्तर्गत व्यवस्था है कि अधिकृत अधिकारियों को यह अधिकार होगा कि वे कैसा भी सोना हो पकड़ सकेंगे । यह नहीं कि वे केवल अवैध सोना ही पकड़ेंगे । केवल सन्देह करने पर ही सोना कब्जे में लिया जा सकता है । मेरे विचार में इतने असाधारण अधिकार.....

श्री नारायण दांडेकर : मैं खंड 26 में अपना संशोधन संख्या 94 प्रस्तुत कर चुका हूं ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : 'राजपत्रित अधिकारी' की मांग के बारे में मेरा निवेदन यह है कि उप-निरीक्षक के नीचे के अधिकारी को अधिकार नहीं दिये जाते । राजपत्रक अधिकारी को उस स्तर पर लाना ठीक नहीं होगा । श्री दांडेकर की बात पर संयुक्त समिति में चर्चा होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 15 से 19 और 46 से 56 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

The amendment Nos. 15 to 19 and 46 to 56 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 26 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 26 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 26 was added to the Bill

खंड 27 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 27 was added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खंड 28 पर चर्चा करेंगे :

खंड 28 (वाहन की जब्ती)

श्री सोलंकी : मैं अपना संशोधन संख्या 95 प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सरकार को यह संशोधन स्वीकार है ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जी, नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 95 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

Amendment No. 95 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 28 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 28 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 28 was added to the Bill

खंड 29 (पकड़े हुअे सोने की जब्ती तथा सजा का दिया जाना)

श्री नारायण दांडेकर : मैं अपने संशोधन संख्या 96, 97, प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नम्बियार : मैं अपने संशोधन संख्या 57 और 58 को प्रस्तुत करता हूं । यह कितने खेद की बात है कि माननीय महिला सदस्यों को मंगलसूत्र प्राप्त करने के लिये भी कष्ट करना पड़ेगा ।

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : यदि आप खण्ड 29(1) को देखें तो आपको पता चलेगा कि सरकार सोने को जब्त कर सकती केवल संदेह होने पर । उसमें लिखा कि वह सोने पर कब्जा कर सकती यदि उसे दंड दे दिया गया है, अथवा किसी नियम का उल्लंघन किया है अथवा किसी पर संदेह है । यदि संदेह में व्यक्तियों को माल पर कबजा किया जाने लगा तो यह बहुत अनियमित होगा और यह संविधान के अनुच्छेद 31 के विपरीत होगा जिसके अनुसार नागरिकों को सम्पत्ति का अधिकार दिया गया है । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि कब्जे से पहले किसी के अपराध का सिद्ध होना आवश्यक है । केवल संदेह पर ऐसा किया जाना ठीक नहीं होगा ।

श्री नारायण दांडेकर (गोंडा) : मैं अपने मित्र चटर्जी से सहमत हूं कि केवल संदेह के कारण किसी के सोने को कब्जे में नहीं लिया जाना चाहिये। इसलिये मैंने शब्द "जान बूझकर और स्वेच्छा से" जोड़ने का संशोधन दिया है जिसका अर्थ यह होगा कि किसी के सोने को तभी कब्जे में लिया जायेगा जब वह जान बूझकर और स्वैच्छा से कोई ऐसा कार्य करेगा ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : सोने पर कब्जा करने का अधिकार खण्ड 29, 26 और 30 ने प्रशासनिक अधिकारियों को दिया है । यह अधिकार उन्हें नहीं होना चाहिये क्योंकि यह उनके हित में होगा कि अधिक से अधिक सोना अपने कब्जे में लें । यह अधिकार न्यायपालिका के किसी अधिकारी के निर्णय के बाद ही होना चाहिये । यदि वह उन्हें दोषी नहीं ठहराते हैं तो यह कब्जा नहीं होना चाहिये । इसका अर्थ तो यह होगा कि एक ही व्यक्ति को किसी को अपराधी घोषित करने का तथा उसे दंडित करने का अधिकार दे दिया गया है । यह दोनों शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथ में नहीं होनी चाहिये ।

अब मैं खंड 29(2) के बारे में कुछ कहूंगा। इसमें जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वे हैं : "अथवा ऐसा काम करने में सहायता करता है अथवा काम करना चक जाता है"। मेरी समझ में यह नहीं आता कि शब्द "चूक जाना" क्यों प्रयोग किया गया है। सत्य तो यह है कि एसे तो किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहरा दिया जावेगा। "चूक जाना" तब होता जब किसी व्यक्ति के लिये कोई काम सौंप दिया गया हो। ऐसा तो है ही नहीं। इसलिये इस "चूक जाना" शब्द को हटा देना चाहिये।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा (आनन्द) : मैं श्री चटर्जी, श्री त्रिवेदी और श्री नम्बियार से सहमत हूं। जहां तक सोने के पकड़ने का सम्बन्ध है, यह नहीं लिखा कि कौन उसे पकड़ेगा—वह अधिकारी होगा या कोई सिपाही या चपरासी होगा।

एसे ही अपने आप को निर्दोषी सिद्ध करने का भार भी उस पर है जिस पर सोना मिलेगा। इस बारे में भी मंत्री महोदय स्पष्टीकरण करें।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : महोदय इस खंड को खण्ड संख्या 26 तथा 30 के साथ पढ़ना चाहिये। मैं यह मान सकता हूं कि निर्णय देने के बारे में बहस की गुंजाइश है। फिर यहां लिखा हुआ है कि "सोना जब्त किया जा सकता है।" यह नहीं लिखा कि "अपने आप जब्त कर लिया जायेगा।" और फिर यह वहीं होगा जहां कोई व्यक्ति उसका मालिक बनने से इन्कार करता है। इसलिये मेरे विचार में संविधान का अनुच्छेद 19 तो तब ही लागू होगा जब कोई कार्य खण्ड 30 के अन्तर्गत किया जायेगा।

बाकी रहा प्रश्न "जान बूझ कर और स्वेच्छा से" के प्रयोग के बारे में जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है। बात यह है कि इसके बारे में संयुक्त समिति में काफी बहस हो चुकी है और इस पर बात के लिये मैं फिर भी तैयार हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संख्या 96, 97, 57 और 58 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए
Amendment Nos. 96, 97, 57 and 58 were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :
"कि खण्ड 29 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 29 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 29 was added to the Bill

खंड 30 [न्यायनिर्णयन, पुर्नविचार-प्रार्थना अपील तथा पुनरीक्षण (Revision)]

श्री नम्बियार : मैं अपने संशोधन संख्या 59, 60, 61, 62, 63, 64 प्रस्तुत करता हूं।

श्री चाण्डक (रायचूर) : मैं अपना संशोधन संख्या 20 प्रस्तुत करता हूं।

श्री नारायण दांडेकर : मैं अपना संशोधन संख्या 98 और 99 प्रस्तुत करता हूं।

श्री नम्बियार : मेरा पहला संशोधन समय की अवधि के बारे में है। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि कम से कम गरीब व्यक्तियों को अपील के समय तो कुछ वक्त मिलना ही चाहिये। यह अवधि वह होगी तो कानून द्वारा निर्धारित की गई है अन्यथा कोई व्यक्ति 25 या 50 वर्ष बाद भी इस प्रश्न को उठावेगा। इसी लिये मैं समय की अवधि निर्धारित करना चाहता हूं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि कोई अभियोग कस्टम विभाग की ओर से आवे तो उस पर जांच करने का कार्य किसी और विभाग को सौपा जाना चाहिये। क्योंकि वही विभाग तो खोज करे और वही विभाग फिर उस पर आगे जांच करे तो यह ठीक काम नहीं होगा।

[श्री नम्बियार]

पृष्ठ 27 पर लिखा है कि इसकी अपील प्रशासक के पास की जा सकती है। अब देखा जाय तो इसका यह अर्थ हुआ कि प्रशासक के अधिकारी ही तो नीचे खोज करेंगे और अन्तिम अपील भी फिर उसी के पास जावेगी तो यह भी ठीक नहीं होगा। इस लिये अपील किसी अपीलीय न्यायाधिकरण के पास ही होनी चाहिये। फिर वह व्यक्ति भी ऐसा होना चाहिये जिसे कानून का ज्ञान हो। इस से गरीब स्वर्णकारो को आप किसी प्रशासक की मर्ज़ी पर मत छोड़िये।

श्रीमती गायत्री देवी (जयपुर) : महोदय, मैं अपने संशोधन संख्या 98 पर बोल रही हूं। कोई व्यक्ति जो इस कानून के अन्तर्गत पकड़ा जावेगा उसे एकदम जुर्माना देना होगा और उसके बाद ही वह प्रशासक के पास अपील कर सकता है। मुझे यह कानून के विरुद्ध दिखाई पड़ता है क्योंकि अदालतों में भी ऐसा नहीं होता। वहाँ तो जिस व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा जाता है तो उस समय सजा साथ साथ नहीं चलती है।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं अवश्य माननीय सदस्य की बात मानने को तैयार हूं।

Shri Chandak : My amendment is No. 20. I do not want that the Administrator should be given unlimited powers. This is against the democratic system of government. If my amendment is accepted, it will give great relief to the people. No person should be given unlimited powers, from whose orders no appeal may be.

श्री नि० चं० चटर्जी : मैं श्री नम्बियार के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। प्रशासक के पास अन्तिम अपील ले जाना न्याय के बुनियादी सिध्दांतो के विरुद्ध है। आखिर प्रशासक कार्यपालिका के ही तो अधिकारी हैं और न्यायपालिका की अपीलीय शक्तियां उसे दे देना अन्याय होगा। कार्यपालिका और न्यायपालिका के अधिकारों को एक ही व्यक्ति को सौंप देनी की हमें चेष्ठा भी नहीं करनी चाहिये। यदि आप वास्तव में अपीलीय अधिकार देने के हक में हैं तो फिर इसे आप अभियोजक प्राधिकार का भाग मत बनाइये।

जब हम विदेशी गुलामी के विरुद्ध लड़ रहे थे तो भारतीय कांग्रेस दल हर वर्ष अपने वार्षिक उत्सवों में यह प्रस्ताव पास करते थे कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक ही हाथों में नहीं रहना चाहिये। इस लिये आज यदि आप वास्तव में अपीलीय अधिकार देना चाहते हैं तो यह न्यायपालिका को ही दें।

श्री नारायण दांडेकर : एक तो मैं श्री नम्बियार के संशोधन के हक में बोलना चाहता हूं और एक मैं अपने संशोधन के हक में।

[श्री सोनावणे पीठासीन हुये]

[Shri Sonawane in the chair]

मुझे याद है कि जब सम्पदा शुल्क विधेयक इस सदन के सम्मुख 1953 में आया तो मैंने भी संयुक्त समिति में गवाही दी थी और मैं ने उस संदर्भ में कहा था केन्द्रीय भूसेचन मण्डल को कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के दोनों काम नहीं देने चाहियें। मुझे खुशी है कि 1958 में सम्पदा शुल्क अधिनियम को संशोधित किया गया और केन्द्रीय भूसेचन मण्डल से अपीलीय अधिकार ले लिये गये और किसी अपीलीय न्यायाधिकरण को दे दी गई। इस लिये मैं कहूंगा कि अपीलीय अधिकार प्रशासक को बजाय किसी अपीलीय न्यायाधिकरण के पास होनी चाहिये।

पृष्ठ 28, पंक्ति 40 में लिखा है कि है "किसी भी न्यायालय में इस निर्णय को चुनौती नहीं दी जावेगी"। हम बहुत समय से कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करने की बात कर रहे हैं परन्तु मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि हम उसके विपरीत कार्य कर रहे हैं। इसका एक उदाहरण तो इस विधेयक से ही दिखाई दे रहा है। इसका एक अर्थ तो यह निकला कि हमें अपने न्यायालयों में विश्वास नहीं रहा। इस लिये मैं चाहता हूं कि न्यायालयों को हमें अधिकार देना चाहिये कि इस अधिनियम के अन्तर्गत यदि कुछ हो तो उसे वहां चुनौती दी जा सके।

Shri Balmiki : Mr. Chairman, since my name also appears in favour of these amendments I would like to say that the executive should not be given so many powers when it is well-known that there is corruption in the customs & Excise Department—particularly so amongst officers—one officer should not be vested with both powers—executive as well as judicial—and these functions should be separated as is being done in the country these days. Therefore I would like that at page 27, for the word 'Administrator' the words 'Appellate Tribunal' may be substituted.

मेरा संशोधन इस प्रकार है :

पृष्ठ 27, पंक्ति 14, 'प्रशासक' के स्थान पर जोड़िये :

विशेष क्षेत्र के लिये अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जायेगा जिसमें तीन सदस्य होंगे जिन में से एक को सभापति बनाया जायेगा और वह ऐसा व्यक्ति होगा भारत के किसी उच्च न्यायालय मे न्यायाधीश अथवा अतिरिक्त न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो"

It will have to be admitted that since the right to appeal has been provided, there will be many such cases and if the proceedings will go on in the normal course, much time will be wasted. Therefore, it is but necessary that Appellate Tribunal might be constituted for this purpose. When we talk of eradicating corruption, it is necessary that the Administrator's powers are limited particularly when gold is involved. The provision of summary trial in this bill should be deleted.

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : क्योंकि इस खण्ड पर मेरे संशोधन याने सं० 157 तथा 137 से 143 पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है, मैं श्री नम्बियार तथा श्री नि० चं० चटर्जी के समर्थन में बोलूंगा। मैंने पहले ही कहा है कि सरकार को पुलिस तथा न्यायाधीश दोनों अधिकार नहीं होने चाहियें और उसलिये इस विधेयक के अधीन उसे मिलने वाले अधिकार उचित नहीं हैं। एक खूनी को भी भिन्न न्यायालयों में जा कर न्याय मांगने का अधिकार है। इसलिये मैं अपील के उपबन्ध रखे जाने की वकालत करता हूं।

डा० मा० श्री० अणे : मैं सुझावित संशोधन का समर्थन करता हूं। जैसा देखा गया है गैर-विधायक विभाग अपने कार्य न्यायपालिका की देखभाल से दूर रखना चाहते हैं और जैसा कई और अधिनियमों में देखा गया है कि मामले निर्णय के लिये न्यायालयों में जाने ही नहीं दिये जाते। वित्त मंत्री जी भी इस प्रवृत्ति से उपर नहीं उठ सके और इस प्रकार के उपबन्ध बनाये रखना इस प्रवृति का प्रमाण है। चूंकि छोटे अधिकारियों को जब्ती तथा छीनने के अधिकार दिये गये हैं इस लिये न्यायनिर्णयन ऐसे अधिकारी द्वारा होना चाहिये जो इस मामले से कोई सम्बन्ध न रखता हो। इस मनोरथ के लिये ऐसा व्यक्ति जिसे विधि सम्बन्धी योग्यता हो अथवा वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो सकने की योग्यता रखता हो। ही न्याय कर सकता है जिससे लोगों को संतोष हो कि न्याय उचित हुआ है।

श्रीमती यशोदा रेड्डी : मैं भी माननीय वित्त मंत्री से इस संशोधन को मान लेने की अपील करूंगी क्योंकि अभियोजक तथा न्यायाधीश एक ही व्यक्ति नहीं हो सकता। इसलिये मैं श्री नम्बियार द्वारा रख गये संशोधन का समर्थन करती हूं। भले ही न्यायालय द्वारा न्याय प्राप्त करने में देर लगे पर यह वांछनीय नहीं है। विभागीय जाच में भी सम्बद्ध व्यक्ति को बाहर की संस्था से न्याय पाने की छूट होती है। अतः प्रशासक पर ही अन्तिक निर्णय न छोड़ कर मंत्री जी को यह संशोधन मान लेना चाहिये ताकि लोग यह न समझें कि न्याय नहीं हुआ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : सभापति महोदय जैसा विदेशी मुद्रा अधिनियम, सीमा शुल्क तथा ऐसे दूसरे अधिनियमों में होता है प्रशासक ही सदा जांच नहीं करता और न्याय निर्णायक दूसरा ही अधिकारी होता है। जैसा मेरे माननीय मित्र श्री चटर्जी ने कहा कि एक प्रकार का प्रशासनिक न्यायाधिकरण बनाया जाये। मेरा सुझाव है कि यह मामला अभी हाथ में लिया जाना है और व्यक्तिगत रुप से मैं भी यही चाहता हूं परन्तु यह बात परिपाटी के उलट है। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि जांच करनेवाला तथा निर्णायक एक ही व्यक्ति नहीं होगा। पूरे चित्र की एक रूपरेखा बनानी होगी और यह रूपरेखा

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

इसी उपबन्ध से नहीं बन सकती । यह मामला प्रवर समिति के विचाराधीन रहा है । यह कोई नया सुझाव नहीं है और इस संशोधन के रूप में मैं प्रशासनिक न्यायाधिकरणों का तांता बांधने में असमर्थ हूं ।

जहां तक उनके अन्तिम अधिकारों का प्रश्न है, ऐसा नहीं है और श्री चटर्जी इस बात पर मेरा समर्थन करेंगे । उच्च तथा उच्चतम न्यायालय हमारे संविधान का अंग हैं और उनके कार्य क्षेत्र सीमित करने का प्रश्न ही नहीं उठता । यहां तो केवल अधिनस्थ न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र को छीनने की बात है मैं केवल उपखण्ड (2) के दो उपबन्धों को हटाने का संशोधन जिसका सुझाव जैपुर से निर्वाचित सदस्य महोदय द्वारा दिया गया है, ही स्वीकार कर सकता हूं । मैं और कोई संशोधन मान लेने की स्थिति में नहीं हूं ।

श्री का० ना० तिवारी : मेरा एक प्रश्न है । क्या मंत्री जी ने न्यायाधिकरण के बारे में सभा की भावना जान ली है और क्या वह यह कार्यान्वित करने की कृपा करेंगे ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : यह तो न्यायाधिकरण के गठन का प्रश्न है और यह कार्य इस संशोधन द्वारा इस स्तर पर लागू नहीं हो सकता और यदि इसका गठन किया गया तो यह सीमा शुल्क, विदेशी मुद्रा तथा स्वर्ण आदि सभी मामलों पर लागू होगी और सभी सम्बद्ध अधिनियम इसके अधीन आयेंगे **(अन्तरबाधायें)**

श्री सिंहासन सिंह : आपने एक ही व्यक्ति के दण्ड देने और उसकी अपील सुनने का विरोध सिद्धान्त रुप में तो स्वीकार किया है परन्तु इसमें क्या हानि है यदि अपील जिला अथवा उच्च न्यायालयों को सुनने का अधिकार दिया जाय ।

श्री नम्बियार : हम अपने संशोधन में जैसा चाहें फेरबदल करने को तैयार हैं ।

सभापति महोदय : अब मैं खण्ड को मतदान के लिये रखता हूं ।

श्री ना० दांडेकर : मेरा एक स्पष्टीकरण का प्रश्न है । क्या मैं यह समझू कि विधि सम्बन्धी मामलों की अपीलें उच्च न्यायालयों को की जायेंगी जैसे आयकर के मामलों में होता है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : हमें विधि सम्बन्धी रोक लगाने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री नारायण दांडेकर : वहां का उपबन्ध बहुत विशेष है और मैं समझता हूं कि इस विधेयक में भी यह आवश्यक है । अन्यथा: उच्च न्यायालयों को केवल लेख अधिकार ही हैं अपील के नहीं ।**(अन्तर-बाधायें)** सादर निवेदन है कि केवल 226 के आधीन विधि प्रश्न को छोड़ मामला उच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है जैसे आयकर सम्पत्ति-कर के मामलों में होता है ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : परतु क्या वह कोई संशोधन रखना चाहते है अथवा वह किस संशोधन पर बोल रहे हैं ?

श्री नारायण दांडेकर : संशोधन सं० 99 जहां मेरा सुझाव है कि "को चुनौती नहीं दी जायगी" शब्द हटा दिये जायें ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : प्रश्न तो यह है कि यदि वह वास्तव में वास्तविकता और विधि के प्रश्नों में भेद रखना चाहते हैं तो सभा के समक्ष कोई संशोधन नहीं है संशोधन सं० 99 केवल खण्ड के हटाये जाने के लिये है इसमें वास्तविकता का प्रश्न भी शामिल है । जैसा माननीय सदस्य ने कहां आय-कर के मामलों में वास्तविकता के प्रश्न नहीं बल्कि विधि के प्रश्न ही उच्च न्यायालय के पास ले जाये जा सकते हैं और इन प्रश्नों में भेद बताने का यह कोई संशोधन नहीं रखा गया । मैं पूछ कर शायद स्वयं एक संशोधन प्रस्तुत करूंगा ।

सभापति महोदय : क्या श्री चांडक अपने संशोधन पर आग्रह करते है ?

श्री चांडक : जी हां ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं माननीय सदस्य श्री चटर्जी की सहायता से जानना चाहता हूं कि क्या यदि मैं संशोधन में यह कहूं कि इस मामले को विधि के प्रश्न को छोड़ कर किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जायेगी तो क्या यह ठीक रहेगा ?

श्री० नि० चं० चटर्जी : मेरे विचार में यह मान्य है ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : क्या माननीय सदस्य की दृष्टि में "विधि के प्रश्न के सिवाय" ठीक होगा ?

श्री नि० चं० चटर्जी : जी हां ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : सरकार दो संशोधन स्वीकार करती है । पहला उप-खण्ड के दो उपबन्धों को हटाने के बारे में तथा दूसरा "विधि के प्रश्न के सिवाय" शब्दों को जोड़ने के बारे में ।

सभापति महोदय : मैं पहिले संशोधन सं० 61 को मतदान के लिये रखता हूं यह सरकार को स्वीकार है ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 27, पंक्ति 21 से 29 निकाल दी जायें । (61)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ट 28, पंक्ति 40
"and shall not be called in question in any court"
["और किसी न्यायालय में चुनौती नही दी जायेगी"]
के बाद
"except on a question of law"
['विधि के प्रश्न के सिवाय"]
जोड़ दिये जायें ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 28 पंक्ति 40
"and shall not be called in question in any court"
["और किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जायेगी"]
के बाद
"except on a question of law"
["विधि के प्रश्न के सिवाय"]
जोड़ दिये जायें' ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

सभापति महोदय : अब मैं दूसरे संशोधन मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 59, 60, 62, 63, 64 और 20 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

Amendments Nos. 59, 60, 62, 63, 64 and 20 were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"कि खण्ड 30, संशोधित रुप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted
खंड 30 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 30, was amended, was added the Bill

खण्ड 31

श्री नम्बियार : मैं अपने संशोधन संख्या 65 प्रस्तुत करता हूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(एक) पृष्ठ 30, पंक्ति 18 से 20 निकाल दी जायें। (66)

(दो) पृष्ठ 30, पंक्ति 33 से 35 निकाल दी जायें । (67)

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं संशोधन 67 को स्वीकार करता हूं ।

श्री नम्बियार : इसका अर्थ यह हुआ कि संक्षिप्त परीक्षण की बजाय आम परीक्षण के बाद निर्णय होगा । संशोधन 66 का क्या हुआ जो उपखण्ड (2) के उपबन्ध के हटाये जाने के बारे में है ? प्रश्न यह है कि : पृष्ठ 30 पर खण्ड (31)(2) का उपखण्ड (xi) जो इस प्रकार है ।

"बनाता है अथवा किसी मोहर को जाली बनाता है इस मनोरथ से कि इसका प्रयोग मूल सोने पर मोहर लगाने के लिय करेगा....." इत्यादि और f र

"दो वर्ष की अवधि के लिये कारावास अथवा जुर्माने सहित दण्ड दिया जा सकेगा" तब यह उपबन्ध आता है :

"यदि इसके विपरीत विशेष अथवा प्रयाप्त कारणों का अभाव हों जो न्यायालय के निर्णय में दर्ज किये जाएंगे, ऐसा कारावास छः महीनों से कम का न होगा" ।

मेरी ओर से यह आपत्ति है कि इसके अन्तर्गत न्यायाधीश या तो छः महिने से कम की सजा नही दे सकते हैं अथवा जुर्माना ही कर सकते हैं, न्यायाधीश यह जानतें हुये भी कि किसी विशेष मामले में छः महिने से कम का कारावास या दण्ड देना ही उचित है, तो भी वह ऐसा नहीं कर सकता, अतः शक्तियों का उपयोग लोगों को अनुचित दण्ड देने के लिये नहीं किया जाना चाहिए । अतः मेरा निवेदन है कि इस 'परन्तुक' में भी उप-खण्ड (4) की भांति संशोधन किया जायें ।

श्री नारायण दांडेकर : मेरा निवेदन है कि इस उपबन्ध को जिसमें छः महिने का दण्ड देने की व्यवस्था की गई है, हटा दिया जाये । इसके अनुसार न्यायाधीश अथवा दण्डाधिकारी को किसी भी अभियुक्त को छः महिने से कम का कारावास-दण्ड देने के लिये विशेष तथा पर्याप्त कारण देने पड़ेंगे, चाहे उसका अन्तःकरण यह कहता हो कि इस मामले में छः महिने से कम का ही दण्ड पर्याप्त है । अतः इस उपबन्ध के अन्तर्गत उन्हें अभियुक्त का दण्ड कम करने के लिये वकीलों की भांति विशेष और पर्याप्त कारण रिकार्ड करने पड़ेंगे । मेरा वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह इस संशोधन को स्वीकार करें ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं संशोधन संख्या 66 को भी स्वीकार करता हूं ।

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 66 तथा 67 सभा के सामने रखता हूं ।

प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 30, पंक्ति 18 से 20 तक निकाल दी जायें । (66)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ३०, पंक्ति 33 से 35 तक निकाल दी जायें । (67)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री नम्बियार : मैं संशोधन संख्या 65 वापिस लेता हूँ ।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य को संशोधन वापिस लेने के बारे में सभा की अनुमति है ।

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां ।

संशोधन संख्या 65, सभा की अनुमति से वापिस लिया गया
Amendment No. 65 was, by leave, withdrawn

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"कि खण्ड 31, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

खण्ड 31 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 31, as amended, was added to the Bill

खण्ड 32 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 32 was added to the Bill

खण्ड 33

श्री नम्बियार : मैं संशोधन संख्या 68 और 69 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा (आनन्द) : मेरे सशोधन संख्या 147 और 148 के बारे में क्या हुआ ? क्या वे अवरुद्ध हैं ?

सभापति महोदय : जी, हां ।

श्री नम्बियार : मुझे आशा है कि वित्त मंत्री महोदय ने जिस भावना से पहिले संशोधनों को स्वीकार किया है उसी प्रकार इन संशोधनों को भी स्वीकार करगे ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : यह विधयक पूर्णतया प्रविधिक रूप में है, मैं यह उचित नहीं समझता कि इस संशोधन को स्वीकार किया जाय ।

श्री नम्बियार : मैं संशोधन संख्या 68 को वापिस लेता हूं ।

संशोधन संख्या 68 सभा की अनुमति से वापिस लिया गया
Amendment No. 68 was, by leave, withdrawn

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 69 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ
Amendment No. 69 was put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि खण्ड 33 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

खण्ड 33 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 33 was added to the Bill

खण्ड 34 से 43 खण्ड, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गय
Clause 34 to 43, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये"।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री रंगा (चित्तूर) : स्वर्ण नियंत्रण आदेश के विरोध में देश के प्रत्येक भाग से प्रत्येक राजनैतिक तथा सामाजिक दल द्वारा आवाज उठाई गई और इससे 50 लाख से भी अधिक सुनारों में हाहाकार मच गया कि उनके व्यवसाय पर कुठाराघात किया जा रहा है । यह दुःख की बात है कि इस आदेश को अब दूसरे रुप में लाया जा रहा है जिससे सोने के व्यापार व उद्योग में लगे हुये लोगों को अर्थात सुनारों, व्यापारियों शराफों तथा अन्य लोगों को हानि हो रहीं है । इस आदेश से निर्धन वर्ग विशेषत: हिन्दुओं पर असर पड़ा है, अब वे अपनी सम्पत्ति को सोने के रूप में नहीं रख सकते हैं ।

इस सम्बन्ध में सरकार ने पहिले अध्यादेश जारी किया, बाद में फिर वह प्रस्तुत विधेयक ले आई । सरकार द्वारा इसका उदेश्य सोने का तस्कर व्यापार बन्द करने का बताया गया किन्त वह न तो बन्द ही किया जा सका और न भविष्य में ही बन्द होगा । इस विधेयक का प्रभाव जनसाधारण पर विशेषत: स्त्रियों पर पड़ता है जिनके पास सोना होता है, अत: उनके दिमाग में यह भय लगा रहता है कि विधेयक के उपबन्ध उनके सोने पर भी लागू न हो जायें, इसलिये उन्हें दूसरों को परामर्श करके मंत्रणा लेनी पड़ती है । देहातों में जैसा कि आम प्रचिलित है विवाह आदि के अवसर पर सोने के जेवर अन्य व्यक्तियों का काम चलाने के उदेश्य से दिये जाते हैं । किन्तु उनके लौटाये जाने पर मालुम होता है कि वे जेवर असली सोने के नहीं है अपितु नकली जेवर हैं । अत: इस बारे में अन्य लोग अनुचित मंत्रणा भी दे सकते हैं परिणामस्वरुप लाखों व्यक्तियों को कठिनाइयां उठानी पड़ेगी ।

प्रस्तुत विधेयक द्वारा इन स्वतंत्र व्यवसायी सुनारों को अब पुलिस तथा अन्य अधिकारियों का शिकार बना दिया जायेगा ।

अत: मैं सोने के व्यवसाय अथवा उद्योग में लगे हुये सभी लोगों की ओर से प्रस्तुत विधेयक का विरोध करता हूं ।

सभापति महोदय : मुझे इस विधेयक को साढ़े चार बजे सदन के सामने मतदान के लिये रखना है, अत: मैं श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा को दो मिनट का समय देता हूं ।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्मम): सभापति महोदय, एक समय था जब कि आदमी भी कानों की बालियों, हार तथा अन्य जेवर पहिनते थे, किन्तु आज नहीं । आज देश की नारियां शिक्षा तथा ज्ञान प्राप्त करना चाहती है और देश की प्रगति तथा विकास सम्बन्धी कामों में भाग लेना चाहती हैं । यह कदम चीनी आक्रमण के परिणामस्वरूप नहीं उठाया गया है, जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों का का विचार है, अपितु सोने का तस्कर व्यापार बन्द करने के उदेश्य से ऐसा किया गया है । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के प्रतिवेदन के अनुसार तस्कर व्यापार कुछ सीमा तक बन्द हो गया है, सोने की मांग कम हो गयी है और मूल्य में नियंत्रित हुये हैं, मंत्री महोदय ने इस बारे में कई संशोधन स्वीकार किये हैं, अत: वह बधाई के पात्र हैं ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : सभापति महोदय, सरकार तस्कर व्यापारियों तथा धोके से काम करने वाले अन्य लोगों को दण्ड देने में असफल रही है और अब बेचारे सुनारों के पीछे पड़ी हुई है । है, उन्हें बलि का बकरा बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है । मैं नहीं कहता कि सुनारों की संख्या 50 लाख है किन्तु सत्य यह है कि उनकी संख्या काफी अधिक है और उन्हें बहुत परेशानी उठानी पड़ी है और कई लोगो ने तो आत्महत्या तक की है, देश में इसके विरुद्ध असन्तोष की भावना फैली हुई है अत: सरकार को इस बारे में गम्भीर रूप से विचार करना चाहिये था ।

वित्त मंत्री महोदय को इस बात का श्रेय है कि उन्होंने इस विधान की कुछ त्रुटियों को मानकर कुछ संशोधन स्वीकार किये हैं। लेकिन वित्त मंत्री छिपाये हुये सोने पर कब्जा क्यों नहीं करते। वह आयात तथा निर्यात व्यवसाय को स्वतंत्र उद्यम वाले व्यापारियों के हाथ में क्यों छोड़ रहे हैं जिसका आशय यह होता है कि सोने का तस्कर व्यापार चलता रहेगा और सोने की समस्या कभी हल नहीं हो पायेगी ?

श्री रंगा : वित्त मंत्री ने कल कहा था कि सुनारलोग मान गये हैं और उन्होंने प्राय: विधेयक को स्वीकार कर लिया है। किन्तु उनके द्वारा दिये गये ज्ञापन-पत्र में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वे इस विधेयक को स्वीकार नहीं करते हैं।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : सभापति महोदय मैं इस समय किसी भी विवादास्पद तर्क में नहीं पड़ना चाहता। किन्तु मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि इस विधेयक से स्वयं काम करने वाले सुनारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

मैं श्री ही० ना० मुकर्जी की बात से पूर्णतया सहमत हूं कि देश में सोना पर्याप्त मात्रा में छिपाया हुआ है जिसे प्राप्त करने में हमें कठिनाई हो रही है और तस्कर व्यापार चल रहा है। किन्तु मैं यह कह सकता हूं कि इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद इसे समाज विरोधी लोगों के विरुद्ध प्रयोग में लाया जायेगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुरक्षित रहेंगी, ऐसे नियम बनाये जायेंगे जिन से कि स्वयं काम करने वाला सुनार तंग न हो।

मैं केवल यह आश्वासन दे सकता हूं कि जब तक मैं अपने पद पर आसीन हूं, अपने पदाधिकारियों द्वारा इस बात का प्रयत्न करता रहूंगा कि इस अधिनियमन से जनता को परेशानी न हो, स्वयं काम करने वाला सुनार तथा अन्य लोगों को व्यक्तिगत रुप से ऐसा आभास न हो कि उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है अथवा उन्हें परेशानियों में डाला जा रहा है। मैं यही आश्वासन दे सकता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है.....

श्री मी० रु० मसानी : एक व्यवस्था का प्रश्न है। सभा के सामने साढ़े चार बजे से दूसरा कार्य आरम्भ होता है अत: इस विधेयक पर अग्रेतर विचार कल तक के लिये स्थगित कर दिया जाये।

सभापति महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है अपितु सुविधा का प्रश्न है।

प्रश्न यह है :

'कि विधेयक को, संशोधित रुप में, पारित किया जाये'।

सभापति महोदय : प्रस्ताव के पक्ष में अधिक सदस्य हैं अत: प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रंगा : यह विधेयक बिना विभाजन के पारित नहीं होगा। हमें इस पर विरोध करने का अवसर नहीं दिया गया है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य ने विभाजन के बारे में तब क्यों नहीं कहा ?

श्री मी० रु० मसानी : यह पूर्णतया अवैध तथा नियमों के विरुद्ध है। हमें इस बारे में अध्यक्ष महोदय का विनिर्णय चाहिये।

सभापति महोदय : मैने अपना विनिर्णय दे दिया है।

श्री मी० रु० मसानी : सबसे अच्छा उपाय यह है कि इसे कल सुबह तक के लिये स्थगित कर के, अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय की प्रतीक्षा की जाये।

सभापति महोदय : प्राय: जब किसी निर्णय को चुनौती दी जाती है तो उसे शीघ्र ही स्वीकार कर लिया जाता है। किन्तु सभा के मतदान के लिये रखने के पूर्व जब मैंने विरोधी सदस्यों की ओर देखा तो उन्होंने समय के बारे में व्यवस्था का प्रश्न उठाया। अत: मैंने कहा कि यह सुविधा का प्रश्न है। तथापि सभा की ईच्छा को ध्यान में रखते हुए इस निर्णय को स्थगित कर मत विभाजन किया जायेगा।

श्री रंगा : कोई मत दान नहीं लिया गया. . . .

सभापति महोदय : मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है।

श्री रंगा : हम आपके विनिर्णय को स्वीकार नहीं करते हैं।

सभापति महोदय : मत विभाजन के प्रश्न पर कल निर्णय किया जायेगा।

श्री रंगा : आप अध्यक्ष पीठ पर आसीन होकर इस तरह व्यवहार कर रहे हैं।

सभापति महोदय : अध्यक्ष पर आक्षेप मत कीजिये।

श्री मी० रु० मसानी : कल की कार्यसूची में इस विधेयक को भी रखा जाये।

सभापति महोदय : यदि सदस्यगण इस अभी मत विभाजन चाहते हैं तो मैं उसकी भी व्यवस्था कर सकता हूँ।

श्री मी० रु० मसानी : यह स्पष्ट हो गया है कि इस विधेयक को कल की कार्यसूची में रख दिया जायेगा और उसके बाद अध्यक्ष महोदय निर्णय देंगे।

सभापति महोदय : जी, हां। ऐसी ही होगा।

श्री राधेलाल व्यास (उज्जैन) : सभापति महोदय। स्वतंत्रदल के माननीय नेता ने गरमागरमी में सभापति महोदय के प्रति कुछ मत व्यक्त किया। मेरा अनुरोध है कि उसे सभा की कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

श्री रंगा : मैं सहमत हूँ और अपने शब्दों को वापिस लेता हूँ।

कारों के निर्माण, खपत और मूल्य के बारे में चर्चा--जारी

DISCUSSION RE : MANUFACTURE, CONSUMPTION AND PRICE OF CARS

सभापति महोदय : माननीय मंत्री

उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : दो विभिन्न दिनों को, यह छोटी कारों के प्रश्न पर चर्चा हुई है। इस विवाद में दौरान माननीय सदस्यों ने जो बातें और सुझाव प्रस्तुत किये है उनका मैंने उत्तर दे ा है। इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ कि कारों की कीमत बहुत अधिक है। कारों की कीमत इस तरह निर्धारित की जानी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति के साधनों के अन्तर्गत उपलब्ध हो सके। अत: इस मामले पर गम्भीरता पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि ऐसी छोटी कारों की मांग है जो औसत आय वाला व्यक्ति भी खरीद सके। किन्तु इसके साथ ही देश में अन्य कई वस्तुओं की आवश्यकता और मांग भी हो सकती है। बड़े पैमाने पर किसी उद्योग में पूंजी लगाने का निर्णय करते समय विभिन्न महत्वपूर्ण आवश्यकताओं

की प्राथमिकताओं को उचित रूप से ध्यान में रखना वांछनीय है। यह कहना बिल्कुल गलत है कि किसी विशिष्ट वर्ग के लोगों के दबाव के कारण इस परियोजना को छोड़ दिया गया है।

इस प्रश्न पर योजना आयोग में विचार किया गया है और योजना में छोटी कार परियोजना के लिये पर्याप्त उपबन्ध किया गया है, किन्तु इसे योजना में विशेष स्थान नहीं दिया गया है। आखिर अन्य कुछ अधिक महत्वपूर्ण बातें भी हैं। यह कहना गलत है कि सरकार मोटर गाड़ी उद्योग को धन देने के बारे में अपने वचन को पूरा नहीं कर पाई है। तीसरी योजना में संधारण के लिये 175 करोड़ रूपया तथा पूंजी विनियोजन के लिये 40 करोड़ रूपये की विदेशी मुद्रा की व्यवस्था की गई है। हमारी विदेशी मुद्रा समिति अब तक कुछ 76 करोड़ रुपये दे चुकी है।

सहायक एककों के बारे में सरकार पहले ही निदेश दे चूकी है कि विभिन्न सहायक एककों की लागत के बारे में जांच की जाये और हमारे लागत लेखापाल इस काम को कर रहे हैं। यथा समय सभा को पूरी जानकारी दे दी जायेगी। किसी विशिष्ट पार्टी को ही लाइसेंस दिये जाने तथा एकाधिकार स्थापित होने के बारे में प्रश्न उठाये गये हैं। कोई उत्पादन कार्यक्रम तैयार करते समय सरकार को एकाधिकार के विरूद्ध तर्कों तथा आर्थिक पहलुओं पर विचार करना पड़ता है। अतः हमें जो ऐतिहासिक प्रक्रिया से विरासत में मिला है वह हमारे सामने है। किसी कार के बारे में निर्णय करते समय हमें उसके आर्थिक पहलू पर विचार करना होगा।

हमारा यह अनुमान था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में हमें प्रतिवर्ष 40,000 कारों से अधिक आवश्यकता नहीं होगी। इस समय जब कि तीन एकक कारों का निर्माण कर रहे है हमने 10,000 कारों का निर्माण करने वाला एक अतिरिक्त एकक स्थापित करना उचित नहीं समझा। किन्तु ऐसा लगता है कि भविष्य में मांग अधिक होगी। इस प्रश्न पर विस्तार पूर्वक विचार करना पड़ेगा। हम समझते है चालीस-पचास हजार कारों से कम निर्माण करने वाला एकक-लाभदायक एकक नहीं है।

एक विचारणीय मुख्य प्रश्न यह भी है कि क्या हम छोटे उद्योगों को उनके धातु के कोटों से वंचित करके छोटी कारों के लिये अधिक विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करें। तथ्य यह है कि अनेक कठिनाइयों के बावजूद भी कार उद्योग को यथा संभव अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा दी गई। हम इस बात पर जोर दे रहे है और हमें आशा भी है कि एकक के अतिरिक्त मुद्रा दी गई। हम इस बात पर जोर दे रहे है और हमें आशा भी है कि एक एकक के अतिरिक्त वर्तमान एकक लगभग 90 प्रतिशत स्वदेशी सामान लगायेंगे। तब वे उन्हें अधिक संख्या में मोटर गाड़ियां बनाने के लिये कम विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी और उनकी लागत भी कम आयेगी।

मूल्य नियंत्रण जैसी कोई बात नहीं है जैसा कि कई सदस्यों ने कहा है वास्तव में 1957 में मूल्यों को आधार माना जाता है और मोटर गाड़ी निर्माता लागत आदि में वृद्धि होने पर उसी के अनुसार मूल्य बढ़ाने के लिये स्वतंत्र है। अतः प्रचलित मूल्यों के लिये सरकार उत्तरदायी नहीं है। उत्पादकों ने अपनी अधिक लागत आदि की समस्यायें समय समय पर हमें बताई है और उनपर विचार करके हम ने उन्हें बताया है कि कौनसी बात उचित है और कौन सी उचित नहीं है।

चौथी योजना में कारों की कांग इतनी बढ़ जायेंगी कि हम 50,000 कारों का उत्पादन बनायें रख सकेंगे। जो प्रस्ताव हमारे समक्ष है उनके आर्थिक पहुलुओं पर हम विचार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम सहायक पुर्जों के मा क निर्धारित करना चाहते है। दुर्भाग्य से, अधिकतम मामलों में, प्रत्येक कार के लिये अलग अलग पुर्जे आदि आवश्यक होते है और एक कार के पुर्जे दूसरी कार में नहीं लग सकते। हमने हाल ही में सहायक पुर्जा उद्योग को के उत्पादकों से इस विषय में बातचीत की है ताकि मान निर्धारित करने के लिए कोई कार्यवाही की जा सके। किस्म के मामलें में भी मैं उत्पादकों से सम्पर्क बनाये हुए हूं।

कार का प्रश्न वित्त मंत्री पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए जिन्हें उसके बहुत से पहुलुओं पर विचार करना है। सरकार स्कूटरों, मोटर-साईकिलों आदि को सर्वोच्च प्राथमिकता देना चाहती है। फियट कारों के सम्भरण में भी वृद्धि की जा रही है और यह एक राहत की बात है।

[श्री त्रि० ना० सिंह]

अन्य बातों के बारे में मैंने कहा ही है कि मुझे सदन का पूर्ण सहयोग चाहिये। यदि कुछ माननीय मित्र इस मामले पर चर्चा करना चाहें मैं उन्हें मिलने को तत्पर हूं। वैसे मूल्यों को कम करने के बारे में मैं प्रयत्न कर ही रहा हूं।

सभापति महोदय : अब हम आधे घंटे की चर्चा को शुरू करेंगे।

---

* कर्नाटक में परियोजनाओं के लिये पानी

* RE : WATER FOR PROJECTS IN KARNATAK

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कोप्पल) : यह अन्तर्राज्यीय विवाद गत 14 वर्षों से चल रहा है। मैसूर और बम्बई की सरकार ने केन्द्रीय सरकार से निवेदन किया था कि इस जल विवाद को केन्द्रीय सरकार किसी न्यायिक निर्णय के लिये दे दे। परन्तु सरकार ने ऐसा नहीं किया और नदी बोर्ड अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत कोई न्यायाधिकारण स्थापित नहीं किया। ऐसा लगता है कि हमारे माननीय सिंचाई मंत्री अपनी क्षमता और योग्यता का इस दिशा में प्रयोग नहीं कर रहे। उनका अधिक ध्यान कृष्णा, गोदावरी की जल की कमी को दूर करने की ओर अधिक रहता है।

यह भी मालूम हुआ है कि योजना आयोग अथवा केन्द्रीय सिंचाई बोर्ड की तकनीकी स्वीकृति के बिना कई परियोजनाओं की सिफारिश की गयी है। मैं चाहता हूं कि गुहाटी आयोग के प्रतिवेदन पर एक दिन के लिये चर्चा रखी जाये। यह प्रतिवेदन बहुत ही बुद्धिमत्ता पूर्ण है। उस सम्बन्ध में इस सदन में तथा राज्य सभा में 14 प्रश्न प्रस्तुत किय गये थे। खेद की बात यह है कि इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक सब-बेसिन से अनुमानित औसत उत्पादन और परियोजना की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में, सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत रूप में गुलाटी आयोग ने कहा है कि ये अनुमान बड़ी परियोजनाओं के लिये, जिन पर जनता के धन की काफी राशि कम की जाती है, काफी नहीं है मैं यह निवेदन करना चाहता हुं कि किसी भी परियोजना को स्वीकृत करने से पूर्व, उस पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर लेना चाहिय।

मंत्री महोदय ने नागार्जुन सागर योजना, श्री सेलम परियोजना, पंचकुंडा योजना तथा अपर कृष्णा योजना मंजूर की है, परन्तु उनमें पानी नहीं है। यदि पानी ही उपलब्ध नहीं होगा तो हम परियोजनाओं को किस प्रकार चला सकेंगे। यदि परियोजनाओं को चालू नहीं किया जाता तो इसका मतलब यह होगा कि केन्द्रीय सरकार कर्नाटक में चिरस्थायी रूप से दुर्भिक्ष की स्थिति का निर्माण कर रही है। और वह वहां बेसिन में रहने वाले लोगों को चिरस्थायी दुर्भिक्ष की स्थिति पैदा करके वहां के लोगों को उचित जीवन से वंचित करना चाहती है।

हमारी मांग यह है कि किसी केन्द्रीय सरकार के स्तर के व्यक्ति को यह समस्या सुलझाना चाहिये। वर्तमान मंत्री महोदय के निर्णय को अन्तिम रूप में स्वीकार नहीं किया जायगा। यदि यह जल एकता स्थापित न हो सकी तो राष्ट्रीय एकता भी खतरे में पड़ जायेगी। मेरा निवेदन है कि इस एकता को कायम रखा जाना चाहिये।

---

*आधे घंटे की चर्चा।

*Half an-hour Discussion.

Shri Tulshidas Jadhav (Nanded) : The integration has been referred to by the honorable previous speaker. We must maintain the oneness of our Country. But there is a Great Scarcity of water in Maharashtra, only six per cent water is available for irrigation purposes. The demand of Maharashtra is that the Tribunal must be appointed, and some solution of this dispute must be discovered. But the Central Government is callously indifferent towards the demands of the Maharashtra.

Sufficient water is being given to Andhra for all the projects. If we want unity we must do justice to all. It will be good if the matter is referred to the Tribunal and its decision should be final.

श्री मा० ल० जाधव : मैं यह चाहता हूं कि सरकार बताये कि क्या अन्तर्राज्यीय जल-विवाद को हल करने की दिशा में कुछ प्रगति हुई है ?

श्री सं० ब० पाटिल : आंध्र प्रदेश, मैसूर तथा महाराष्ट्र के लिये नियत कृष्णा नदी के जल में से कितने जल का प्रयोग किया जा रहा है और कृष्णा नदी के जल का रूख शहरी क्षेत्र की ओर करने के विरुद्ध ग्रामीण लोगों ने अपना विरोध प्रकट किया है ?

श्री हे० बी० कौजलगी : जल के वर्तमान नियतन के अनुसार घाट प्रभा तथा मालप्रभा, प्रक्रम 2, के लिये कोई उपबन्ध नहीं है। प्रक्रम 2 में जल की व्यवस्था किस प्रकार की जायेगी ?

श्री बासप्पा (तिपतुर) : मंत्री महोदय यह बतायें कि क्या सरकार ने इस आशय से कोई कार्यवाही की है कि तुंगभद्रा के जल जिसमें मैसूर का भी भाग है, का रुख इस कारण आंध्र प्रदेश की ओर कर दिया जाय ताकि वहांके लोग दो अथवा तीन फसलें पैदा कर सकें। यह भी है कि इधर जल एक नदी के बेसिन से दूसरे बेसिन में ले जाया जा रहा है और उधर मैसूर की जनता की स्थिति अत्यन्त शोचनीय हो रही है। अकाल की स्थिति पैदा हो रही है।

डा० सरोजिनी महिषी (धारवाड़-उत्तर) : मंत्री महोदय को यह बताना चाहिये कि क्या वह अभाव वाले क्षेत्र, खेती योग्य क्षेत्र, जनसंख्या आदि बातों को ध्यान में रखते हुए बेसिन क्षेत्र की मांगों के आधार पर ही महाराष्ट्र तथा मैसूर के लिये जल के नियतन के बारे में पुनर्विचार करेंगे ?

सभापति महोदय : यह कोई प्रश्न नहीं।

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : मैं श्री शिवमूर्ति राव का भाषण बड़े ध्यान से सुना है। इस सम्बन्ध में काफी भ्रांति चल रही है, अतः इस सम्बन्ध में मैं सारी स्थिति सदन के समक्ष रखने का प्रयत्न करूंगा।

वर्ष 1951 में कृष्णा तथा गोदावरी नदियों के जल के बारे में सभी सम्बन्धित राज्यों में एक समझौता हुआ था। सितम्बर 1960 में महाराष्ट्र तथा मैसूर राज्यों ने अभ्यावेदन किया कि जल के नियतन में तब्दीली करनी होगी। उसके बाद गुलाटी आयोग नियुक्त किया गया जिसने वर्ष 1962 में अपना प्रतिवेदन दिया। उसके पश्चात भूतपूर्व सिंचाई और विद्युत मंत्री ने इस विषय में कुछ सुझाव दिये जिनका आशय यह था कि इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के विकास में बाधा न पड़े। मैसूर तथा आंध्र प्रदेश तो उन बातों को किसी सीमा तक स्वीकार कर रहे हैं परन्तु महाराष्ट्र सरकार यह महसूस करती है कि नियत जल पर्याप्त है।

प्रधान मंत्री की राय पर हमने इस मामले पर मुख्य मंत्रियों के स्तर पर चर्चा करना अधिक उचित समझा। पहली बैठक 19 अगस्त को हुई जिसमें कुछ उपयोगी चर्चा हुई। अगली बैठक 15 जनवरी को होनी है। इस समस्या को ऐसा हल निकालने के लिये भरसक प्रयास किये जा रहे हैं जो परस्पर मान्य हो। जिस माननीय सदस्य ने यह चर्चा उठाई है उन्होंने कुछ गलत बातें कहीं हैं। वर्ष 1961 के बाद कृष्णा

[डा० कु० ल० राव]

नदी बेसिन में कर्नाटक के लिये 130 टी० एम० सी० तक की परियोजनाओं के लिये मंजूरी दी गई है जब कि आंध्र की छोटी तथा मध्यम श्रेणी की परियोजनाओं के लिये केवल 2 टी०एम०सी० तक की मंजूरी दी गई है। जहां तक श्री सैलम परियोजना का सम्बन्ध है वहां केवल वाष्पन के कारण होने वाली क्षति का प्रश्न है। वाष्पन के कारण प्रत्येक जलाशय में क्षति होती है। सदस्य चाहते हैं कि कृष्णा नदी के जल का पूरी तरह उपयोग किया जाये। इस प्रयोजनार्थ हमें यथासम्भव अधिकतम जलाशयों का निर्माण करना है।

नदी जल विवाद संसार भर में पैदा होते हैं और इनसे कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। ऐसा नहीं है कि यह समस्या भारत में ही है। ऐसे विवादों को न्यायाधिकरण के सुपुर्द करने से समस्या हल नहीं हो सकती। परस्पर समझौते से समस्या का हल करना सभी सम्बद्ध पक्षों के लिये हितकर होगा। नदी नदी जल विवादों को किसी भी देश में न्यायाधिकरण को सौंप कर के हल नहीं किया जाता। ऐसी समस्यायें मित्रता की भावना से और परस्पर विचार-विमर्श से ही हल की जाती है। कृष्णा नदी के बारे में भी कुछ पेचीदगियां हैं। नदी में जल कितना होता है यह बात भी अनिश्चित सी है। मैं उस मामले को हल करने का भरसक प्रयत्न कर रहा हूं। चर्चा उठाने वाले सदस्य ने मुझ पर जो आरोप लगाये उनकी तथ्यों से किसी प्रकार भी पुष्टि नहीं होती। सचाई यह है कि आंध्र प्रदेश के लिये किसी परियोजना की मंजूरी हमने नहीं दी है। यह समस्या मित्रता तथा धैर्य का वातावरण उत्पन्न करके ही हल की जा सकती है। इस समस्या को न्यायाधिकरण के सुपुर्द करना देशके लिये एक बुरा उदाहरण कायम करने की बात होगी। वैसे यदि मेरे विरुद्ध कोई शिकायत हो तो मैं अपने माननीय मित्रों को सन्तुष्ट करने का प्रयत्न करूंगा।

सभापति महोदय : अब सभा स्थगित होती है।

इसके पश्चात लोक सभा गुरुवार, 24 दिसम्बर, 1964 / 3 पौष, 1886 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, December 24, 1964/Pausa 3, 1886 (Saka).

भा०स०मु०ना०—वि०१—१६ लोकसभा/६५—२८-७-६५—६००